सोमवार,
२४ नवंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

सोमवार, २४ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पोने ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों में क्षयरोग

*५८३. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को जानने के लिये कोई पर्यालोकन किया गया था कि अन्य उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की अपेक्षा कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों में क्षयरोग का आपात अधिक हैं ; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या खनिकों के लिये अस्पतालों में क्षयरोग के रुजालय खोल दिये गये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) जी नहीं ।

(ख) उत्पन्न ही नहीं होता। फिर भी, मैं यह बतला देना चाहता हूं कि झरिया तथा

रानीगंज के कोयला क्षेत्रों में क्षयरोग रुजालयों के लिये इमारतें बना कर तैयार कर दी गई हैं जिन में से प्रत्येक पर १,२५,००० रुपये की लागत आई है तथा प्रत्येक ८ रोगियों को रखने का प्रबन्ध होगा । आवश्यक उपकरण मंगाये जा रहे हैं तथा कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है । कटरास तथा सीरसोल के मूल अस्पतालों के पास ही उन्हें स्थापित किया गया है । आशा की जाती है कि रुजालय अपना काम शीघ्र आरम्भ कर देंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या निकट भविश्य में कोई पर्यालोकन करने का विचार है ?

श्री वी० वी० गिरि : इनके स्थापित कर दिये जाने के पश्चात् पर्यालोकन किया जायेगा ।

सरदार हुक्म सिंह : रुजालयों के पर्याप्त संख्या में न होने के कारण क्या टोलियां घूम घूमकर बी० सी० जी० के टीके लगाती हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : ऐसा भी करने का विचार है किन्तु इन रुजालयों के स्थापित हो जाने के पश्चात् ।

सरदार हुक्म सिंह : इन कोयला खानों के सम्बन्ध में जो योजना हाथ में ली गई है क्या उसके बारे में सलाह देने तथा वहां का निरीक्षण करने के लिये किसी विदेशी को बुलाया गया है ?

श्री वी० वी० गिरि : अभी तक नहीं ।

डा० रामा राव : क्या सरकार अथवा खान मालिकों द्वारा कोयला खनिकों के लिये कोई आरोग्य-आश्रम चलाये जाते हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : आरोग्य-आश्रम तो कोई नहीं हैं किन्तु अस्पताल हैं ।

डा० रामाराव : क्या सरकार का विचार इन खनिकों के लिये स्वयं आरोग्य-आश्रम खोलने का है अथवा खान मालिकों से भारत में कहीं पर भी कोई आरोग्य आश्रम खोलने के लिये निदेश देने का है ?

श्री वी० वी० गिरि : यह सब रुपयों पर निर्भर करता है ।

श्री सारंगधर दास : क्या तलचर कोयला क्षेत्र में कोई रुजालय खोलने का विचार है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह सत्य है कि झरिया में रुजालय के लिये इमारत कुछ समय पूर्व बन कर तैयार हो गई थी और यदि हो गई थी तो रुजालय को खोलने में इतनी देर क्यों की गई ?

श्री वी० वी० गिरि : उसे फ़ौरन ही ही खोल दिया जायेगा ।

श्री ए० सी० गुहा : मेरा प्रश्न था कि जब इमारत बन कर तैयार हो गई थी तो रुजालय के चलाने में इतनी देर क्यों की गई ।

श्री वी० वी० गिरि : मैं कुछ नहीं कह सकता । मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है ।

गेहूं के स्टाक को वापस ले लेना

*५८४. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पिछले ६ महीनों में कुछ राज्य सरकारों ने संघ सरकार से निवेदन किया है कि वह अपने गेहूं के स्टाक को वापस ले ले ?

(ख) यदि ऐसा है तो किन राज्य सरकारों ने इस प्रकार का निवेदन किया था ?

(ग) स्टाकों में से कितनी मात्रा वापस ले ली गई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) मद्रास, राजस्थान, अजमेर, दिल्ली और त्रिपुरा ।

(ग) मद्रास से २०,००० टन तथा त्रिपुरा से २५० टन वापस लेकर अन्य कमी वाले राज्यों को दे दिया गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : राज्य सरकारों ने भारत सरकार से गेहूं का स्टाक वापस लेने के लिये क्यों कहा था ? क्या गेहूं खराब हो चला था अथवा वे इन स्टाकों को चाहती ही नहीं थीं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : कभी कभी जब पानी न बरसने के आसार दिखाई पड़ने लगते हैं तो राज्य सरकारें अपनी कमी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती हैं, तथा सावधानी के लिये वे पहले ही से अधिक मांग करती हैं । और जब हम उन्हें उनकी मांग के अनुसार अनाज देते हैं तथा पानी बरस जाने से उनकी स्थिति सुधर जाती है तो वे सारे के सारे स्टाक को बेच देने की स्थिति में नहीं रहतीं अतः वे इसे वापस ले लेने को कहती हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : इस २०,००० टन गेहूं में से कितना खराब किस्म का है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : खराब किस्म का नहीं । राज्य बहुत सतर्क रहते हैं। वे हम से खराब किस्म का नहीं ले सकते हैं। अनाज की जांच करने के लिये वे अपने अधिकारियों तथा कीटशास्त्रज्ञों को भेजते हैं जो अनाज की अच्छी तरह सफाई करके परीक्षा करते हैं और तब ही वे उसे ले जाते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार को यह मालूम है कि बिहार में गेहूं के स्टाकों में अधिकतर मात्रा खराब किस्म के गेहूं की है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : बिहार ने हम से गेहूं वापस लेने के लिये नहीं कहा है ।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार भविष्य में राज्य सरकारों को गेहूं देने के सम्बन्ध में अधिक सावधानी से काम लेगी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । आपको सूचना पूछनी चाहिये न कि सुझाव रखने चाहियें।

श्री सारंगधर दास : जिन राज्यों ने २०,००० टन या २५० टन गेहूं हमें वापस कर दिया है उनको गेहूं नियत करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह प्रश्न भी कुछ पहला ही सा है ।

श्री के० के० बसु : क्या माननीय मंत्री इस बात का खंडन करने की स्थिति में हैं कि गेहूं के स्टाक के न बिकने के कारणों में एक यह भी है कि सम्बन्धित व्यक्तियों की क्रय शक्ति बहुत कम हो गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: जी नहीं ।

श्री राधे लाल व्यास : इस अनाज के लाने ले जाने तथा अन्य खर्चों को कौन सहन करेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सम्बन्धित सरकारों को इसे सहना पड़ेगा ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या यह सत्य है कि मद्रास सरकार ने चावल की मांग की और केन्द्रीय सरकार ने गेहूं भेज दिया जिससे राज्य सरकार उसका प्रयोग नहीं कर सकी है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह सत्य नहीं है । उन्होंने २ लाख टन चावल की मांग की थी और हम उन्हें वह भेज रहे हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : माननीय मंत्री जी के अनुसार राज्य बहुत ही सतर्क रहे हैं । क्या ऐसे समय के लिये केवल केन्द्र ही सतर्क नहीं रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

कृषि प्रचार

*५८५. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश में उपयुक्त कृषि प्रचार व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो क्या उन गैर सरकारी एजेन्सियों से भी परामर्श किया जायेगा जो इस कार्य में दिलचस्पी रखती हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

डा० राम सुभग सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खेतों में काम करने वाले व्यक्ति अधिकतर अनपढ़ होते हैं, कृषि सूचना से उन्हें कैसे अवगत कराया जायेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम ने अपने लोगों की निरक्षरता को पूरी तरह से ध्यान में रखा है और इसीलिये हर वह तरीका

तलाश किया जा रहा है जिससे उनके पास तक सूचना पहुंचे ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि वे तरीके क्या हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : उन्हें पोस्टरों , फिल्मों, शब्दों को बोलकर, रेडियो आदि से सूचना दी जाती है ।

डा० राज सुभग सिंह : इस संस्था का कार्यवाहक व्यय क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसका तो अभी हिसाब लगाना है ।

श्री बी० एस० मूर्ति जिन साधनों द्वारा गांव वालों तक सूचना पहुंचाई जाती है क्या रेडियो भी उसमें एक है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां ।

श्री वैकायुधन : क्या यह प्रचार संस्था समाचार-पत्र सूचना विभाग से अलग है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या अब तक किसी गैर-सरकारी एजेन्सी से बातचीत की जा चुकी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां ।

श्री टी० के० चौधरी : वह कौन सी एजेन्सी है ?

अध्यक्ष महोदय : हमें अगला प्रश्न लेना चाहिये ।

पाक-विज्ञान स्कूल, बम्बई

*५८६. **श्री एस० एन० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने बम्बई शहर में एक पाक-विज्ञान स्कूल खोलने के लिये एक विदेशी विशेषज्ञ को बुलाया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो वह विशेषज्ञ किस देश से बुलाया गया है ;

(ग) क्या योजना बन कर तैयार हो गई है और उसे मंजूर किया जा चुका है ; तथा

(घ) आवर्तक तथा अनावर्ति व्यय कितना होगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा :) (क) से (घ). टैकनिकल सहायता के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र की खाद्य तथा कृषि संस्था और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार खाद्य तथा कृषि संस्था ने अन्य बातों के साथ साथ एक विशेषज्ञ को भारत भेजना स्वीकार कर लिया है जो भारत में ६ माह से अधिक नहीं रहेंगी । यह विशेषज्ञ अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् के पाक-विज्ञान स्कूल में पाक सेवा संगठन तथा अन्न-रहित खाद्य देने वाले केफेटेरियों को चलाने के सम्बन्ध में शिक्षा देंगी । विशेषज्ञ आ गई हैं और वह इंगलैंड से आई हैं । भारत सरकार को विशेषज्ञ के सम्बन्ध में केवल रहने का खर्च सहन करना है । इस प्रकार ६ महीने के लिये जो खर्च आयेगा वह ५,०५० रुपये होगा । विशेषज्ञ का वेतन तथा अन्य भत्ते खाद्य तथा कृषि संस्था ही देगी ।

श्री एस० एन० दास : इस विशेषज्ञ का अनुभव और योग्यताएं क्या हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : अन्न-रहित खाद्य की पाक विद्या में जिस में प्रशासन भी सम्मिलित है, वह हर प्रकार से विशेषज्ञ हैं ।

श्री के० के० बसु उठे—

अध्यक्ष महोदय : हमें इन सब बातों पर समय नष्ट नहीं करना चाहिये ।

श्री एस० एन० दास : उन्हें बुलाने से पहले क्या इस बात का पता लगाने की

कोशिश की गई थी कि इस प्रकार के विशेषज्ञ भारत में उपलब्ध हैं अथवा नहीं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह समझौता तो भारत और खाद्य तथा कृषि संस्था के बीच हुआ है और उसके अनुसार ही उन्होंने उसे यहां भेजा है तथा हम ने तीन व्यक्तियों को खाद्य तथा कृषि संस्था में प्रशिक्षण के लिये भेजा है ।

ककरहट्टी में फ्लेग स्टेशान

*५८७. **श्री एस० एन० दास :** (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या एन० ई० रेलवे के दरभंगा और तारसराय स्टेशनों के बीच ककरहट्टी में फ्लेग स्टेशन बनाने के प्रस्ताव पर विचार करके उसे मंजूर किया जा चुका है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या काम शुरू कर दिया गया है ?

(ग) काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). ३१ अक्तूबर, १९५२ को काम पूरा हो गया था और ५ नवम्बर, १९५२ को फ्लेग स्टेशन खोल दिया गया था ।

श्री एस० एन० दास : इस स्टेशन से होकर कितनी रेलगाड़ियां गुजरती हैं तथा उनमें से कितनी यहां पर ठहरती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सभा-सचिव सूचना दे सकते हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : वहां पर एक फ्लेग स्टेशन खोलने की व्यवस्था कर दी गई है तथा एक पैसिन्जर गाड़ी वहा खड़ी हुआ करेगी ।

श्री एस० एन० दास : उस स्टेशन से होकर कितनी रेलगाड़ियां गुजरती हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : मेरे पास समस्त आंकड़े नहीं हैं ।

अखिल भारतीय कृषि शिक्षा परिषद्

*५८८. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय कृषि शिक्षा परिषद् को कैसे और कब बनाया गया था ;

(ख) परिषद् का संविधान तथा कृत्य क्या है ; तथा

(ग) क्या भारत के कृषि कालेजों के सम्बन्ध में आदर्श तथा एकरूप पाठ्य-क्रम तैयार कर लिया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) राज्यों के कृषि मंत्रियों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा कृषि विद्या के डीनों और कृषि कालेजों के प्रिन्सपलों के सम्मेलन की सिपारिश पर नवम्बर, १९५१ में अखिल भारतीय कृषि शिक्षा परिषद् को बनाया गया था । यह सम्मेलन भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने बुलाया था ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३५ ।]**

(ग) जी हां, उसे विश्वविद्यालयों में भी परिचालित कर दिया गया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या परिषद् ने सात व्यक्तियों की एक स्थायी समिति चुन ली है और यदि हां, तो उसके कृत्य क्या होंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : विवरण में परिषद् के कृत्यों का उल्लेख किया गया है

तथा आशा की जाती है कि स्थायी समिति उन्हीं कृत्यों की करेगी।

श्री एस० सी० सामन्त : परिषद् के बनने के पश्चात् से अब तक उसकी कितनी बैठकें हुई हैं?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक मुझे ज्ञात है, दो बार।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या उन विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिये जो कालेज क्षेत्रों में कार्य न करके ग्राम क्षेत्रों में कार्य करेंगे, कालेजों को कोई विशेष आवर्तक या अनावर्ति अनुदान दिया गया है?

डा० पी० एस० देशमुख : अब तक किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी गई है, न ही हम परिषद् के अन्तर्गत विद्यार्थियों को कोई विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं। परन्तु हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि देश में कृषि शिक्षा का प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या भारत के समस्त कृषि कालेजों ने परिषद् की इस सिफ़ारिश को ध्यान में रखा है कि कालेजों के पास कालेज के हातों में कम से कम १०० एकड़ भूमि होनी चाहिये?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इसके लिये पूर्व सूचना चाहूंगा।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या समिति को इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है कि समस्त प्रारम्भिक तथा मिडिल स्कूलों में कृषि विषय को शुरू कर दिया जाये?

डा० पी० एस० देशमुख : परिषद् ने अभी इस मामले को हाथ में नहीं लिया है।

श्री एस० सी० सामन्त : इस नई परिषद् से कृषि कालेजों को किस प्रकार की विशिष्ट सहायता मिलेगी?

डा० पी० एस० देशमुख : कोई विशेष नहीं, केवल कालेजों में एक रूप स्तर निश्चित करने के सम्बन्ध में परामर्श दिया जा सकता है।

श्री अब्दूस्सत्तार कृषि कालेजों की संख्या क्या है तथा वे कहां पर स्थित हैं?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं पूर्व-सूचना चाहता हूं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या इन कालेजों से जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर निकले हैं वे इस लिये बेकार हैं क्योंकि वे कृषि के सिद्धान्तों को तो जानते हैं किन्तु उनको व्यवहार में लाना नहीं जानते?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, यह प्रश्न नहीं है। यह तो माननीय सदस्य एक दृष्टिकोण रख रहे हैं।

आसाम रैल कड़ी

*५८९. **श्री बी० के० दास :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम रेल कड़ी को गत बाढ़ से कितनी अनुमानित हानि पहुंची ; तथा

(ख) मरम्मत कराने की अनुमानित लागत कितनी होगी?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) यातायात में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाने से आय में लगभग ३० लाख रुपये की कमी हुई है।

(ख) मल जंकशन-अमीनगांव सेक्शन पर मरम्मत में अनुमानित रूप से ५० लाख रुपया लगेगा।

श्री बी० के० दास : क्या मरम्मत का काम पूरा हो गया है?

श्री शाहनवाज़ खां : अस्थायी रूप से मरम्मत कर दी गई है।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : रेलवे लाइनों में सुधार करने के और भी सुझाव हैं।

श्री बी० के० दास : भविष्य में बाढ़ से होने वाली हानि से बचने के लिये क्या कोई उपाय किया गया है ?

श्री अलगेशन : जी हां ।

श्री बी० के० दास : किस प्रकार का काम करने का विचार है या किस प्रकार का काम हो रहा है, क्या कोई बांध या पुल इत्यादि बनाया जायेगा ?

श्री अलगेशन : बांध के काम के साथ साथ पुलों की नीवों को मज़बूत बनाया जायेगा ।

श्री बर्मन : क्या सरकार ने उत्तर बंगाल आसाम लाइन पर पुलों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया है जिससे बाढ़ से होने वाली हानि जोकि १९५० से अधिक बढ़ गई है, कुछ सीमा तक कम हो सके या पूर्णतया दूर की जा सके, क्यों कि तब पानी निकलने के मार्ग अब से अधिक हो जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कार्यवाही के लिये सुझाव रख रहे हैं ।

श्री बर्मन : यह सुझाव मैं ने पहले रखा था अब मैं जानना चाहता हूं कि उस पर अमल किया गया है अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही के लिये सुझाव रखने वाला प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है । माननीय सदस्य सूचना पूछ सकते हैं ।

श्री सारंगधर दास : क्या आसाम रेल कड़ी को हमेशा ही इस प्रकार बाढ़ से हानि होती रहेगी अथवा इसे रोकने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अलगेशन : मैं सदन को यह बतला देना चाहता हूं कि लगभग २५ लाख रुपये की अतिरिक्त लागत पर अतिरिक्त पानी निकालने के रास्ते, पुलों की नीवों को अधिक गहरा बनाने, इत्यदि के रूप में कुछ सुधार करने का विचार है। मेरे विचार में जब ऐसा कर दिया जायेगा तो यह हानि हमेशा न हुआ करेगी ।

सामुदायक परियोजनाओं के लिये कार्यकर्त्ताओं की ट्रेनिंग

*५९०. **श्री एस० एन० दास :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सामुदायिक परियोजनाओं के लिए गांव-स्तर पर कार्यकर्त्ताओं को ट्रेनिग देना आरम्भ कर दिया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो उन केन्द्रों के नाम क्या हैं तथा वहां पर कितने कार्यकर्त्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है ?

(ग) किन किन विषयों में ट्रेनिंग दी जा रही है ?

(घ) क्या कोर्स का पाठ्यक्रम उपलब्ध है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३ अनुबन्ध संख्या ३६]

(ग) कृषि, सहयोग तथा गांव के कार्यों में भाग लेना; पशू पालन ; स्वास्थ्य, सफाई तथा स्वास्थ्य-शास्त्र ; प्रौढ़ शिक्षा ।

(घ) जी हां । यू० पी० सरकार द्वारा तैयार किये गये पाठ्य-क्रम की एक प्रति जिसे समस्त ट्रेनिग केन्द्रों में परिचालित किया गया था, सदन पटल पर रखी जाती है । [एक प्रति पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या पी०-७८/५२]

श्री एस० एन० दास : विवरण को देखने से पता लगता है कि सात राज्यों में सात केन्द्र खोले गये हैं । क्या मैं यह समझ लूं कि अन्य केन्द्रों में ऐसे ट्रेनिंग केन्द्र काय कर रहे हैं—अथवा अभी वहां खोले जाने हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है यह मामला विचाराधीन है ।

श्रीमती ए० काले : क्या किसी महिला कार्यकर्त्ता को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, यदि हां तो, उनकी योग्यताएं क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : अब तक नहीं ।

श्री एस० एन० दास : ट्रेनिंग का खर्च राज्य केन्द्र अथवा केन्द्र देता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : कुछ तो फोर्ड संस्था सहन करती है तथा कुछ 'टी० सी० ए०' समझौते के अन्तर्गत मिलता है जो कि हम ने किया है ।

श्री एस० एन० दास : अन्य भाग 'क' तथा भाग 'ख' राज्यों में यह केन्द्र कब तक खोल दिये जायेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : केन्द्रों को शीघ्र से शीघ्र खोलने के लिये प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ।

श्री सारंगधर दास : परियोजनाओं के कार्यान्वित करने---मेरे विचार में उन्हें २ अक्तूबर से कार्यान्वित करना आरम्भ किया गया था---तथा प्रशिक्षित ग्राम कार्यकर्त्ताओं द्वारा ग्रामों का कार्य भार संभालने में कितना समय लगेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार में कोई अधिक विलम्ब नहीं हुआ है । जहां तक सम्भव हो सकता है हर एक बात में जल्दी की जा रही है ।

श्री वीरस्वामी : क्या कोर्सों के समाप्त होते ही कार्यकर्त्ताओं को विभिन्न परियोजना कार्यों में लगा दिया जायेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार में बहुत से लोग खांस रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न के समझने में असमर्थ हूं ।

श्री केलप्पन : क्या शिक्षकों में कोई विदेशी विशेषज्ञ भी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां किन्तु बहुत थोडे ।

श्री केलप्पन : कितने ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । में दूसरा प्रश्न ले रहा हूं ।

मछली पकड़ने के अधिकार

अमेरिकन एजेन्सी :

*५९१. **श्री वी पी० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से किसी अमेरिकन एजेन्सी ने लैकडिव द्वीप समूह तथा मालदीव के मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्रों में मछली पकड़ने का अधिकार दिये जाने का निवेदन किया है; तथा

(ख) क्या सरकार ने तुना और बोनिटो जैसीं महंगी मछलियों के उन क्षेत्रों में पकड़े जाने का प्रयत्न किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) भारत के दक्षिणी तट से दूर तुना मछलियां पकड़ने के लिये लाइसैन्स लेने के संबन्ध में १९५० में एक अमेरिकन एजेन्सी ने पूछताछ की थी । उनसे कहा गया था कि वे इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए सुझाव रखें कि इस कार्य में भारतीय नागरिकों को भी शामिल किया जायेगा, किन्तु कोई ठोस सुझाव पेश नहीं किये गये ।

(ख) शीघ्र ही जांच पड़ताल करने का विचार है ।

श्री वी० पी नायर : तुना और बोनिटो नामक मछलियां भारतीय तट से कितने मील की दूरी पर मिलती हैं ? क्या केन्द्रीय सरकार ने समुद्र के उस क्षेत्र की कोई प्रारम्भिक जांच पड़ताल करवाई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं यह तो नहीं बतला सकता कि वे कितने मीलों की दूरी पर मिलती हैं किन्तु मेरे विचार में ऐसा

करने के लिये काफी सीमा तक गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने का तरीका काम में लाना पड़ेगा ।

मैं प्रश्न का दूसरा भाग नहीं सुन सका ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी उस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहते हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को यह मालूम है कि तुना और बोनिटो नामक मछलियां अमेरिका में बहुत महंगे दामों पर बिकती हैं तथा क्या अमेरिकन ऐजेन्सी ने जो योजना प्रस्तुत की थी उस में इन मछलियों को अमेरिका भेजने का प्रस्ताव था ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास अमेरिकन योजना का ब्यौरा नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या बम्बई सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में कोई सहायता देने की याचना की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं पूर्व-सूचना चाहता हूं ।

श्री दामोदर मेनन : क्या सरकार की नीति भारत तट पर विदेशी एजन्सियों को मछलियां पकड़ने का अधिकार देने की है अथवा उसे भारतीय नागरिकों के लिये सुरक्षित रखने की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि स्वयं प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित है हमारा विचार अपने लिये लाभ की व्यवस्था किये बिना कोई अन्य अधिकार देने का नहीं है ।

दूर-संचरण योजना विभाग

*५९३. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डाक तथा तार निदेशालय का दूर संचरण योजना विभाग कब स्थापित किया गया था ?

(ख) क्या समस्त आवश्यक आंकड़े जमा करके तालिकाबद्ध कर लिये गये हैं ?

(ग) वर्तमान स्वयंगतिक एक्सचेंजों के प्रसार के सम्बन्ध में इस विभाग ने कहां तक उन्नति की है ?

(घ) पंच वर्षीय योजना की कार्यान्विति में यह कहां तक सहायक सिद्ध होगा ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जनवरी, १९५२ ।

(ख) आंकड़े काफी संख्या में जमा किये जा चुके हैं तथा उन्हें तालिकाबद्ध किया जा रहा है । यह काम तो सदा चलता ही रहता है ।

(ग) वर्तमान स्थिति का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखि परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३७]

इस विभाग ने अब तक केवल हस्त-परिचालित एक्सचेंजों तथा 'केरियर सिस्टम' का काम हाथ में लिया है ।

(घ) पंच वर्षीय योजना के बनाने तथा कार्यान्वित करने के लिये यह आवश्यक है । इस विभाग पर उपकरण तथा कार्यों के सम्बन्ध में प्राथमिकता तय करने तथा विकास योजनाओं के विभिन्न पहलुओं का समन्वय करने की जिम्मेदारी है ।

श्री एस० सी० सामन्त : पंच वर्षीय योजना के अनुसार इस विभाग को चलाने के लिये कितनी राशि की आवश्यकता होगी?

श्री राज बहादुर : बजट में इसकी व्यवस्था प्रति वर्ष के सामन्य बजट उपबन्धों के समान कर दी गई है ।

श्री एस० सी० सामन्त : इसविशे विभाग के लिये नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या पंच वर्षीय योजना में इस विशेष विभाग के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री राज बहादुर : यह योजना विभाग डाक तथा तार निदेशालय का एक अंग है। यह एक संचालक के अन्तर्गत काम करता है जिसको अन्य कर्मचारियों की भी सहायता प्राप्त है ; हाल ही में इस में दो सहायक संचालकों तथा कुछ और कर्मचारियों को रख दिया गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : नये एक्सचेंजों को खोलने तथा वर्तमान एक्सचेंजों को बढ़ाने के सम्बन्ध में कितने सुझाव रखे गये हैं तथा इस समय कितने एक्सचेंजों के सम्बन्ध में काम करना उपयुक्त है ?

श्री राज बहादुर : यह बतलाना कठिन है क्योंकि संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है। परन्तु यह विभाग पहले ही स्वयंगतिक उपकरण के वितरण तथा नियतन का काम पूरा कर चुका है तथा इस सम्बन्ध में प्राथमिकताएं भी निश्चित कर दी गई हैं तथा कुछ अन्य बातें भी कर दी गई हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : बम्बई योजना यूनिट के नाम से एक पृथक् योजना विभाग जिसे एक टेलीग्राफ संचालक के सुपुर्द कर दिया गया है, खोलने के क्या कारण हैं ?

श्री राज बहादुर : काम की विशालता तथा बम्बई स्वयंगतिक पद्धति के विकास को देखते हुए एक पृथक् योजना विभाग खोलने की आवश्यकता है जैसा कि कलकत्ते में किया गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : चालू वित्तीय वर्ष में वी० एफ० टी० पद्धति को कहां कहां पर लागू किया गया है या लागू करने का विचार है ?

श्री राज बहादुर : यों तो यह बतलाना कठिन है। यदि पृथक् रूप से यह प्रश्न पूछा जाये तो मैं उत्तर दे सकूंगा।

श्री बी० एस० मूर्ति उठे

अध्यक्ष महोदय : क्या वह प्रत्येक प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ न कुछ पूछना चाहते हैं ?

श्री बी० एस० मूर्ति : प्राथमिकताएं किस प्रकार निश्चित की जाती हैं ?

श्री राज बहादुर : आवश्यकता, महत्व तथा विभिन्न सम्बद्ध स्थानों की जरूरतों के अनुसार।

रेलवे स्टोर का वैज्ञानिकन

***५९४. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विभिन्न रेलों के पास इस समय कितना स्टाक है ?

(ख) रेलवे के स्टोर संगठन का वैज्ञानिकन करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) इस वैज्ञानिकन के फलस्वरूप कितनी बचत हुई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३१ मार्च, १९५२ को जो स्टाक था उसके मूल्य सम्बन्धी अन्तकालीन आंकड़े ६३·३२ करोड़ रुपये थे।

(ख) गत वर्ष अखिल भारतीय आधार पर स्टाक का समन्वित प्रयोग चालू कर दिया गया था तथा रेलवे स्टोर्स जांच समिति द्वारा बताये गये तरीकों के अनुसार रेलवे स्टोर के जमा करने की प्रक्रिया का वैज्ञानिकन किया जा रहा है।

(ग) लगभग ४ करोड़ रुपये।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : जांच समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

श्री अलगेशन : वे समिति की रिपोर्ट में मौजूद हैं। परन्तु मुख्य सिफारिश यह

है कि स्टोर में लगभग १० करोड़ रुपये की कमी कर दी जाये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि रेलवे अधिकारियों द्वारा रेलवे स्टोर के प्रबन्ध करने में कुछ भ्रष्टाचार होता था और यदि हां, तो मंत्रालय ने इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री अलगेशन : मुझे किसी भी भ्रष्टाचार की खबर नहीं है ।

श्री नम्बियार : क्या सरकार ने उन कागज़ों के प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं जो लगभग २०० वर्ष से जमा हैं—इस प्रश्न की मैं पहले भी उठा चुका हूं—और क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री अलगेशन : निस्सन्देह, सिफारिशों के अनुसार कार्य वाही की गई है ।

श्री नम्बियार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही की गई है ? अब भी कितने सालों का स्टाक शेष रहा है—क्या १५० सालों का ?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में कौन सी विशिष्ट कार्यवाही की गई थी ।

श्री अलगेशन : प्रत्येक रेलवे पर ५००० से ६००० तक चीजें देखी गई हैं । यह एक लम्बी चौड़ी प्रक्रिया है और जो फालतू बताया गया है उस का मूल्य १०·१९ करोड़ रूपये है ।

अध्यक्ष महोदय : वह विशेषकर काग़ज़ के सम्बन्ध में पूछना चाहते हैं न कि अन्य ५००० चीजों के सम्बन्ध में । वह जानना चाहते हैं कि कागज़ के स्टाक के सम्बन्ध में क्या किया गया है ।

श्री अलगेशन : मेरे पास खास तौर पर कागज़ के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें दूसरा प्रश्न लेना चाहिये ।

कालेज आफ नर्सिंग, नई दिल्ली

*५९५. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि :

(क) इस समय कालेज आफ नर्सिंग, नई दिल्ली में कितनी छात्राएं पढ़ रही हैं ; तथा

(ख) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में ऐसे कालेज खोलने का है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) ११८ ।

(ख) केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है । अभी तो उन्हें इसी संस्था का विकास करना है । यदि राज्य सरकारें चाहें तो वे इस प्रकार के कालेज खोलने के लिए स्वतंत्र हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : ऐसे कालेज खोलने में कुल कितनी लागत आती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : यदि माननीय सदस्य इसी का निर्देश कर रहे हैं कि दिल्ली स्थित कालेज आफ नर्सिंग को स्थापित करने में कुल कितना व्यय हुआ·····

अध्यक्ष महोदय : नई दिल्ली ।

राजकुमारी अमृतकौर : तो वह इस प्रकार है : १९४६–४७ में ५४,००० रुपये से कुछ अधिक, १९४७–४८ में ५८,००० रुपये से अधिक, १९४८–४९ में १,६३,००० रुपये, १९४९–५० में २,२८,००० रुपये, १९५०–५१ में २,३६,००० रुपये, १९५१–५२ में २,३७,००० रुपये तथा १९५३–५४ के लिये ३,६५,००० रुपयों की व्यवस्था कर दी गई है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : खर्च के मुख्य मद क्या हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : साधारणतया खर्च उन्हीं बातों पर किया जाता है जिनकी किसी कालेज को आवश्यकता होती है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह खर्च बजट से लिया जाता है ?

राजकुमारी अमृत कौर : जी हां,

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बजट आंकड़ों का निर्देश कर सकते हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस कालेज में भर्ती होने के लिए किस योग्यता की आवश्यकता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : विज्ञान में इन्टर-मिडियेट ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि कुछ ऐसी छात्राओं को, जिन्होंने बी० एस० सी० पास कर लिया है कालेज में भर्त्ती कर लिया गया है तथा उन्हें उत्तर-स्नातक छात्राओं के समान समझा जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रशासन सम्बन्धी बातों के विस्तार में जा रहे हैं । यदि उन्हें नीति के सम्बन्ध में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं किन्तु मैं प्रशासन सम्बन्धी बातों के विस्तार में जाने की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री के० के० बसु : छात्राओं को सीधे भर्ती किया जाता है अथवा राज्यवार ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री डोरास्वामी : इस कालेज से अब तक कितने स्नातक उत्तीर्ण हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह सब विस्तार की बातें हैं ।

नर्सें

*५९६. **डा० रामा राव :** स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या भारत सरकार को नर्सों का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी संस्था से उनकी रहन-सहन की परिस्थितियों, प्रशिक्षण की सुविधाओं आदि, के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

(ख) क्या भारत सरकार भारत भर में नर्सों का वेतन तथा भत्ता एक ही स्तर पर लाने का कोई प्रयत्न कर रही है ?

(ग) विभिन्न राज्यों के सरकारी अस्पतालों में नर्सों की वर्तमान वेतन श्रेणी क्या है ?

(घ) भारत भर में (राज्यवार) नर्सों को प्रशिक्षण देने के कितने केन्द्र हैं ?

(ङ) क्या उन का विकास करने अथवा नये केन्द्र खोलने की योजनाएं हैं ?

(च) क्या सरकार का विचार भारत में नर्सों की परिस्थितियों के सम्बन्ध में कोई जांच करवाने का है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले को राज्य सरकारों के साथ पहले ही ले लिया गया है और उन्हें इस सम्बन्ध में बराबर अनुस्मरण-पत्र भेजे जा रहे हैं ।

(ग) तथा (घ). अपेक्षित सूचना के दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४९]

(ङ) बम्बई, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मैसूर, मध्य भारत, त्रावनकोर कोचीन, हैदराबाद, सौराष्ट्र तथा पेप्सू सरकारों ने वर्तमान नर्स प्रशिक्षण केन्द्रों का विकास करने या नये केन्द्र खोलने की योजनाएं बनाई हैं ।

(च) जी नहीं, क्यों कि उनके पास पहले से ही आवश्यक सूचना उपलब्ध है ।

रेलों का बिजली से चलाया जाना

*५९७. **श्री नम्बियार :** (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या

किसी रेलवे लाइन पर रेलगाड़ियों की बिजली से चलाने अथवा बिजली से चलने वाली वर्तमान रेलों के विस्तार करने के सम्बन्ध में कोई योजनाएं हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो किन लाइनों पर चलाने का विचार है तथा यह काम कब तक हाथ में लिया जायेगा ?

(ग) क्या इस सम्बन्ध में जनता द्वारा भेजे गये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो किस प्रकार के ?

(घ) क्या भारत सरकार ने ऐसे अभ्यावेदन भेजने वाली जनता को कोई आश्वासन दिया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख). जी हां, सेन्ट्रेल रेलवे में गतपुरी से भुसावल तक और सदर्न रेलवे में तामबरम से चिगंलीपुट तक। योजनाओं पर विचार किया जा रहा है किन्तु उनका कार्यान्वित किया जाना धन पर निर्भर करेगा।

(ग) तथा (घ). समय समय पर विभिन्न सेक्शनों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं विशेषकर तामबरम-चिगंलीपुट और ईस्टर्न रेलवे के उपनगर वाले सैक्शन से। फिर भी अब तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

श्री नम्बियार : तामबरम-चिगंलीपुट लाइन पर काम कब तक आरम्भ होगा ?

श्री अलगेशन : मामला विचाराधीन है।

श्री नम्बियार : मद्रास-बेजवाड़ा लाइन पर कठिनाइयों के कारण क्या उस पर बिजली से रेलें चलाने का विचार है ?

श्री अलगेशन : ऐसा कोई मामला नहीं है।

श्री नम्बियार : क्या हम यह आशा कर सकते है कि तामबरम-चिगंलीपुट लाइन पर अगले वर्ष तक काम आरम्भ हो जायेगा ?

श्री अलगेशन : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि यह मामला विचाराधीन है।

श्री नम्बियार : क्या सरकार इस बात का आश्वासन दे सकती है कि यह काम शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या सरकार की नीति ऐसे क्षेत्रों में रेलों को बिजली से चलाने की है जहां बिजली आसानी से उपलब्ध है ?

श्री अलगेशन : बिजली से रेल को चलाना तो चाहते हैं किन्तु ऐसा करने में जो प्रारम्भिक लागत आयेगी उसको देखते हुए इस सम्बन्ध में शीघ्रता करने की हिम्मत नहीं पड़ती है।

श्री ए० सी० गुहा : कलकत्ता उपनगर रेलवे या कलकत्ता-मोगलसराय लाइन पर रेलों को बिजली से चलाने का प्रस्ताव किस अवस्था पर है ?

श्री अलगेशन : प्रस्ताव है तो सही किन्तु उस पर सक्रिय रूप से विचार नहीं हो रहा है।

माहे के लिए रेलवे स्टेशन

*५९९. **श्री नम्बियार** : (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि माहे क्षेत्र के लिए जो रेलवे स्टेशन है वह फ्रान्सीसी प्रदेश के बीच में आ जाता है और इसी लिए उस तक पहुंचने में कठिनाई होती है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

(ग) इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है जिससे इस क्षेत्र के लोग इस कठिनाई से मुक्त हो जायें।

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) माहे का रेलवे स्टेशन फ्रान्सीसी प्रदेश के बीच में नहीं आता किन्तु उस तक पहुंचने की एक सड़क फ्रान्सीसी प्रदेश से गुजरती है।

(ख) इस सम्बन्ध में वहां के लोगों में रेलवे प्रशासन को कोई अभ्यावेदन नहीं भेजे हैं कि इससे उन्हें कोई असुविधा होती है।

(ग) उत्पन्न ही नहीं होता।

श्री नम्बियार : क्या सरकार को यह मालूम है कि उस सड़क पर माहे पुलिस वालों के खड़े रहने के कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

अध्यक्ष महोदय : वह रेलवे स्टेशन से बाहर होने वाली कठिनाइयों का निर्देश कर रहे हैं।

श्री नम्बियार : जी नहीं, श्रीमान्, रेलवे स्टेशन से उस विशेष सड़क के बीच।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह सड़क रेलवे हाते से गुज़रती है या रेलवे हाते के बाहर से गुज़रती है ?

श्री नम्बियार : रेलवे सीमा के अन्त होने पर वह फ्रान्सीसी प्रदेश से गुजरती है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि जो कठिनाई उठानी पड़ती है वह रेलवे क्षेत्र से बाहर उठानी पड़ती है। इस सम्बन्ध में और प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। यह प्रश्न वैदेशिक कार्य मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये न कि रेल मंत्रालय से।

गैर-विभागीय एजेन्ट

*६००. **कुमारी एनी मस्करीन** : (क) **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या गैर-विभागीय एजेन्टों को स्थायी डाकीय सेवा में सम्मिलित करने का विचार है ?

(ख) अब तक डाकीय सेवा में ऐसे कितने एजेन्ट सम्मिलित कर लिये गये हैं ?

(ग) क्या गैर-विभागीय एजेन्टों को कोई लेखन सामग्री दी जाती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) डाकिये की परीक्षा में विभागीय उम्मीदवारों के रूप में गैर-विभागीय एजेन्ट ४० वर्ष की आयु तक बैठ सकते हैं तथा क्लर्कों की परीक्षा में वे गैर विभागीय उम्मीदवार के रूप में ३० वर्ष की आयु तक बैठ सकते हैं। इसके अलावा उन्हें डाकीय सेवा में सम्मिलित करने का और कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) सूचना संग्रह की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी हां, सरकार अपेक्षित लेखन सामग्री देती है।

श्रीमती एनी मस्करीन : क्या उन लोगों के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की गई है जिन्हें भर्ती कर लिया गया है तथा जिन्होंने १० या १२ साल नौकरी भी कर ली है ?

श्री राज बहादुर : जी नहीं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

कुमारी एनी मस्करीन : जब इसे डाकीय सेवा में परिवर्तित कर दिया जायेगा तब क्या सरकार उन्हें किस प्रकार से रखने के मामले पर विचार करेंगी ?

श्री राज बहादुर : सरकार इन व्यक्तियों को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से रखने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या सरकार को यह मालूम है कि उनके लिए जो लेखन-सामग्री दी जाती है वह उन तक नहीं पहुंचती है ?

श्री राज बहादुर : जब कभी भी इस सम्बन्ध में शिकायत की गई है हम ने उसकी जांच करवाई है। यदि माननीय सदस्य को कोई शिकायत करनी है तो वह मुझ से कर सकती हैं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इन गैर-विभागीय

एजेन्टों को उनके रहने के स्थानों से दूसरे स्थानों पर भेज दिया जाता है जिसके कारण उन्हें जो वेतन मिलता है वह उनके जीवन-निर्वाह के लिए बिल्कुल अपर्याप्त होता है ?

श्री राज बहादुर : उनकी बदली नहीं की जाती है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को त्रावनकोर-कोचीन के ग़ैर-विभागीय डाकीय कर्मचारियों द्वारा हाल ही में भेजा गया कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री राज बहादुर : कब—किस साल में अथवा कौन सी तारीख को ?

कुमारी एनी मस्करीन : उन्हें वेतन के रूप में कितना रुपया दिया जाता है ?

श्री राज बहादुर : वह वेतन नहीं होता । यह बात सदन में अनक बार बतलाई जा चुकी है कि वह भत्ता होता है ।

कुमारी एनी मस्करीन : भत्ते के रूप में कितना रुपया दिया जाता है ?

श्री राज बहादुर : ग़ैर-विभागीय सब-पोस्टमास्टरों को अधिकतम भत्ता ४० रुपये और २५ रुपये महंगाई भत्ता ; सब या ब्रांच पोस्टमास्टरों को १०—२५ रुपये और १० रुपये महंगाई भत्ता; डाक हरकारों को अधिकतम भत्ता ३० रुपये तथा १० रुपये महंगाई भत्ता ; ग़ैर-विभागीय डाक बांटने वाले एजेन्टों को अधिकतम भत्ता २५ रुपये तथा १० रुपये महंगाई भत्ता दिया जाता है । यदि ग़ैर विभागीय सब पोस्टमास्टरों या ब्रांच पोस्टमास्टरों को डाक ले जाना पड़े या डाक बांटनी पड़े तो उपरोक्त भत्तों के अलावा उन्हें अधिकतम १० रुपये का भत्ता और मिलता है ।

कुमारी एनी मस्करीन : वे जिस मकान का प्रयोग करते हैं क्या उसका किराया इसी वतन में से देना पड़ता है ?

श्री सारंगधर दास : क्या हाल ही में कोई ऐसा परिपत्र जारी किया गया है कि इन ग़ैर-विभागीय पोस्टमास्टरों को प्रति दिन ८ घन्टे काम करना पड़ेगा ?

श्री राज बहादुर : जी नहीं । इस प्रकार का कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है । उनको अधिक से अधिक पांच घन्टे काम करना होता है ।

एस० आई० रेलवे मजदूर संघ सम्मेलन

*६०१. **श्री नम्बियार :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सदर्न रेलवे प्रशासन ने एस० आई० रेलवे मजदूर संघ को रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर उन रेलवे कर्मचारियों के ठहराने का प्रबन्ध करने की अनुमति नहीं दी थी जो कि गोल्डेन राक में १२, १३ तथा १४ सितम्बर, १९५२ को होने वाले संघ के वार्षिक सम्मेलन में बुलाये गये थे ;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्यों ;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि रेलवे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को, जो कि रेलवे कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि के रुप में चुने गये थे, साधारण छुट्टी, पास आदि की भी सुविधांए नहीं दी गई थीं ; तथा

(घ) क्या यह भी सत्य है कि गोल्डेन राक स्थित कारखाने के प्रबन्धक ने मजदूर संघ को इस बात की भी धमकी दी थी कि वह मजदूर संघ मैदान में बने फाटकों पर से सजावट का सामान जबरदस्ती हटवा देगा क्यों कि वे अतिक्रमण करते हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख). जी हां । साउथ

इन्डियन रेलवे लेबर यूनियन न गोल्डेन राक की रेलवे कालौनी में रेलव भूमि पर अपना वार्षिक सम्मेलन करन के लिए अनुमति मांगी थी । क्योंकि इस प्रकार की सुविधाएं अस्वीकृत संघों को नहीं दी जाती हैं इसलिये प्रसाशन द्वारा अनुमति नहीं दी गई ।

(ग) प्रशासन ने विभागीय अधिकारियों को इस सम्बन्ध में कोई विशेष हिदायतें नहीं दी थीं कि व प्रतिनिधियों को छुट्टी दे दें या उन्हें रेलवे पास दे दें । साधारणतया रेलवे कर्मचारियों को छुट्टी देना बिल्कुल ही विभागीय अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है और हो सकता है कि कुछ कर्मचारियों को सेवा की परिस्थितियों के कारण इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए छुट्टी मंजूर न की जा सकी हो ।

(घ) जी नहीं ।

श्री नम्बियार : क्या यह सत्य है कि उस मजदूर संघ न स्वीकार किये जानेके लिये प्राथना की थी तथा क्या उसका स्वीकार न किया जाना ही इस अधिकार के प्रदान करने में बाधक हुआ ?

श्री अलगेशन : जी हां, संघ ने स्वीकार किये जाने के लिए प्रार्थना की थी ।

अध्यक्ष महोदय : वह पूछना चाहते हैं कि क्या उसका स्वीकार न किया जाना ही उसके द्वारा मांगी गई सुविधाओं के मंजूर न किये जाने का कारण था ।

श्री अलगेशन : जिस समय अनुमति मांगी गई थी उस समय तक संघ को स्वीकार नहीं किया गया था तथा इसीलिए अनुमति नहीं दी गई थी ।

श्री नम्बियार : संघ को स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

श्री अलगेशन : मेरे विचार में यह प्रश्न सीधा इससे उत्पन्न नहीं होता ।

श्री नम्बियार : क्या सरकार की नीति यह है कि वह रेलवे हाते या इमारतों को रेलवे कर्मचारियों को न दे चाहे वे किसी अस्वीकृत संघ के सदस्य हों या न हों ?

श्री अलगेशन : जी हां । ऐसे सम्मेलनों के लिये रेलवे हातों का प्रयोग करने की अनुमति केवल स्वीकृत संघों को दी जाती है ।

श्री नम्बियार : क्या इस विशेष मामले में, यद्यपि संघ को स्वीकार नहीं किया गया था, रेलवे कर्मचारियों ने मजदूर संघ का सदस्य होने के नाते नहीं बल्कि रेलवे कर्मचारियों के नाते अनुमति मांगी थी तथा वह नहीं दी गई थी ?

अध्यक्ष महोदय : उनके उत्तर से यह बिल्कुल स्पष्ट है ।

श्री अलगेशन : प्रार्थना संघ की ओर से की गई थी ।

श्री नम्बियार : क्या रेलवे कर्मचारियों की स्वयं अपने काम से—निस्सन्देह, मजदूर संघ के लिए—पास मांगने पर भी इन्कार कर दिया गया था ?

श्री अलगेशन : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : अब इस प्रश्न पर और आगे चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि वह तर्क-वितर्क करने लगे हैं ।

श्री नम्बियार : इन रेलवे कर्मचारियों ने स्वयं अपने काम से पासों के लिये जो प्रार्थनापत्र दिये थे उन्हें अस्वीकार किया गया था अथवा नहीं ?

श्री अलगेशन : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

चीनी की कीमत (निश्चय करना)

*६०२. **श्री झुलन सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि गन्ने की क़ीम निश्चित करते समय इस वर्ष चीनी की कोई

क़ीमत निश्चित नहीं की गई है जैसा कि पिछले वर्ष की गई थी ; तथा

(ख) इस वर्ष चीनी की क़ीमत निश्चित न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) चीनी की क़ीमत पर नियंत्रण रखना आवश्यक नहीं समझा जाता क्योंकि चीनी का प्रदाय मांग से अधिक है । फिर भी, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए फैक्टरियों से बाहर भेजी जाने वाली चीनी पर नियंत्रण रखने का निश्चय किया गया है जिससे उद्योग के पास हर समय लगभग ३ लाख टन चीनी उपलब्ध रहे और यदि चीनी का बाजार भाव अनुचित रूप से बहुत बढ़ जाता है तो सरकार सुरक्षित स्टाक में से उस क़ीमत पर चीनी निकाल देगी जो कि सरकार उस समय गन्ने की न्यूनतम क़ीमत को ध्यान में रखते हुए अनुविहित रूप से निश्चित करेगी, तथा उस चीनी को ऐसी एजेन्सियों के द्वारा बिकवाने का निदेश देगी जैसा कि वह आवश्यक समझेगी ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या यह सरकार की नीति के अनुकूल है कि विभिन्न क्षेत्रों अथवा फैक्टरियों में विभिन्न क़ीमतें हों ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम क़ीमतें निर्धारित नहीं करते हैं । उन्हें उन्हीं के रास्ते पर छोड़ दिया जाता है ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या मैं यह समझ लूं कि उन फैक्टरियों को जिन्हें गन्ना उस क़ीमत से कम पर खरीदने की अनुमति दे दी गई थी जो कि सरकार ने निर्धारित की थी, कम क़ीमत पर चीनी बेचने की अनुमति है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम ने केवल न्यूनतम क़ीमत निर्धारित की है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या गन्ने की क़ीमत निर्धारित करते समय सरकार ने इस बात को भी ध्यान में रखा था कि गन्ने के खेतों को दिये जाने वाले पानी की दर ३०० प्रतिशत बढ़ जायेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : समय समय पर उत्पादन की लागत को ध्यान में रखा जाता है तथा मुझे विश्वास है कि इस मामले में भी इस बात को ध्यान में रखा गया होगा ।

डा० राम सुभग सिंह : परन्तु पानी की दर तो गन्ने की क़ीमत के निर्धारित हो जाने के पश्चात बढ़ाई गई है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री : (श्री किदवई) : गन्ने की क़ीमत के निर्धारित हो जाने के पश्चात् से चीनी की क़ीमत नहीं बढ़ाई गई है ।

डा० राम सुभग सिंह : चीनी की क़ीमत नहीं । मेरा तो यह कहना है कि गन्ने के खेत में दिये जाने वाले पानी की दर २०० प्रतिशत तथा कुछ मामलों में ३०० प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है ।

श्री किदवई : परन्तु हमारी नई प्रक्रिया के अनुसार यह जरूरी नहीं है कि गन्ने उगाने वाले अपना गन्ना फैक्टरियों को ही बेचें । यदि वे समझते हैं कि उन्हें गन्ने को गुड़ में बदल देने से अधिक लाभ होगा तो वे वैसा कर सकते हैं । यदि वैसा होता है तो फैक्टरियों को गन्ने के लिए अधिक कीमत देनी होगी ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार इस बात का प्रतिवाद करने की स्थिति में है कि गन्ने की बहुत अच्छी फ़स्ल होने के कारण क़ीमत में कमी हो गई है ?

श्री किदवई : यह सच नहीं है । सच तो यह है कि गत कुछ वर्षों में गन्ने की क़ीमत अन्य चीज़ों की फस्लों के मुकाबले में आनुपातिक रूप से अधिक थी और इसीलिए गन्ने की खेती अधिक होने लगी थी तथा चीनी की क़ीमत इतनी अधिक हो गई थी कि वह औसतन उपभोक्ता को उपलब्ध

नहीं थी । अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क़ीमत कम कर दी गई है और उसकी क़ीमत अन्य अनाजों जैसी ही कर दी गई है ।

श्री एस० एन० दास : गन्ने की क़ीमत निर्धारित करने में किस सूत्र अथवा आधार को अपनाया गया है ? क्या यह वही सूत्र है जिसको कुछ वर्षों पूर्व श्री श्रीवास्तव ने रखा था ?

श्री किदवई : किसी भी सूत्र को नहीं अपनाया गया है किन्तु हम ने उन क़ीमतों को ध्यान में रखा है जो लगभग चार वर्ष पूर्व प्रचलित थीं, जब कि गेहूं और चावल की क़ीमतें आज के मुकाबले कहीं अधिक थीं और जब गन्ने की क़ीमत एक रुपया दो आने और एक रुपया चार आने पर निर्धारित की गई थी । यद्यपि आज अन्य अनाजों की क़ीमत पहले से कहीं कम है, फिर भी, हम गन्ने की क़ीमत को उसी अनुपात पर ले आये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अभी हाल ही में जो वादविवाद हुआ था उस में इस प्रकार के अनेक प्रश्न उठाये गये थे । उन्होंने इन सब का स्पष्टीकरण कर दिया था । अब हम दूसरा प्रश्न लेंगे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या ६०८ को प्रश्न संख्या ६०३ के साथ ही रख दिया जाये क्योंकि वे एक ही से हैं ।

श्री वी० वी० गिरि : क्या मुझे प्रश्न संख्या ६०८ का भी उत्तर देना होगा ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

सेवा योजनालय

*६०३. **श्री कृष्ण चन्द्र :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवा योजनालयों के कार्यकरण की जांच के लिए कोई समिति नियुक्त की है जिस के सभापति श्री शिवा राव हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि मैसूर में जैखालीली की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में ७ सितम्बर, १९५२ को दिये गये अपने भाषण में मंत्री जी ने यह कहा था कि उपरोक्त समिति की चाहे कुछ भी सिफारिशें क्यों न हों वह मंत्रालय द्वारा चलाये जाने वाले सेवा योजनालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को बनाये रखेंगे ;

(ग) क्या कुछ समय पूर्व इस प्रकार के आदेश जारी किये गये थे कि भारत सरकार के अन्तर्गत क्लर्कों के और कम वेतन वाले टैकनिकल पदों पर जो भर्ती की जायेगी वह सेवा योजनालयों द्वारा ही की जायेगी; तथा

(घ) क्या सरकार को यह मालूम है कि राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय तथा व्यापारी वर्ग अपने लिए व्यक्तियों को नियुक्त करने में योजनालयों का बहुत ही कम प्रयोग करते हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि :) (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सरकार ने नियुक्तियां करने वाले प्राधिकारियों को यह हिदायतें दे दी हैं कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में खाली होने वाले समस्त स्थान (उनको छोड़ कर जो संघ लोक सेवा आयोग या स्थायी कर्मचारियों की साधारणतया पदोन्नति या खुली प्रतियोगीय परीक्षा द्वारा भरे जाते हैं) उचित सेवा योजनालय को सूचित किये जाने चाहियें और तब तक कोई सीधी भर्ती न की जाये जब तक कि सम्बद्ध सेवा योजनालय यह नहीं कह देता कि वह उपयुक्त उम्मीदवार देने में असमर्थ है ।

(घ) यद्यपि राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों के लिए सेवा योजनालय

भर्ती के मुख्य साधन नहीं बने हैं फिर भी इस कार्य के लिए उनका प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता जाता है ।

सेवा योजनालय

*६०८. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **श्रम** मंत्री ५ जून, १९५२ को बम्बई में दिये गये अपने भाषण का निर्देश करने की कृपा करेंगे जो कि उन्होंने सेवा योजनालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सामने दिया था और विशेषकर निम्नलिखित पंक्तियों का :

"मेरी इस संगठन में दिलचस्पी है और मैं यह देखना चाहता हूं कि सेवा योजनालय स्थायी हो जायें । "

तथा बतलायेंगे :

(क) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने की सम्भावना है ;

(ख) इस सुझाव को कार्यान्वित करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ; तथा

(ग) यदि प्रस्तावित सुझाव कार्यान्वित कर दिया जाये तो भारत सरकार तथा राज्यों को वर्तमान उपक्रमों का खर्चा सहन करने के अलावा और कितना खर्चा सहन करना पड़ेगा ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) से (ग) तक. पुनर्संस्थापन तथा सेवा-योजन के महा निदेशालय की जांच के लिए, जिस में सेवा योजनालय भी सम्मिलित हैं, एक समिति बनाई जा रही है। समिति की सिफारिशों पर यह बात निर्भर करेगी कि सेवा योजनालयों आदि का भावी स्वरूप क्या हो । क्योंकि समिति अपने सुझाव रखेगी इसलिए अभी से यह बतलाना सम्भव नहीं है कि इन सुझावों को कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा तथा कितना खर्च आयेगा । इस समिति को जो निर्देश के पद सौंपे गये हैं मैं उसकी एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३९**]

श्री कृष्ण चन्द्र : क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ?

श्री वी० वी० गिरि : अभी तो उसकी बैठक भी नहीं हुई है ।

श्री कृष्ण चन्द्र : क्या केन्द्रीय सेवा में खाली होने वाले समस्त स्थानों का निर्देश सेवा योजनालयों को किया जाता है तथा इस के साथ साथ उन को समाचारपत्रों में भी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित कराया जाता है ?

श्री वी० वी० गिरि : यदि लोक सेवा आयोग नियुक्ति करता है तो वे समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाते हैं अन्यथा उन्हें प्रकाशित नहीं कराया जाता है ।

श्री कृष्ण चन्द्र : तो फिर क्या मैं यह समझ लूं कि इस एजेन्सी द्वारा जिन व्यक्तियों को नौकर रखा जाता है उन स्थानों के सम्बन्ध में समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित नहीं होते ?

श्री वी० वी० गिरि : लोगों ने अनेक प्रकार की नौकरियों के लिए प्रार्थनापत्र दे रखे हैं तथा उन के नाम पंजीबद्ध किये जा चुके हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा समिति द्वारा कब तक काम आरम्भ कर दने की सम्भावना है ?

श्री वी० वी० गिरि : सदन पटल पर मैंने निर्देश पदों की एक प्रति रख दी है और इस के अलावा मैं इस प्रश्न का उत्तर सदन में कई बार दे चुका हूं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : समिति अपना कार्य कब आरम्भ करेगी ?

श्री वी० वी० गिरि: बहुत जल्दी ही; एक या दो सप्ताह में ।

श्री जी० पी० सिन्हा : सेवा योजनालयों द्वारा क्लर्कों के जो स्थान भरे जाते हैं क्या उन के लिए उन लोगों को रखा जाता है जो नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों के पास से आते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : स्पष्टतः वह यह कहना चाहते हैं कि पक्षपात किया जाता है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : जी हां, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : यह नियमानुकूल नहीं है । दूसरा प्रश्न ।

इंजन और डब्बे

***६०४. श्री जसानी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ।

(क) १ नवम्बर, १९५१ से ३० अक्तूबर, १९५२ तक की अवधि में विदेशों में इंजन, डब्बे आदि के लिए कितने आर्डर दिये गये;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं तथा आर्डर दिये गये सामान का अनुमानित मूल्य क्या है; तथा

(ग) किस एजेन्सी द्वारा आर्डर दिये जाते हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख), एक विवरण, जिसमें सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट३, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ग) भारत स्टोर विभाग, लन्दन के महा संचालक द्वारा ।

श्री जसानी: उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनको आर्डर दिये गये हैं ?

श्री अलगेशन : विवरण में देशों के नाम दिये हुये हैं, किन्तु फर्मों के नाम नहीं । मेरे पास इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री जसानी: क्या इन फर्मों को कोई पेशगी दी गई है, यदि हां, तो राशि कितनी है ?

श्री अलगेशन: मेरे पास इस समय सूचना नहीं हैं किन्तु विभिन्न देशों को कुल कितनी राशि के आर्डर दिये गये हैं यह मैं बतला सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय: कुल लागत कितनी है ?

श्री अलगेशन: यह विवरण में दी हुई है ।

श्री जसानी: दिये गये आर्डर में से अब तक कितने पूरे किये जा चुके हैं ?

श्री अलगेशन: यदि वह किसी विशिष्ट सामान का निर्देश करें तो मैं सूचना दे सकता हूं ।

श्री नम्बियार: इस बात को ध्यान में रखते हुये कि टाटानगर के लोकोमोटिव वर्क्स में डब्बों के ढांचे बनाये जाते हैं, क्या इन आर्डरों में वे भी सम्मिलित हैं ?

श्री अलगेशन: जी हां । विवरण को देखने से पता लगेगा कि ढांचों के लिये भी आर्डर दिये गये हैं किन्तु आर्डर देने से पहले इस बात को देख लिया जाता है कि देश में इस प्रकार का कुल कितना सामान बन सकता है और तभी बाहर आर्डर दिये जाते हैं ।

श्री नम्बियार: टाटानगर के लोकोमोटिव वर्कस में किस सीमा तक डब्बों के ढांचे तैयार किये जाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय: यह तो बहुत बड़ा प्रश्न है ।

श्री अलगेशन: मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

श्री के० के० बसु : क्या इन आडरों को देने से पहले उन विभिन्न देशों से टेन्डर मांगे जाते हैं जो इस प्रकार का सामान देने की स्थिति में होते हैं ?

श्री अलगेशन : टेन्डर मांगे जाते हैं । हमारे अधिकारीगण वहां जा कर इस सम्बन्ध में बातचीत करते हैं और तब आर्डर देते हैं ।

श्री जसानी: डब्बों के लिये जो आर्डर दिये गये हैं उनमें से अब तक कितने पूरे हो चुके हैं तथा अभी कितने पूरे होना बाक़ी हैं ?

श्री अलगेशन: बेलजियम को सम्पूर्ण धातु वाले १०० छोटी लाइन के डब्बों का जो आर्डर दिया गया है उसके अक्तूबर और दिसम्बर, १९५२ के बीच पूरे हो जाने की सम्भावना है ।

श्री जसानी: और इंगलैंड को जो आर्डर दिये गये हैं ?

श्री अलगेशन: जनवरी, १९५३ से ४१ प्रति मास ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था से विशेषज्ञ

***६०५. श्री पुन्नूस**: क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में उत्पादन सम्बन्धी अध्ययन के लिये क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था ने विशेषज्ञों की एक टोली भेजना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो वे विशेषज्ञ कौन कौन से हैं, वे किस देश के रहने वाले हैं, उनकी योग्यतायें क्या हैं तथा उनका पूर्व अनुभव क्या है, उनका वेतन क्या है तथा उन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कितना खर्च किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) उनके हाथ में कौन सी योजना सौंपी जायगी तथा उसका ब्यौरा क्या है, उन योजनाओं को कहां कार्यान्वित किया जायेगा, भारत सरकार इन योजनाओं पर कुल कितना खर्च करेगी और यह योजनायें कब से कार्यान्वित की जायेंगी ;

(घ) क्या योजनाओं को किसी ग़ैर-सरकारी संस्था के पास भी भेजा गया है ; यदि हां, तो वे कौन सी हैं ; तथा

(ङ) क्या इन संस्थाओं ने योजनाओं के सम्बन्ध में अपनी अपनी रायें भेज दी हैं, यदि हां, तो प्रत्येक की राय क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) जी हां । उत्पादन सम्बन्धी अध्ययन तथा काम के हिसाब से मज़दूरी की पद्धति के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करने के लिये भारत सरकार ने आई० एल० ओ० के साथ एक समझौता कर लिया है ।

(ख) अब तक निम्नलिखित विशेषज्ञों को चुना जा चुका है:—

(१) प्रो० टी० यू० मैथियू (नेता)

(२) श्री एच० एफ० रौस

(३) श्री जी० एल० पोस

(४) श्री के० जे० शोन

(५) श्री जेम्स शियरर

योजना में दो भारतीय विशेषज्ञों को भी लगाया जायेगा । उनका चुनाव अभी अन्तिम रूप से नहीं किया गया है ।

विशेषज्ञ इन देशों के निवासी हैं:—

(१) प्रो० टी० यू० मैथियू—ब्रिटेन ।

(२) श्री एच० एफ० रौस—न्यूजीलैंड ।

(३) श्री जी० एल० पीस—ब्रिटेन ।

(४) श्री के० जे० शोन—ब्रिटेन ।

(५) श्री जेम्स शियरर—ब्रिटेन ।

विशेषज्ञों की योग्यतायें तथा अनुभव यह हैं:—

प्रो० टी० यू० मैथियू, पी० एच० डी० (कैन्टाब), एम० एस० सी० (बरमिंघम), प्रिंसिपिल आफ इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, बरमिंघम में लुकस प्रोफेसर । बैराब-कौक एण्ड विलकाक्स, रानफ्रियू में इंजीनियरिंग अप्रेंटिस, किंग्स कालेज, कैम्ब्रिज में सीनियर 'ह्विटवर्थ स्कालर तथा सर जेम्स केप्लर्ड सीनियर स्कालर । साउथ अफ़्रीकन माईनिंग तथा अन्य उद्योगों में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में संलग्न; १९३९-४५ का महा युद्ध—साउथ अफ़्रीकन वार सप्लाईज़ डायरेक्टोरेट तथा यूनियन डिफैन्स फोर्स की कैमिकल डिफैन्स फैक्टरीज़ के टैकनिकल सलाहकार; १९४५ से औद्योगिक तथा नगरपालिका अनुसन्धान में लगे हुये हैं ।

(२) श्री एच० एफ० रौस, आई० एल० ओ० जिनेवा के आर्थिक डिवीज़न के सदस्य ।

(३) श्री जी० एल० पीस, (१९४४ से) औद्योगिक इंजीनियर, लिगटन पीस एण्ड पार्टनर्स इन्डस्ट्रियल इंजीनियर्स एण्ड कनसल्टैन्ट्स, ग्रेट ब्रिटेन के भागीदार । मैदानों में बाहर काम करने का २० वर्ष का अनुभव है । वर्कस मैनेजरों की संस्था के सदस्य हैं । इन्डस्ट्रियल टैकनिशियनों की संस्था के सदस्य हैं ।

(४) श्री के० जे० शोन, रायल टेकनिकल कालेज, ग्लासगो के औद्योगिक प्रशासन विभाग के अध्यक्ष, मैकगिन यूनीवर्सिटी, मोन्ट्रेल में औद्योगिक इंजीनियरिंग के लैक्चरर तथा सहायक प्रोफेसर । इन्स्टीट्यूट आफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सदस्य । इन्स्टीट्यूट आफ मैरीन इन्जीनियर्स के सदस्य (रजत मेडिल विजेता) उन के पास सामुद्रिक इंजीनियरों का प्रथम श्रेणी का प्रमाणपत्र है ।

(५) श्री जेम्स शियरर, इंजीनियरिंग तथा कपड़ा उद्योग में उन्हें २२ वर्ष का अनुभव है । कपड़ा, इंजीनियरिंग तथा छापेखानों में उन्होंने औद्योगिक सलाहकार के रूप में काम किया है । परसोनल एडमिनिस्ट्रेशन लिमिटेड, लन्दन में वह ६ साल से औद्योगिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

विशेषज्ञों को क्या वेतन मिलेगा इसका भारत सरकार को कोई ज्ञान नहीं है क्योंकि उनका वेतन भारत सरकार नहीं देगी । भारत सरकार पर विशेषज्ञों को ठहराने, सफर की व्यवस्था करने तथा दफ्तर सम्बन्धी सहायता देने की ज़िम्मेदारी है ।

(ग) उत्पादन में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से काम के हिसाब से मज़दूरी देने की प्रणालियों को लागू करने और उनमें सुधार करने तथा कुछ ऐसे सीमित मामलों में, जिनमें काम के हिसाब से मज़दूरी देना वांछनीय नहीं समझा जाता, कार्य अध्ययन तथा संगठन के आधुनिक तरीक़ों को लागू करने में योजना से सहायता मिलेगी ।

बम्बई राज्य में कपड़ा उद्योग तथा कलकत्ता क्षेत्र में इंजीनियरिंग उद्योग तक यह योजना सीमित रहेगी । भारत सरकार ने नियोजक प्रादेशिक संस्थाओं द्वारा बड़ी बड़ी स्थापनाओं को प्रश्नावली भेज दी है और ४१ उत्तर भी प्राप्त हो चुके हैं। विशेषज्ञों से परामर्श करके उन उत्तरों के आधार पर सरकार उन यूनिटों का चुनाव करेगी जहां इस योजना को लागू किया जाना चाहिये ।

अनुमान लगाया गया है कि विशेषज्ञ सहायता के लिये (जो ११ महीनों तक मिलेगी) भारत सरकार को ३८,००० रुपया खर्च करना पड़ेगा ।

टोली के अग्रिम नायक दिसम्बर, १९५२ के पहले सप्ताह में भारत पहुंच जायेंगे । योजना की पहली अवस्था में उन

यूनिटों की प्रारम्भिक जांच की जायेगी जिनको सम्मिलित करने की सम्भावना होगी। अतः काम के हिसाब से मज़दूरी तथा उत्पादन सम्बन्धी अध्ययन प्रणालियों के बारे में अग्रिम परियोजनाओं का काम हाथ में लिया जायेगा।

(घ) निम्न लिखित गैर-सरकारी संस्थाओं को योजना का ब्यौरा भेजा जा चुका है:—

राष्ट्रीय संस्थाएं

(१) दी आल इन्डिया आर्गेनाइज़ेशन आफ इन्डस्ट्रियल इमप्लाएर्स, न्यू दिल्ली।

(२) दी इमप्लाएर्स फेडरेशन आफ इन्डिया, बम्बई।

(३) दी आल इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बम्बई।

(४) दी इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नई दिल्ली।

(५) दी यूनाइटेड ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस, कलकत्ता।

(६) दी हिन्द मज़दूर सभा, बम्बई।

प्रादेशिक संस्थाएं

(१) दी इंजीनियरिंग एसोसियेशन आफ इन्डिया, कलकत्ता।

(२) दी इन्डियन इंजीनियरिंग एसोसियेशन, कलकत्ता।

(३) दी मिलओनर्स एसोसियेशन, बम्बई।

(४) दी मिलओनर्स एसोसियेशन, अहमदाबाद।

(ङ) मालिकों तथा मज़दूरों की संस्थाओं ने इस योजना के सम्बन्ध में काफी दिलचस्पी दिखलाई है और पूर्णरूप से सहयोग देने का वचन दिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुये कुछ संस्थाओं ने योजना के वास्तविक संचालन के सम्बन्ध में और बातें जाननी चाही हैं तथा कुछ ने इसको सफल बनाने के उद्देश्य से सुझाव भी रखे हैं। कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:—

(१) दी आल इन्डिया आर्गेनीज़ेशन आफ इन्डस्ट्रियल इमप्लाएर्स, नई दिल्ली ने यह सुझाव रखा है कि योजना को केवल उन्हीं यूनिटों तक सीमित रखा जाये जहां वैज्ञानिक ढंग पर प्रबन्ध किया जाता है विशेषकर, समय और गति अध्ययन तथा कार्य सम्बन्धी मूल्य निर्धारण की आवश्यकता होती है।

(२) दी इमप्लायर्स फ़ेडरेशन आफ़ इन्डिया ने यह राय प्रकट की है कि विशेषज्ञों की सहायता कम से कम एक वर्ष तक उपलब्ध रहे। वर्तमान योजना ११ महीने तक की है। उन्होंने यह भी कहा है कि इंजीनियरिंग उद्योग उस प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं करता जिस प्रकार से कपड़ा उद्योग करता है तथा इसीलिये जो कठिनाइयां एक उद्योग में उठानी पड़ती हैं हो सकता है वे दूसरे उद्योग में न उठानी पड़ें।

(३) दी अहमदाबाद टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज़ रिसर्च एसोसियेशन ने सुझाव दिया है कि योजना की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगी कि सम्बद्ध यूनिटों में लगे हुये मज़दूरों का रवैया कैसा रहता है।

अध्यक्ष महोदय: इसके पूर्व कि हम अनुपूरक प्रश्नों को लें मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि उन मामलों में जिन में सूचना देनी हो—जैसी कि इस प्रश्न के भाग (ख), (घ) तथा (ङ) के सम्बन्ध में दी हुई है—यह अच्छा होगा कि समस्त सूचना को सदन में पढ़ने की अपेक्षा उसे एक विवरण के रूप में सदन पटल पर रख दिया जाये। इसमें

अनावश्यक रूप से अधिक समय लगत और अन्य प्रश्न भी पूछे जाने से रह जाते हैं।

श्री वी० वी० गिरि : गलती हो गई है ।

श्री पुन्नुस: क्या भारत सरकार के पास मज़दूरों द्वारा किये गये उत्पादन का सूची-पत्र है ? क्या उन्होंने कोई आंकड़े जमा किये हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : जी नहीं ।

श्री पुन्नुस: क्या मैं यह समझ लूं कि मज़दूरों द्वारा किये गये उत्पादन के सम्बन्ध में आंकड़े जमा करने का सरकार द्वारा यह पहला ही प्रयास है ?

श्री वी० वी० गिरि : हो सकता है कुछ आंकड़े हों किन्तु यह काम पहले पहल हाथ में लिया जा रहा है ।

श्री पुन्नुस: क्या मैं यह समझ लूं कि भूतकाल में इस देश में मज़दूरों द्वारा किये गये उत्पादन की तुलना अन्य देशों के मज़दूरों द्वारा किये गये उत्पादन से नहीं की गई है ?

श्री वी० वी० गिरि: समिति हमें समस्त सूचना दे सकेगी।

श्री पुन्नूस: मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भूतकाल में सरकार ने इस प्रकार की कोई तुलना की है ?

श्री वी० वी० गिरि: हो सकता है वह तुलना विशेषज्ञों के ढंग से न की गई हो।

श्री नम्बियार: विशेषज्ञों तथा उनकी कार्यवाहियों से इस देश के मज़दूरों का किस प्रकार भला होगा ?

अध्यक्ष महोदय: अभी यह पूछना समय से पूर्व है ।

श्री वैंकटारमन् : उत्पादन के सम्बन्ध में अध्ययन करने के साथ साथ क्या विशेषज्ञ उत्पादन में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप प्रबन्ध सम्बन्धी खर्चे में होने वाली वृद्धि, घोषित किये गये लाभांश में वृद्धि, आदि का भी अध्ययन करेंगे जिससे हम यह जान सकें कि उत्पादन बढ़ाने में मज़दूरों का कहां तक हाथ रहा है ?

श्री वी० वी० गिरि: निश्चय ही ।

किरीलियम

*६०६. **श्री एम० एल० द्विवेदी**: (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मंत्रालय ने नकली रसायन का, जिसे किरीलियम कहा जाता है और जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में तैयार किया गया है तथा जिसमें यह गुण है कि वह बंजर ज़मीन को भी उपजाऊ बना सकता है, भारतीय ज़मीन पर प्रयोग करने का प्रयत्न किया है ?

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार के साथ इस रसायन को पर्याप्त मात्रा में देश के अन्दर आयात करने के सम्बन्ध में कोई प्रबन्ध हुआ है ?

(ग) साधारण कृषिसार के मुक़ाबले में इस नये रसायन से अन्य लाभ क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां। सरकार ने भारत के कुछ कृषि केन्द्रों में इस नये रसायन किरीलियम को प्रयोग के लिये प्राप्त करने का प्रबन्ध कर लिया है ।

(ख) जी नहीं । इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही तब ही की जायेगी जब भारतीय परिस्थितियों के अन्तर्गत किये जाने वाले प्रयोगों का परिणाम मालूम हो जायेगा ।

(ग) किरीलियम के बारे में यह दावा किया जाता है कि इससे मट्टी के—विशेष रूप से अधिक चिकनी और अधिक रेतीली मट्टी के—भौतिक गुणों में, जैसे जुताई, वायु प्रभाव सहने तथा नमी धारण करने की शाक्ति आदि में, तथा फ़स्ल पैदा करने में सुधार होता है। यह कृषिसार नहीं है तथा

पौधों की उपज के लिये जिन खाद्य तत्वों की आवश्यकता होती है वे इसमें नहीं पाये जाते । यदि अधिक से अधिक फ़स्ल पैदा करनी है तो किरीलियम के अलावा अन्य कृषिसारों का भी प्रयोग करना पड़ेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या इसकी खोज अभी कहीं समाप्त हुई या नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं, अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा । फ़िलहाल जो उन्होंने बनाया है उसकी क़ीमत बहुत ज्यादा है जो कि दस पौंड के हिसाब से पड़ती है । एक एकड़ को २०० से ४०० पौंड लगता है तो उसकी कीमत क़रीब चार हज़ार फ़ी एकड़ होगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सिंचाई की छोटी योजनाएं

*५१२. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ में केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को सिंचाई की छोटी योजनाओं के सम्बन्ध में कितनी सहायता दी गई ?

(ख) उक्त योजनाओं के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों ने किस प्रकार की सहायता या सहयोग दिया तथा योजनाओं को कार्यान्वित करने में इस सहायता का वास्तव में किस सीमा तक उपयोग किया गया ?

(ग) उसी अवधि में विभिन्न राज्यों में कौन से भूमि क्षेत्र कृषि योग्य बनाये गये तथा किस लागत पर ?

(घ) उक्त सिंचाई योजनाओं में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस सीमा तक सहायता दी तथा उत्तर प्रदेश के खाद्य की कमी वाले ज़िलों में कितने भूमि क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) १९५१-५२ में सिंचाई योजनाओं के लिये विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सरकार ने निम्न आधार पर आर्थिक सहायता दी थी :

(१) उन सार्वजनिक योजनाओं के सम्बन्ध में, जो लाभकारी हैं अर्थात् जिनकी लागत २० वर्ष में वसूल हो जाती है, होने वाले ख़र्चे की सीमा तक ऋण देना ;

(२) अलाभकारी योजनाओं के संबंध में अलाभकारी भाग को, होने वाले कुल ख़र्चे तथा २० वर्ष के कुल राजस्व के पूंजी मूल्य के अन्तर के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसको केन्द्रीय सरकार तथा सम्बद्ध राज्य सरकार निम्न अनुपात से सहन करती है :

उड़ीसा तथा आसाम को छोड़ कर भाग 'क' तथा 'ख' राज्य ।	५० : ५०
आसाम और उड़ीसा	२।३ भारत सरकार द्वारा तथा १।३ राज्य सरकार द्वारा ।
कुर्ग को छोड़ कर भाग 'ग' राज्य ।	सब का सब भारत सरकार द्वारा ।
कुर्ग	३।४ भारत सरकार द्वारा तथा १।४ राज्य सरकार द्वारा ।

गैर-सरकारी योजनाओं के सम्बन्ध में हिताधिकारी योजना की लागत का ५० प्रतिशत सहन करेंगे तथा शेष ५० प्रतिशत भारत सरकार तथा राज्य सरकार उपरोक्त अनुपात के अनुसार सहन करेंगी ।

१९५१-५२ में समस्त राज्यों के लिये कुल ६४६.५१ लाख रुपये ऋण के रूप में तथा ३८७.५६ लाख रुपये अनुदान के रूप में मंजूर किये गये थे।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में उल्लिखित खर्चे के भाग को सहन करने के अलावा राज्य सरकारों पर योजनाओं की वास्तविक कार्यान्विति तथा उसके सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधायें देने की जिम्मेदारी होती है। १९५१-५२ में सिंचाई योजनाओं की कार्यान्विति में राज्य सरकारों द्वारा वास्तव में किस सीमा तक आर्थिक सहायता दी गई यह सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है।

(ग) १९५१-५२ में विभिन्न राज्यों में कितना भूमि क्षेत्र कृषि-योग्य बनाया गया, इस सम्बन्ध में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४१**]

भूमि को कृषि योग्य बनाने में जो व्यय हुआ है उसके सम्बन्ध में पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है, इसीलिये उसे केवल उन मामलों में दिया गया है जिनके सम्बन्ध में वह उपलब्ध है।

(घ) १९५१-५२ के दौरान में स्वीकृत सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहन किया जाने वाला अनुमानित व्यय ८१,९१,४८२ रुपये था। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने उस वर्ष वास्तव में कितना व्यय किया यह सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है। उस वर्ष उत्तर प्रदेश के खाद्य की कमी वाले ज़िलों में लगभग ८०,००० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई गई थी, कुल भूमि के इस भाग को कृषि योग्य बनाने पर कितना व्यय हुआ यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

कृषि सूचना संगठन

*५९८. **श्री बुच्चिकोटैय्या :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में एक कृषि सूचना संगठन स्थापित करने का विचार है, यदि हां, तो वह कब और कहां स्थापित किया जायेगा ?

(ख) संगठन के कर्मचारीवर्ग तथा उसके संचालन पर अनुमानित वार्षिक व्यय क्या होगा ?

(ग) देश के किसानों के लिये इस संगठन को लाभदायक बनाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(घ) इस संगठन का संचालन सफलतापूर्वक करने के लिये क्या किसान संगठनों की राय ली जायेगी ?

(ङ) इस संगठन में कार्य करने के लिये क्या किसी विदेशी विशेषज्ञों को बुलाने की योजना है और यदि हां, तो वे कौन हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अधीन कृषि सूचना फैलाने के लिये एक अखिल भारतीय संगठन स्थापित किया जा रहा है।

(ख) यह सब कुछ १७ से १९ नवम्बर १९५२ तक लखनऊ में हुये अखिल भारतीय कृषि सूचना सम्मेलन की सिफ़ारिशों पर निर्भर करेगा।

(ग) प्रस्तावित संगठन के स्थापित करने में किसानों का सक्रिय सहयोग मांगा जा रहा है तथा इसके संचालन में सहायता देने के लिये उन्हें अधिक से अधिक संख्या में बुलाया जायेगा।

(घ) जी हां।

(ङ) जी नहीं । यदि आवश्यक हुआ तो विदेशी विशेषज्ञों को एक या दो वर्षों के लिये परामर्शदाता के रूप में बुला लिया जायेगा ।

दिल्ली और नई दिल्ली के लिए नगर-निगम

*६०७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** २२ दिसम्बर, १९४९ को श्री देशबन्धु गुप्ता द्वारा दिल्ली की प्रशासनीय व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछे गये अल्प सूचना प्रश्न के बारे में दिये गये उत्तर की ओर और भारत की संविधान सभा (विधायिनी) के नवम्बर–दिसम्बर १९४९ वाले सत्र में स्वर्गीय देशबन्धु गुप्ता द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में दिये गये आश्वासनों, वायदों तथा वचनों पर की गई कार्यवाही के विवरण में दी गई जानकारी की ओर निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से अब तक दिल्ली राज्य विधान सभा ने मामले पर गौर कर लिया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो मंत्रिमंडल के उस निश्चय के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है जिसके अनुसार दिल्ली और नई दिल्ली के लिये दो पृथक् पृथक् नगर-निगम तथा ग्राम्य क्षेत्रों के लिये एक ज़िला बोर्ड स्थापित किया जाना था । तथा इन निकायों की कार्यवाहियों का समन्वय सपरिषद् मुख्य आयुक्त द्वारा होना था ; तथा

(ग) इन निकायों के कौन सी तारीख तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य मंत्रिणी (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी नहीं, किन्तु दिल्ली राज्य सरकार ने मामले पर विचार किया है ।

(ख) भारत सरकार के कहने पर दिल्ली राज्य सरकार ने दिल्ली के लिये एक निगम बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा यह राय प्रकट की कि इसे मुख्यतः इसलिये छोड़ दिया जाना चाहिये क्योंकि प्रस्तावित निगम को राजस्व के जितने साधन उपलब्ध हो सकेंगे वे उसे बनाये रखने के लिये पर्याप्त न होंगे। इन परिस्थितियों में सारे के सारे मामले पर और आगे विचार किया जा रहा है ।

(ग) उत्पन्न ही नहीं होता ।

क्षयरोग-नाशक गोलियां

*६०९. **श्री जसानी** : (क) **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या संघ सरकार को किसी जर्मन फ़र्म द्वारा भेजी गई क्षयरोग-नाशक गोलियां प्राप्त हुई हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो उन गोलियों के नाम क्या हैं तथा उनके निर्माताओं का नाम क्या है ?

(ग) क्या इनका प्रयोग किसी रोगी पर किया गया है और यदि हां, तो क्या परिणाम रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्रिणी (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी हां, बम्बई की एक भारतीय फ़र्म द्वारा, जो जर्मन फ़र्म की भारत में एजेण्ट है ।

(ख) दवाई का साधारण नाम आईसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राज़ाइड है किन्तु उसके निर्माता मैसर्स शिरिंग ए० जी, बर्लिन उसे 'एरटूबन' के व्यापारी नाम से बेचते हैं ।

(ग) अन्य फ़र्मों से प्राप्त दवाई के नमूनों के सम्बन्ध में रुजालयों में परीक्षण किये गये हैं तथा इन परीक्षणों के परिणाम ११ नवम्बर, १९५२ के तारांकित प्रश्न संख्या १८६ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में पहले ही बतलाये जा चुके हैं ।

चपड़ा

*६१०. **श्री सी० आर० चौधरी** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत् तीन वर्षों में भारत में चपड़े का कुल कितना उत्पादन हुआ था ?

(ख) उक्त अवधि में चपड़े का कुल कितना निर्यात हुआ तथा किन किन देशों को ?

(ग) क्या भारत में चपड़े को किसी नये ढ़ंग से प्रयोग में लाया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध सख्या ४२**]

(ग) चपड़े को प्रयोग में लाने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला गया है जिस के अनुसार चपड़े को अमोनिआ में मिलाकर छोटे छोटे छेद वाले मट्टी के बर्तनों पर लगाया जाता है । वर्तनों पर तीन या चार बार पुताई करके उन्हें सूखने दिया जाता है तथा बाद में ४ या ५ घन्टे तक उन्हें १३०-१४० सेन्टीग्रेड के ताप में तपाया जाता है । ऐसा करने पर उन बर्तनों पर गर्म पानी, तेल, नमक, धुले हुए साबुन, आदि का कोई असर नहीं पड़ता । इस प्रकार से पोते गये मट्टी के वर्तन नीरा जमा करने के लिये बहुत उपयुक्त पाये गये हैं । खाना परसने के लिये भी इस प्रकार से पोती गई रकाबियों का प्रयोग किया गया है क्योंकि उनको धो कर बार बार प्रयोग किया जा सकता है । इस प्रकार पुते हुए बर्तनों में नमक, तेल, गुड़, मुरब्बा इत्यदि दैनिक प्रयोग की अन्य वस्तुएं रखी जा सकती हैं ।

हैलीकौप्टर

*६११. **श्री राधा रमण** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पास कोई हैलीकौप्टर है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार के पास भारत में इस प्रकार के हवाई जहाजों को रक्षा अथवा असैनिक कार्यों के सम्बन्ध में प्रयोग करने की कोई योजना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी नहीं ।

(ख) ऐसे क्षेत्रों में खोज करने तथा सहायता देने के लिये, जहां स्थल संचरण की कठिनाई होती है तथा टिड्डी नाशक कार्यवाही में प्रयोग करने के लिये एक या दो हैलीकौप्टर मंगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

टोंस नदी पर रेलवे पुल

*६१२. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश की राज्य-परिषद् के एक सदस्य ने जो स्थानीय मंत्रणा समिति (ओ० टी० जोन) के भूतपूर्व सदस्य रह चुके हैं, उसकी एक बैठक में यह सुझाव रखा था कि चिल बारागांव तथा फिफाना के बीच टोंस नदी पर बने हुए रेलवे पुल को चौड़ा करके उस पर पैदल चलने वालों तथा सवारी गाड़ियों के लिये स्थायी रूप से एक रास्ता बना दिया जाये ;

(ख) यदि ऐसा है तो तत्कालीन समिति ने उक्त सुझाव के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की थी ; तथा

(ग) क्या सरकार मामले पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) इसका उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) पुल को चौड़ा करके यातायात के लिये सड़क बनाने का सुझाव अव्यवहार्य है ।

खाद्यान्न का विनियत्रंण

*६१३. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों पर से सब नियंत्रण हटा लिये गये हैं ;

(ख) क्या योजना आयोग की मंत्रणा परिषद् ने सरकार को ऐसी कार्यवाही न करने की सलाह दी थी ;

(ग) क्या कुछ समय पूर्व मद्रास में किये गये विनियंत्रण से कीमतें बढ़ गई थीं ;

(घ) क्या यह सत्य है कि सब बातों को देखते हुए भारत में खाद्यान्न की कमी है ; तथा

(ङ) क्या सरकार का विचार बाहर से खाद्यान्न का आयात करने का प्रश्न गैर-सरकारी व्यापारियों पर छोड़ देने का है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी नहीं ।

(ख) बोर्ड के सदस्यों की साधारणतः राय यह थी कि खाद्यान्न पर पर्याप्त नियंत्रण बनाये रखा जाये ।

(ग) मद्रास के कुछ कमी वाले तथा कुछ आधिक्य वाले जिलों में नियंत्रण ढीला करने के कारण कीमतें कुछ बढ़ गई हैं । कुछ कमी वाले जिलों में कीमतें घट गई हैं । किन्तु यह कीमतें उन कीमतों के मुकाबले बहुत कम हैं जो १९५१ में मद्रास में इसी अवधि में प्रचलित थीं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) जी नहीं ।

खाद्यान्न लाने वाले जहाज़ों में धड़ाका

*६१४. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या संयुक्तराष्ट्र अमेरिका से खाद्यान्न लाने वाले जहाज़ों में धड़ाका हुआ और सारा खाद्यान्न समुद्र में डूब गया ?

(ख) यदि ऐसा है तो यह हानि भारत अथवा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सहन करेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) केवल "ज र्ज वालटन" नामक एक स्टीमर के जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से गेहूं लाद कर ला रहा था, इंजन वाले कमर में धड़ाका हुआ था तथा नवम्बर, १९५१ में उत्तरी प्रशान्त महासागर में डूब गया था ।

(ख) स्टीमर में जो गेहूं लदा हुआ था वह भारत सरकार का माल था । यदि यह प्रमाणित करना सम्भव न हुआ कि इंजन वाले कमरे में धड़ाका स्टीमर के मालिकों की लापरवाही से हुआ है तो यह नुकसान भारत सरकार को ही उठाना पड़ेगा और यदि ऐसा करना सम्भव हो गया तो हो सकता है यह नुकसान स्टीमर के मालिकों से पूरा करा लिया जाये जो कि इस मामले में स्वयं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार है । इस समय यह मामला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विचाराधीन है तथा वाशिंग्टन स्थित भारतीय प्रदाय मंडल इसकी देख रेख कर रहा है ।

रेलवे में छंटनी

*६१५. **श्री के० के० बसु :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्गीकरण के पश्चात् से विभिन्न रेलों में ऐसे नान-गजटेड तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या क्या है जिनकी छंटनी कर दी गई है या जिन्हें नीचे के पदों पर रख दिया गया है ;

(ख) वर्गीकरण के पश्चात् से विभिन्न रेलों में दायर किये गये दावों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या इस वर्गीकरण के संबन्ध में व्यापारियों और जनता ने कोई शिकायत भेजी है; तथा

(घ) वर्गीकरण के पश्चात् विभिन्न रेलों में कितने अतिरिक्त घोषित पद कायम किये गये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सदर्न रेलवे को छोड़ कर, जहां १४ नान-गजेटेड कर्मचारियों को जो उच्च पदों पर काम कर रहे थे, उन्हें अपने पहले पदों पर नियुक्त कर देने के अलावा वर्गीकरण के पश्चात् से रेलों के कर्मचारियों की कोई छंटनी अथवा पद-अवनीति नहीं की गई है।

(ख) वर्गीकरण होने के समय से ३१ अक्तूबर, १९५२ तक विभिन्न रेलों के विरुद्ध दायर किये गये दावों की संख्या ४,७१,२९८ थी।

(ग) सेन्ट्रल रेलवे में कुछ छोटी छोटी शिकायतों को छोड़ कर कोई विशेष शिकायत नहीं की गई है।

(घ) वर्गीकरण के पश्चात् से भारतीय रेलों के घोषित पदाधिकारियों की संख्या में कोई वृद्ध नहीं हुई है। इसके विपरीत घोषित पदों की संख्या ही में कुछ कमी की गई है। रेलों की वर्गीकृत व्यवस्था के लिये पद-श्रेणीयों का अन्तिमरूप से निर्धारण करने का कार्य अभी हो रहा है।

फतहपुर-रामगढ़-चुरु रेलवे लाइन

*६१६. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजस्थान में फतहपुर-रामगढ़-चुरु रेलवे लाइन बनाने का काम एक बार भूतपूर्व जयपुर राज्य ने अपने हाथों में लिया था किन्तु बाद में बन्द कर दिया गया ;

(ख) यदि ऐसा है तो उसे क्यों बन्द किया गया था ; तथा

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उस लाइन को बनाने का काम हाथ में लेने का है और यदि हां तो कब ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं।

(ख) उत्पन्न ही नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन

*६१७. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में हाल ही में हुए खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई तथा क्या निश्चय किये गये; तथा

(ख) क्या यह निश्चय सब के लिये अनिवार्य है अथवा सिफारिश के तौर पर हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) बम्बई में कुछ राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ सामन्य खाद्य परिस्थितियों तथा भविष्य नीति के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी। वार्ता केवल प्रारम्भिक रूप से की गई थी और कोई निश्चय नहीं किये गये थे।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

निर्माण प्रोग्राम

*६१८. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मंत्रालय का निर्माण प्रोग्राम कार्यालय स्थान तथा कर्मचारियों के लिये क्वार्टर दोनों ही के सम्बन्ध में बहुत पिछड़े गया है ; तथा

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है तथा इसके फलस्वरूप मंजूर की गई राशि कालातीत हो जाती है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में (वर्ष प्रति वर्ष) इस प्रकार कितनी राशि कालातीत हुई ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कुछ सीमा तक निर्माण प्रोग्राम पिछड़ गया है ।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इस मंत्रालय की निर्माण सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने में समर्थ है । कुछ सीमा तक राशि कालातीत हो गई थी क्योंकि भूमि-अधिगति करने में देर हो गई थी । गत तीन वर्षों में इस प्रकार कितनी राशि कालातीत हुई इसका एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४३**]

श्रेणी ४ अधिकारियों के क्वार्टर

*६१९. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के लिये डाक तथा तार की मंत्रणा समिति ने यह सिफारिश की है कि उस विभाग के श्रेणी ४ अधिकारियों के क्वार्टरों में जो प्रामाणिक रहने का स्थान दिया गया है वह बहुत ही अपर्याप्त है तथा बागीचों में काम करने वाले मजदूरों के लिये जो स्तर रखा गया है वही डाक तथा तार विभाग के श्रेणी ४ अधिकारियों के लिये भी रखा जाना चाहिये ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां । ऐसा समझा जाता है कि अपनी हाल की एक बैठक में आसाम के लिये डाक तथा तार की मंत्रणा समिति ने डाक तथा तार विभाग की श्रेणी ४ के कर्मचारियों को दिये गये आवास-स्थानों को चाय बागीचों में काम करने वाले व्यक्तियों को साधारणतः दिये जाने वाले आवास-स्थानों के मुकाबले में कम होने का प्रश्न उठाया था । इस सम्बन्ध में अभी तक कोई शासकीय रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) पूरी रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर इस पर विचार किया जायेगा ।

उपनगरों में चलने वाली रेलगाड़ियां (मासिक किराया)

*६२०. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **रेल मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा के उपनगरों में चलने वाली रेलगाड़ियों के तीसरे दर्जे के मासिक किराये में १ नवम्बर, १९५२ से कुछ वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि ऐसा है तो वृद्धि की दर क्या है तथा यह वृद्धि क्यों हुई है ; तथा

(ग) क्या यह सत्य है कि प्रतिदिन के किरायों के अनुपात में तीसरे दर्जे के मासिक किराये पहले ही से अन्य दर्जों के मुकाबले बढ़े हुए थे और यदि हां, तो यह भेद क्यों ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, हावड़ा

डिवीज़न में ५८ मील से कम दूरी वाले स्थानों के सम्बन्ध में ।

(ख) वृद्धि दूरी के अनुसार होती है तथा अधिकतर मामलों में मासिक टिकटों के किरायों में ८ आने से लेकर एक रुपये तक की वृद्धि हुई है । फिर भी, अधिकतम वृद्धि १ रुपये ७ आने तक होती है ।

तीसरे दर्जे के मासिक उपनगरीय किरायों के प्रामाणिक आधार पर चालू कर देने से, जो कि कलकत्ते के उस उपनगरीय क्षेत्र में एकरूप से लागू होता है जहां पहले भूतपूर्व बी० ए०, बी० एन० और ई० आई० रेलवे चला करती थीं तथा जिसको इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि उससे पहले ही जितना राजस्व प्राप्त हो सके, उन क्षेत्रों के किरायों में अवश्य ही कुछ वृद्धि हो गई है जहां पहले किराये बहुत ही कम थे तथा साथ ही कुछ अन्य क्षेत्रों में कमी भी हो गई है । इस प्रकार की कमी न केवल उन क्षेत्रों में हुई है जो कि पहले भूतपूर्व बी० ए० रेलवे के सियालदा डिवीज़न में आते थे और जिन में पहले भूतपूर्व बी० एन० रेलवे के स्टेशन पड़ते थे बल्कि भूतपूर्व ई० आई० रेलवे के उन स्टेशनों पर भी जो ५८ मील या उससे दूर स्थित हैं ।

(ग) किसी भी दर्जे में मासिक उपनगरीय किरायों को साधारणतः एक तरफ के किराये के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता है । तीसरे दर्जे के मामले में यदि उनका किराया पहले दर्जे के साधारण किराये के अनुपात में अधिक बैठता है तो कुछ सीमा तक इसका कारण यह है कि साधारण रेलों के मुकाबले उपनगरीय रेलों के ऊंचे दर्जों में सुविधाओं की जो व्यवस्था होती है वह बहुत ही कम होती है जब कि तीसरे दर्जे के सम्बन्ध में इतना अन्तर नहीं होता है । इसके अलावा तीसरे दर्जे के उपनगरीय सीज़न टिकटों के किरायों को ध्यान में रखते हुए ऊंचे दर्जे के उपनगरीय सीज़न टिकटों के किरायों में इस प्रकार समायोजन करना पड़ता है जिससे ऊंचे दर्जों में अधिक लोग यात्रा करना पसन्द करें ।

बिलासपुर तथा डंगरगढ़ के बीच रेलगाड़ी

*६२१. **श्री किरोलिकर :** रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ईस्टर्न रेलवे पर बिलासपुर और डंगरगढ़ के बीच एक स्थानीय रेलगाड़ी चला करती थी और वह युद्ध काल में बन्द कर दी गई थी ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार का विचार उसे फिर से चलाने का है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) डब्बों और विद्युत स्थिति में सुधार हो जाने पर जिन रेलगाड़ियों को पुनः चलाने की सूची तैयार की गई है उसमें इसे भी शामिल किया जा चुका है तथा ईस्टर्न रेलवे की प्राथमिता सूची में इसका स्थान पांचवां है ।

पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्न का संभरण

६२२. **श्री एम० बी० चौधरी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) स० १९५३ में कलकत्ते तथा पश्चिमी बंगाल के औद्योगिक क्षेत्र को चावल और गेहूं की कितनी मात्रा भेजी जायेगी ;

(ख) क्या भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार से केन्द्रीय खाद्यान्न स्टाक में से कुछ अभ्यंश देने के लिये कहा है ; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो पश्चिमी बंगाल सरकार से चावल कितनी मात्रा में लेने की आवश्यकता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सन् १९५३ में भारत सरकार ने कलकत्ते को खाद्यान्न देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है तथा आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न भेजा जायेगा ।

(ख) तथा (ग) । केन्द्रीय खाद्यान्न स्टाक के पश्चिमी बंगाल १$\frac{1}{2}$ लाख टन चावल देगा तथा यदि अब तक जो प्रारम्भिक आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके मुकाबले में फस्ल वास्तव में अच्छी रही तो इस मात्रा को बढ़ाया भी जा सकता है ।

व्यावसायिक प्रशिक्षण कन्द्र

*६२३. **श्री रूप नारायण :** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम मंत्रालय के प्रशासन के अंतर्गत भारत में कितने व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं ;

(ख) क्या प्रशिक्षार्थियों को ऐसे प्रमाण-पत्र, डिप्लोमें या डिगरियां दी जाती हैं जो स्वीकृत की जा चुकी हैं ;

(ग) यदि प्रमाण-पत्र स्वीकृत नहीं किये गये हैं तो ऐसा क्यों है तथा क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है ; तथा

(घ) क्या सरकार प्रशिक्षार्थियों को यह भी आश्वासन देती है कि प्रशिक्षण समाप्त हो जाने पर उन्हें नौकरियां दिलवा दी जायेंगी ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) ६२ ।

(ख) तथा (ग) । प्रशिक्षार्थियों को दिये जाने वाले डिप्लोमाओं को कुछ राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के प्राधिकारियों ने स्वीकार कर लिया है । अन्य सरकारों से इस मामले पर बातचीत हो रही है ।

(घ) जी नहीं ।

अर्जेन्टाइन से गेहूं

२०१. **श्री नानादास :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों में अर्जेन्टाइन से आयात किये गये गेहूं की मात्रा तथा कुल मूल्य क्या है ;

(ख) आयात किस मूल्य पर किया गया था ;

(ग) क्या अजन्टाइन सरकार के साथ कोई इस प्रकार का वस्तु-विनिमय समझौता हुआ है कि पटसन की वस्तुओं के बदले वह हमें अपना गेहूं देगी ; तथा

(घ) यदि ऐसा है तो कितना तथा कितने अनुमानित मूल्य पर ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : सन् १९४८ से १९५१ तक के चार वर्षों में अर्जेन्टाइन से आयात किये गये गेहूं की मात्रा तथा सन् १९४८ से १९५० तक के पहले तीन वर्षों में आयात किये गये गेहूं का मूल्य (जहाज़ी भाड़े सहित) इस भांति था :—

वर्ष	मात्रा (हज़ार टनों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
१९४८	९०	३५६
१९४९	२९९	११४०
१९५०	४८५	१७६१
१९५१	५१३	

अर्जेन्टाइन से गेहूं का आयात वस्तु-विनिमय के आधार पर किया गया है तथा सन् १९५१ में आयात किये गये गेहूं का मूल्य प्रकट करना लोक हित में न होगा।

१९५१ में गेहूं का आयात नहीं किया गया।

(ख) जैसा कि अभी अभी ऊपर बतलाया गया अर्जेन्टाइन से गेहूं अन्य वस्तुओं के बदले में प्राप्त किया गया।

(ग) जी हां।

(घ) सन् १९५३ के प्रथम आधे भाग में जो गेहूं मिलेगा उसके बदले में हम ४० हज़ार मिट्रिक टन पटसन की वस्तुएं दे रहे हैं। इस बात का खेद है कि गेहूं की मात्रा या इसका अनुमानित मूल्य नहीं बतलाया जा सकता क्योंकि ऐसा करना लोक हित में न होगा।

खाने के तेल

२०२. **श्री दाभी :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में सन् १९४९, १९५० तथा १९५१ में उत्पादित खाने के तेल की कुल मात्रा ;

(ख) देश में सन् १९४९, १९५० तथा १९५१ में प्रयोग किये गये खाने के तेलों की कुल मात्रा ;

(ग) १९४९, १९५० तथा १९५१ में देश से बाहर भेजे गये खाने के तेलों की कुल मात्रा ; तथा

(घ) देश में १९४९, १९५० तथा १९५१ में उत्पादित घानी के खाने के तेलों की कुल मात्रा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग) तक सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें उपलब्ध सूचना दी गई है।

(घ) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

सन् १९४९, १९५० तथा १९५१ में देश में खाने के तेलों का अनुमानित उत्पादन तथा खपत तथा उनका देश से बाहर निर्यात

(हज़ार टनों में)

	१९४९	१९५०	१९५१
उत्पादन	११४८	१३१०	१३२३
खपत	११६४	१२०८	१२२८
निर्यात	३२	३८	८१

नोट :-(१) खाने के तेलों में मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, अलसी का तेल, राई का तेल और तिल का तेल तथा नारियल का तेल शामिल हैं। अन्य खाने के तेल जैसे, कर्डी, नाइगर आदि शामिल नहीं किये गये हैं क्योंकि इन तेलों के सम्बन्ध में पूछे गये आंकड़े उपलब्ध हैं।

(२) अनुमानित आवश्यकताओं का खपत से पता लगता है। १९४९ में खपत और निर्यात उत्पादन से जितना अधिक हुआ उसके बारे में यह समझा जाता है कि उसकी कमी पिछले वर्ष की बचत से पूरी की गई थी। इसके अलावा नारियल के तेल की खपत का अनुमान देश के अन्दर उत्पन्न हुए तथा बाहर से मंगाये गये नारियल और कोपरा से बनाये गये तेल तथा विदेशों से

आयात किये गये नारियल के तेल की मात्राओं को जोड़ कर फैलाया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग

२०३. **श्री दाभी :** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य के गुजरात जिले में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं ;

(ख) बम्बई राज्य के गुजरात जिले में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई क्या है तथा वे किन किन स्थानों से गुजरते हैं;

(ग) वे किस वर्ष बनाये गये थे, प्रत्येक के निर्माण के पश्चात् उस पर कितना रुपया व्यय हुआ, चालू वर्ष में प्रत्येक की मरम्मत पर कितना रुपया खर्च किया जाना है तथा यह धन कहां से प्राप्त होगा ; तथा

(घ) क्या बम्बई राज्य में नये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने या पुराने राजमार्गों को बढ़ाने का कोई विचार है तथा यदि है तो वे कौन से हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) 'गुजरात जिले' से माननीय सदस्य का अभिप्राय सम्भवतः बम्बई राज्य के उन क्षेत्रों से है जिन में मुख्य रूप से गुजराती बोली जाती है। इन क्षेत्रों में होकर दो राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ८ (दिल्ली—अहमदाबाद—बम्बई) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ८-क (अहमदाबाद—कांडला) गुजरते हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ८ बम्बई, नवासारी, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद तथा हिम्मत नगर को मिलाता है। गुजराती क्षेत्रों में इस की लम्बाई लगभग ३१० मील है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ८-क अहमदाबाद और बगोदरा को मिलाता है। गुजराती क्षेत्रों में इसकी लम्बाई लगभग ४० मील है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग क कुछ भाग पुरानी विद्यमान सड़कों के रूप में हैं जिनके निर्माण की तिथि तथा परिव्यय ज्ञात नहीं है। खर्चे के आंकड़े जिलेवार नहीं रखे जाते हैं ; हां, बम्बई राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ८ के बीचबीच के खाली स्थानों तथा पुलों का निर्माण वर्ष १९४९-५० में प्रारम्भ हुआ था और उन पर वर्ष १९५१-५२ तक केन्द्र द्वारा कोई ४ १/२ लाख रुपये खर्च किये गये थे। इन कामों के लिये १९५२-५३ में खर्च किये जाने के लिये ४५·६० लाख रुपये रखे गये हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का उत्तरदायित्व संभाले जाने के बाद इस राजमार्ग की देखरेख पर खर्च की अनुमानित वार्षिक राशि लगभग १२ लाख रुपये रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ८-क पर केन्द्र ने कुछ भी व्यय नहीं किया है क्योंकि इस सड़क को अभी हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा रहा है।

(घ) चालू पंच वर्षीय योजना में बम्बई राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ८ तथा ८-क के बीच बीच के पुलों, जो इस समय नहीं हैं, के निर्माण की तथा छूटे हुए खाली स्थानों पर सड़क बनाने की व्यवस्था है।

दवाइयां (भेंट)

२०४. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ में किन किन देशों ने भारत को भेंट के रूप में दवाइयां भेजीं ; तथा

(ख) इन देशों से भेंट के रूप में प्राप्त दवाइयों का कुल मूल्य कितना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) (क) इन वर्षों में केन्द्रीय तथा

राज्य सरकारों को आस्ट्रेलिया, बेल्जियम जापान, नीदरलैंडस, नार्वे, स्वीज़रलैंड, थाईलैण्ड, यूनाइटैड किन्गडम तथा अमेरिका से भेंट मिली थी । गैरसरकारी धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा सीधी भेजी गई भेंटों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) भेंट के रूप में प्राप्त दवाइयों का कुल मूल्य नहीं बतलाया जा सकता क्योंकि सामान्यत: भेंट भेजने वाले मूल्य प्रगट नहीं करते ।

हर्जाने के दावे

२०५. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक रेल द्वारा सन् १९५१ में हर्जाने के कितने दावे किये गये और सन् १९५२ में अब तक कितने किये जा चुके हैं ?

(ख) अब तक कितने दावे निपटाये जा चुके हैं तथा दावेदारों को कितनी राशि दी जाने की मंजूरी दी गई है ?

(ग) कितने दावे नामंजूर कर दिये गये हैं ?

(घ) कितने दवेदारों ने अदालती कार्यवाही की और उनके क्या नतीजे निकले हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ) तक । सदन पटल पर एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४४**]

टिड्डी (नुकसान)

२०६. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष टिड्डियों के आने से फस्लों को कितना नुकसान हुआ है ;

(ख) किन किन मुख्य स्थानों पर फस्लों को नुकसान हुआ है ;

(ग) कितने अनाज को नुकसान पहुंचा है ; तथा

(घ) पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष के नुकसान के आंकड़े क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ग) । राज्य सरकारों से अब तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में ५६ टन अनाज को नुकसान पहुंचा है । राजस्थान सरकार ने भी कुछ नुकसान की सूचना दी है किन्तु वास्तविक नुकसान के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

(ख) राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर , अलवर, भरतपुर और गंगानगर के जिले तथा उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिले ।

(घ) १९४९ कुछ नहीं

१९५०....लगभग २० हज़ार टन

१९५१.....लगभग १४ हज़ार ४ सौ टन ।

वनमहोत्सव

२०७. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनमहोत्सव आरम्भ होने के समय से प्रति वर्ष कितने पौधे लगाये गये ;

(ख) उन पौधों की संख्या क्या है जो अब तक लगे हुए हैं ;

(ग) प्रति वर्ष कितना खर्च हुआ ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना है कि किस प्रकार के पेड़ों और पौधों को लगाया जाये ;

(ङ) इस बात की किस प्रकार से जांच की जाती है कि किसी विशेष किस्म के कितने और कैसे पौधे लगाये जायें ; तथा

(च) 'वनमहोत्सव' आन्दोलन कहां तक सफल हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख)। मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें १९५० और १९५१ के महोत्सवों में लगाये गये पेड़ों की संख्या दी हुई है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४५**।]

केवल यह सूचना उपलब्ध है कि सन् १९५० में कितने पेड़ लगे रहे तथा १९५१ के सम्बन्ध में आंकड़े संग्रह किये जा रहे हैं।

(ग) पहले तथा दूसरे वर्षों में जो व्यय किया गया था वह क्रमशः २१,३१६ रुपये ८ आने तथा २५,००० रुपये था।

(घ) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे स्थानीय परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार फल, लकड़ी तथा अन्य प्रकार के पेड़ लगाये। पेड़ लगाने का कार्यक्रम राज्य कृषि तथा वन विभागों से परामर्श करने के पश्चात् अन्तिम रूप से तैयार किया जाता है।

(ङ) किस प्रकार के पेड़ लगाये जायें यह बात राज्य सरकारों पर ही छोड़ दी जाती है क्योंकि वे ही इस बात को ठीक तरह से समझ सकते हैं कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार के पेड़ लगाये जाने चाहियें।

(च) 'वनमहोत्सव' की सफलता का इस बात से अन्दाजा नहीं किया जा सकता कि कितने पेड़ लगाये गये बल्कि इस बात से कि उसके कारण और अधिक पेड़ लगाने तथा विद्यमान पेड़ों की रक्षा करने के सम्बन्ध में देश भर में कितना उत्साह उत्पन्न हो गया है। यह एक सार्वजनिक आन्दोलन है जिसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव केवल संख्याएं गिन कर नहीं लगाया जा सकता है।

विनियंत्रित अनाज

२०८. **श्री दाभी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने पूरी तौर से या आंशिक रूप से अनाज का विनियंत्रण कर दिया है तथा यह विनियंत्रण किस सीमा तक किया गया है ; तथा

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक अनाज का विनियंत्रण नहीं किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) एक नोट सदन पटल पर रखा जाता है जिसमें उन राज्यों का निर्देश किया गया है जहां नियंत्रण में ढिलाई करने तथा किस सीमा तक करने की अनुमति दे दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४६**।]

इसके अलावा, हाल ही में प्रत्येक राज्य के अन्दर बाजरा तथा अन्य मोटे अनाज के सम्बन्ध में भी कछ ढिलाई करने का निश्चय कर दिया गया है।

(ख) भाग (क) के उत्तर में बाजरा तथा अन्य मोटे अनाजों के सम्बन्ध में जो कुछ बतलाया गया है उस को छोड़ कर अन्य सरकारों ने अपने अपने क्षेत्राधिकारों में उन सब नियंत्रणों को बनाये रखा है जो कि वहां पहले से लागू थे।

डाक तथा तार विभाग में यांत्रिक उपकरण

२०९. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ अक्तुबर, १९५२ को (१) भारत में स्वयंगतिक टिकट बेचने की मशीनें ; (२) यांत्रिक मोहर लगाने तथा चिट्टियों को जमा करने की मशीनें; (३) देहाती क्षेत्रों

में चिट्ठियों का यांत्रिक यातायात ; तथा (४) डाक तथा तार कार्यालयों के कार्य में शीघ्रता लाने के सम्बन्ध में चालू किये गये अन्य यांत्रिक उपकरणों या साधनों की संख्या क्या थी और वे किस हालत में थे ?

(ख) इन यांत्रिक उपकरणों या चिट्ठियों और तारों के जमा करने, मोहर लगाने तथा बांटने के साधनों में कितनी पूंजी व्यय की गई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) (१) इस समय टिकट बेचने वाली केवल एक मशीन कार्य कर रही है। मशीन बहुत अच्छी तरह कार्य कर रही है तथा उसको दिल्ली के चांदनी चौक डाकघर में रखा गया है ।

(२) मोहर लगाने वाली १७९ मशीनें दी गई हैं जिनमें से १३२ बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही हैं। शेष में थोड़ी बहुत मरम्मत करने की जरूरत है तथा वे भी शीघ्र ही काम में ले ली जायेंगी ।

डाक जमा करने के लिये डाकघरों में इस समय किसी यांत्रिक साधन जैसे 'कन-वेयर बैल्ट्स' आदि का प्रयोग नहीं किया जा रहा है ।

(३) देहाती क्षेत्रों में काम करने के लिये विभाग के पास कोई यांत्रिक यातायात नहीं है--किराया देकर डाक को सवारी लारियों द्वारा भेजा जाता है ।

(४) तार घरों तथा संयुक्त कार्यालयों में निम्नलिखित मशीनें कार्य कर रही हैं। उन सब की हालत अच्छी है :

नेशनल कैश रजिस्टर्स	३०
एडरेमा मैशीन्स	२८
एडरेसोग्राफ मैशीन्स	१४

(ख) ४,३४,८६२ रुपये १० आने ।

कोयला खान भविष्य-निधि तथा बोनस योजना अधिनियम

२१०. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोयला खान भविष्य-निधि तथा बोनस योजना अधिनियम, १९४८ के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए कोई पृथक कर्मचारी रखे जाते हैं ?

(ख) यदि इस प्रकार से कोई कर्मचारी रखे जाते हैं तो उन पर वार्षिक व्यय कितना आता है ?

(ग) यदि कोई मालिक या कामकर योजना में अपना अंशदान न दे तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है ?

(घ) क्या सन १९५१-१९५२ में बिहार कोयला क्षेत्र में किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) कोयला खान भविष्य-निधि का प्रशासन चलाने के लिए पृथक रूप से कर्मचारी रखे गये हैं। यही कर्मचारी अगस्त, १९५२ तक कोयला खान बोनस योजना का भी प्रशासन चला रहे थे जब कि उसे केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत औद्योगिक सम्बन्ध संस्था को सौप दिया गया था । बोनस योजना का प्रशासन चलाने के लिए औद्योगिक सम्बन्ध संस्था में कोई कर्मचारी पृथक् रूप से नहीं रखा गया है ।

(ख) सन् १९५१-५२ में कर्मचारियों को नौकर रखने में २,२७,५७८ रुपये व्यय हुए थे ।

(ग) योजना के अन्तर्गत उचित राशि न देने वाले मालिकों से राशि देने के लिए कहा जाता है। जब वे कहने और समझाने पर भी नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाती है ।

क्योंकि कामकर का अंशदान उसके वेतन में ही काट लिया जाता है इसलिये

'योजना के अन्तर्गत अंशदान न देने के लिए कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) सन् १९५१-५२ में बिहार कोयला क्षेत्रों में समझाने पर भी न मानने पर मालिकों के विरुद्ध १८४ दाण्डिक शिकायतें की गई थीं।

राशनिंग

२११. श्री० बी० के० दास : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अनुविहित राशनिंग के अन्तर्गत राज्यवार कितनी जनसंख्या है ;

(ख) इन राज्यों में राशनिंग के अन्तर्गत महीने में कितना चावल और गेहूं देना होता है ;

(ग) विभिन्न राज्यों में प्रति सप्ताह कितना राशन दिया जाता है ;

(घ) विभिन्न राज्यों में परिवर्तित राशनिंग के अन्तर्गत कितनी जनसंख्या आती है ; तथा

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को अब तक खाद्यान्न का अलग अलग कितना नियतन किया है जिससे वे अनुविहित तथा अन्य प्रकार की राशनिंग के अन्तर्गत अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क), (ख) तथा (घ)। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। (क), (ख), (घ) तथा (ङ) के लिए, **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४७ ।]**

(ग) इस समय समस्त राज्यों के अनुवहित राशनिंग क्षेत्रों में राशन प्रति वयस्क प्रति सप्ताह ५ पौंड ४ औंस दिया जाता है। बच्चों को वयस्कों के राशन का आधा मिलता है तथा कड़ी शारीरिक मेहनत करने वाले मजदूरों को प्रति वयस्क प्रति दिन ४ औन्स का अतिरिक्त अनुपूरक राशन दिया जाता है।

(ङ) विभिन्न राज्यों को जो नियतन किये गये हैं उनके सम्बन्ध में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है किन्तु अनुविहित राशन क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अलग अलग नियतन नहीं किया जाता है ।

माहे के समीप रेल पुल

२१२. श्री नम्बियार : (क) **रेल मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या माहे के समीप पैरिनगाड़ी पर एक 'लेविल-क्रासिंग' खोलने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ और यदि हुआ है तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

(ख) क्या माहे के समीप रेल पुल को रेल व सड़क पुल में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हुआ है तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां । ओलाइविलम पंचायत बोर्ड, उत्तरी मालाबार के अध्यक्ष द्वारा भेजा गया एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें उक्त 'लेविल क्रासिंग' खोलने की प्रार्थना की गई थी, किन्तु 'लेविल क्रासिंग' को बनाने में जो प्रारम्भिक लागत आयेगी तथा उसके संचालन में जो खर्च आयेगा उसको अभी तक न तो प्रार्थी ने और नाही मालाबार के कलेक्टर ने, जो कि उस स्थान की जांच कर चुके हैं, स्वीकार किया है ।

(ख) इसका उत्तर अस्वीकारात्मक है

गन्ने का मूल्य

*२१३. **श्री एल० एन० मिश्र :** (क) खाद्य तथा कृषि मंत्री क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२–५३ के लिए गन्ने का जो मूल्य निर्धारित किया गया है वह पिछले तीन वर्षों के मूल्यों की तुलना में कैसा बैठता है ?

(ख) क्या गन्ने के लिए जो मूल्य निर्धारित किया जाता है वह पूरे भारत भर के लिए एकरूप आधार पर निर्धारित किया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) पिछले तीन वर्षों में गन्ने का जो अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया था उसकी तुलना में सन् १९५२–५३ के लिए निर्धारित किया गया न्यूनतम मूल्य कम है ।

(ख) जी हां ।

रेल कर्मचारियों का पुनःस्थापन

२१४. **श्री नम्बियार :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे प्रशासनों ने उन रेलवे कर्मचारियों को वापस ले लिया है जो पहले पाकिस्तान चले गये थे और बाद में भारत वापस लौट आये ;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार का विचार सदन पटल पर एक ऐसा विवरण रखने का है जिसमें उन कर्मचारियों की संख्या दी हो जो इस प्रकार चले गये थे किन्तु जिन्हें पुनःस्थापित कर दिया गया था और उन कर्मचारियों को जो भारत वापस आगये थे किन्तु जिन्हें भारतीय रेलों में पुनः नहीं रखा गया था ; तथा

(ग) शेष लौटे हुए कर्मचारियों को पुनःस्थापित करने के सम्बन्ध में; रेलवे-वार, क्या गार्यवाही की जा रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) से (ग) तक । इस सम्बन्ध में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है कि ऐसे रेलवे कर्मचारी कितने हैं जिन्होंने अस्थायी अथवा स्थायी रूप से पाकिस्तान जाने की इच्छा प्रगट की और बाद में भारत वापस लौट आये, क्योंकि इस प्रकार जितने कर्मचारी वापस लौटे हैं उन्होंने रेलवे प्रशासनों को अपने आने की सूचना नहीं दी है । उन कर्मचारियों में से, जिन्होंने पहले पाकिस्तान जाना पसन्द किया और बाद में भारत लौट आये, लगभग ५,५०० रेलवे कर्मचारियों ने सेवा में पुनः ले लिये जाने के लिए प्रार्थना की है : इनमें से लगभग ४,९०० को पहले ही सेवा में पुनः रख लिया गया है । अन्य कर्मचारियों के मामलों पर या तो विचार किया जा रहा है या विचार किया जा चुका है तथा उन्हें सरकारी सेवा में पुनः रख लेने के योग्य नहीं पाया गया है । वे रेलवे कर्मचारी, जिन्होंने अन्तिमरूप से पाकिस्तान जाना पसन्द किया था या वे कर्मचारी जिन्होंने निश्चित तारीख के अन्दर पाकिस्तान जाने की अपनी अस्थायी पसन्दगी में परिवर्तन नहीं किया था, पुनः नौकर रख लिये जाने का दावा नहीं कर सकते हैं ।

सिन्दरी खाद

२१५. **श्री चिनारिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैक्टरी स्थापित होने के समय से अगस्त, १९५२ तक खाद्यान्न उत्पादन में तथा खाद्यान्न फ़स्लों के अलावा दूसरी फस्लों के उत्पादन में सिन्दरी खाद का कितनी कितनीमात्रा म प्रयोग किया गया ;

(ख) उसी अवधि में बाहर से कितनी व्यापारिक खाद आयात की गई तथा उसमें से कितनी मात्रा खाद्यान्न की फस्लों तथा

कितनी मात्रा खाद्यान्न की फस्लों के अलावा फस्लें पैदा करने में प्रयोग की गई ; तथा

(ग) इन खादों का वितरण किन एजेन्सियों द्वारा कराया गया था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) खाद्य तथा अखाद्य फस्लों के पैदा करने में जो कृषिसार प्रयोग किया जाता है उसके सम्बन्ध में राज्य अलग अलग आंकड़े नहीं रखते । पता लगा है कि ३१ अक्तूबर १९५१ से अगस्त १९५२ तक कुल जितना सिन्दरी कृषिसार प्रयोग किया गया है वह लगभग २७,००० टन है ।

(ख) सल्फेट आफ़ अमोनिआ १,८४,००० टन । राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार (मद्रास, बम्बई, बिहार, मैसूर, राजस्थान और मध्यभारत को छोड़ कर) इसमें से लगभग ५४,६५८ टन खाद्य फस्लों तथा खाद्य के अलावा फस्लों को पैदा करने में प्रयोग किया गया था ।

(ग) भारत सरकार राज्य सरकारों को उस संग्रह में से नियतन करती है जिसमें आयात किया हुआ तथा देशी कृषिसार शामिल होता है । राज्य के अन्दर वितरण का प्रबन्ध राज्य सरकारें या तो सरकारी एजेन्सियों द्वारा जैसे, विभागीय गोदामों, कृषि विभाग के सरकारी बीज और खाद गोदामों या फिर सहकारी संस्थाओं तथा कमीशन के आधार पर ग़ैर-सरकारी पक्षों द्वारा करवाती हैं । विभिन्न राज्यों में कृषिसार के वितरण के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गई, इस के बारे में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या ४८ ।**]

रेल दुर्घटनाएं

२१६. श्री जसानी : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३० अक्तूबर, १९५२ को समाप्त होने वाले ६ महीनों में कितनी रेल दुर्घटनाएं तथा कहां कहां पर हुईं ?

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं तथा इनमें कितनी हानि हुई ?

(ग) सरकार ने अब तक उन लोगों को हर्जाना देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है जिनको हानि उठानी पड़ी थी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भीषण दुर्घटनाएं, अर्थात् उन रेल गाड़ियों के सम्बन्ध में दुर्घटनाएं जो यात्रियों को ले जा रही थीं तथा जिनमें जीवन हानि हुई या गहरी चोट पहुंची या जिनमें से प्रत्येक मामले में रेलवे सम्पत्ति को २०,००० रुपये या उससे अधिक की हानि उठानी पड़ी । जिन विभिन्न स्थानों पर दुर्घटनाएं हुईं वे इस प्रकार हैं :

रेलवे	सेक्शन या स्टेशन
नार्दन :	(१) पलाना तथा बीकानेर के बीच
	(२) इन्द्रगढ़ तथा लखेरी के बीच
	(३) राजा का सहसपुर
नार्थ इस्टन:	(१) किडीदापुर तथा इन्दारा जंकशन के बीच
	(२) बरेली
सेन्ट्रल :	(१) कल्यान
	(२) हिम्मतनगर तथा सहस्त्रकुण्ड के बीच

(ख) इन दुर्घटनाओं के साधारण भाषा में निम्नलिखित कारण थे :—

कारण	दुर्घटनाओं की संख्या
(१) रेलवे कर्मचारियों की असावधानी ।	२
(२) यांत्रिक उपकरणों का बेकार होना ।	२
(३) कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लाइन खराब कर देना ।	१
(४) लाइनों के ऊपर लगे बिजली के तारों पर बिजली गिर जाने से आग का लग जाना	१
(५) लकड़ी के एक व्यापारी द्वारा रेलवे लाइन के किनारे, बिना इस बात का ध्यान रखे हुए कि कटा हुआ पेड़ गुजरती रेलगाड़ी पर गिर जायगा, पेड़ काटना	१
कुल	७

इन दुर्घटनाओं में इंजन, रेल के डब्बों तथा लाइनों को जो हानि पहुंची है वह लगभग २,३२,००० रुपये है ।

(ग) भारतीय रेलवे अधिनियम, १८६०, की धारा ८२ ख से ञ तक तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार हर्जाना आयुक्त नियुक्त किये जाते हैं जो सवारी रेल गाड़ियों की दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले हर्जाने के दावों की जांच करते हैं तथा उन को निश्चित करते हैं तथा इस सम्बन्ध में उनके निर्णय, केवल इस बात को छोड़ कर कि दावेदार उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, अन्तिम होते हैं । बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में हर्जाना आयुक्तों को विशेषरूप से नियुक्त किया जाता है जब कि छोटी छोटी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में स्थानीय न्यायिक या शासकीय अधिकारी इस प्रकार के दावों के बारे में अपने अपने क्षेत्राधिकारों में पदेन हर्जाना आयुक्तों के रूप में कार्य करते हैं । उपरोक्त भाग (क) के अन्तर्गत उल्लिखित केवल पहली दुर्घटना के सम्बन्ध में एक हर्जाना आयुक्त नियुक्त किया गया है क्योंकि यह एक बड़ी दुर्घटना है । इस दुर्घटना के सम्बन्ध में हर्जाना आयुक्त ने अब तक लगभग ५६,०००रुपयों के दावों को मंजूर करके दिलवा दिया है । अन्य दुर्घटनाएं छोटी छोटी हैं।

कलकत्ता बन्दरगाह आयुक्तों के कर्मचारियों में क्षय रोग

२१७. **श्री तुषार चटर्जी** : (क) **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार को यह मालूम है कि कलकत्ता बन्दरगाह आयुक्तों के कर्मचारियों में क्षय रोग का आपात बढ़ रहा है ?

(ख) गत् पांच वर्षों में, वर्ष प्रति वर्ष बन्दरगाह आयुक्तों को क्षय रोग से पीड़ित होने वाले कितने कर्मचारियों का पता लगा ?

(ग) क्या यह सत्य है कि इन समस्त मामलों में आयुक्तों की सेवा ग्रहण करने के पश्चात् ही कर्मचारियों को क्षय रोग का शिकार होना पड़ा है तथा इस रोग के मुख्यतः वही कर्मचारी शिकार हुए हैं जिन्हें बाहर काम करना पड़ता है या विभिन्न पारियों से काम पर आना पड़ता है जिसमें रात में काम करना भी शामिल है ?

(घ) अपने उन कर्मचारियों का उचित इलाज कराने के सम्बन्ध में बन्दरगाह आयुक्तों ने क्या प्रबन्ध किया है जो क्षय रोग से पीड़ित हैं?

रेल तथा यातायात उप मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) । कलकत्ता बन्दरगाह के आयुक्त अपने कर्मचारियों में क्षय रोग से पीड़ित होने वाले कर्मचारियों का अभिलेख मई १९४९ के पश्चात् से तैयार करते जा रहे हैं । कर्मचारियों की कुल संख्या को सामने रखते हुए प्रत्येक वर्ष में कितने कर्मचारी क्षय रोग से पीड़ित हुए, इस सम्बन्ध में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ग) क्यों कि बन्दरगाह आयुक्तों के समस्त कर्मचारियों को नियुक्त होने के समय आयुक्तों के मुख्य डाक्टरी अधिकारी से शारीरिक रूप से ठीक होने का प्रमाणपत्र पेश करना होता है इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्बद्ध कर्मचारियों को बन्दरगाह सेवा में आने के पश्चात् क्षय रोग का शिकार होना पड़ा। फिर भी, यह रोग केवल उन्हीं कर्मचारियों तक सीमित नहीं है जिन्हें बाहर या पारी से काम करना पड़ता है बल्कि वे कर्मचारी भी उसके शिकार हो जाते हैं जो स्थायी रूप से दिन में ही काम करते हैं। सन् १९५१ में क्षयरोग से पीड़ित होने वाले १५७ कर्मचारियों में से केवल ८६ कर्मचारी ऐसे थे जो पारी से काम पर आते थे।

(घ) कलकत्ता बन्दरगाह के आयुक्त अपने खर्चे से जादवपुर और कंचरापारा के क्षय रोग के अस्पतालों में क्रमशः १५ और ४ रोगियों के रहने का प्रबन्ध करते हैं। ७००० रुपये के प्रारम्भिक खर्चे के अलावा उन्हें इस बात के लिए ३५,००० रुपया प्रति वर्ष व्यय करना होता है। अपने कर्मचारियों के क्षय रोग से पीड़ित होने पर आयुक्त स्ट्रैप्टोमैसीन और पी० ए० एस० जैसी महंगी दवाइयों का खर्च भी सहते हैं तथा अपने कल्याण कोष में से ऐसे कर्मचारियों को आर्थिक सहायता भी देते हैं जो आपत्ति-ग्रस्त होते हैं।

बिवरण

मई १९४९ से अक्तूबर १९५२ तक की अवधि में कलकत्ता बन्दरगाह आयुक्तों के कर्मचारियों में से क्षय रोग से पीड़ित होने वाले कर्मचारियों की संख्या

वर्ष	क्षय रोग से पीड़ित कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या
१९४९ (मई से दिसम्बर तक ८ महीने)	२७	२८,२४४
१९५०	११५	२८,०५८
१९५१	१५७	२८,१८६
१९५२ (जनवरी से अक्तूबर तक १० महीने)	१५८	२८,३८२

खाद्य भेंट

२१८. **श्री बालकृष्णन्** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) ३१ अक्तूबर, १९५२ तक विदेशों द्वारा भारत को भेजी गई खाद्य भेटों की कुल मात्रा क्या है;

(ख) प्रत्येक सरकार ने कितनी मात्रा में खाद्य भेंट भेजी ; तथा

(ग) क्या उन देशों ने खाद्य भेंट भेजने से पूर्व भारत सरकार की अनुमति ले ली है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख)। इस सम्बन्ध में ५ नवम्बर १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३६ के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर का निर्देश किया जाता है।

(ग) सहायता के लिए सामग्री देने के वास्ते भारत सरकार तथा अमेरिका सरकार के बीच एक समझौता हो गया है। इस समझौते के बाहर वाली भेंटों तथा अन्य देशों से भेजे जाने वाली भेटों के सम्बन्ध में उस समय तक भारत सरकार से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक कि यह भेंटें सरकार या स्वीकृत सहायता संस्थाओं के नाम में भेजी जाती हैं।

राजस्थान में टिड्डी दलों का विनाश

२१९. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के बरमार, जैसलमेर तथा बीकानेर के जिलों में टिड्डी दलों को नष्ट करने के सम्बन्ध में हाल ही में केन्द्रीय टिड्डी-

नाशक संस्था द्वारा की गई कार्यवाही पर कितना खर्च आया था ; तथा

(ख) इन जिलों में फस्लों को कितना नुकसान पहुंचने का अनुमान लगाया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) लगभग ६८,००० रुपये बरमार जिले में, १,५७,००० रुपये जैसलमेर जिले में तथा १,५२,००० रुपये बीकानेर जिले में ।

(ख) प्रारम्भिक सूचना से पता लगता है कि सितम्बर तथा अक्तूबर १९५२ में बोई गई रबी की फस्ल को तथा खरीफ़ की आखीरी फस्ल को केवल थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था । नुकसान के वास्तविक आंकड़े अभी तक संग्रह नहीं किये गये हैं ।

डब्बों की कमी

२२०. **श्री बासप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय रेलों में बड़ी लाइन और छोटी लाइन के डब्बों की संख्या क्या है ;

(ख) वर्ष १९५१-५२ में मालगाड़ी के कितने नये डब्बे चलाये गये ; तथा

(ग) क्या डब्बों की कमी के सम्बन्ध में मैसूर राज्य के व्यापारियों द्वारा भेजा गया कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) ३० सितम्बर १९५२ को भारतीय रेलों की बड़ी और छोटी लाइनों के पास चार पहिये वाले क्रमशः १,६१,१६० तथा ६३,४०५ डब्बों का कुल स्टाक था ।

(ख) चार पहिये वाले लगभग २,२५८ बड़ी लाइन के और २,३५९ छोटी लाइन के डब्बे ।

(ग) जी हां, मैसूर राज्य के कुछ नारियल और कोपरा व्यापारियों द्वारा भेजे गये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । वरीय वस्तु अनुसूची---अर्थात्, भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० की धारा २७-क के अन्तर्गत जिन वस्तुओं को वरीयता प्राप्त है -- के अनुसार जिन अन्य वस्तुओं के लिए डब्बे दिये जाते हैं उन्हीं में से इन वस्तुओं का भी अपना काम चलाना पड़ता है । जून से अक्तूबर १९५२ तक की अवधि में इन वस्तुओं के लिए जो डब्बे दिये गये वे पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में कहीं अधिक थे । इसके अलावा अनुमान लगाया जाता है कि अगले कुछ वर्षों में प्रति वर्ष बड़ी तथा छोटी दोनों लाइनों के डब्बों में वृद्धि होगी जो कि ३००० डब्बों तक हो सकती है और इससे वस्तुओं को ढोने के सम्बन्ध में जो स्थिति है उसको सुधर जाना चाहिये ।

हवाई कम्पनियां

२२१. **श्री पुन्नूस :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में हवाई कम्पनियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) ३० मार्च, १९५२ की उनकी कुल अधिकृत, प्रार्थित तथा प्राप्त पूंजी तथा संचिति और अवक्षयण निधि कितनी थी ;

(ग) क्या इन कम्पनियों की पूंजी में विदेशियों ने भी भाग लिया है ; और यदि हां तो किसमें और किस सीमा तक ; तथा

(घ) क्या इन कम्पनियों की पूंजी में राज्य ने भी भाग लिया है ; और यदि हां तो किसमें और किस सीमा तक ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १४ कम्पनियां । मैं पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें उनके नाम दिये हुए हैं [देखिये परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या ४९।]

(ख) ऐसी कम्पनियां जो अनुसूचित सेवाओं का संचालन करती हैं उनके सन् १९५१ के नवीनतम उपलब्ध आयव्यय-विवरणपत्र में अधिकृत, प्रार्थित तथा प्राप्त पूंजी तथा संचिति और अवक्षयण निधि के सम्बन्ध में दिये गये आंकड़ों का विवरण में उल्लेख कर दिया गया है। उन कम्पनियों के सम्बन्ध में, जो केवल ऐसी सेवाओं का संचालन करती हैं जो अनुसूचित नहीं हैं, इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ३० मार्च, १९५२ के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जहां तक मुझे ज्ञात है ऐसी कोई भी नहीं है। फिर भी, मैं ठीक ठीक स्थिति का पता लगवा रहा हूं।

(घ) भारत सरकार के एयर इन्डिया इन्टरनेशनल लिमिटेड में ४९ प्रति शत तथा डेकेन एयरवेज लिमिटेड में लगभग ७८ प्रति शत अंश हैं।

आदिम-जाति-क्षेत्र

२२२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मनीपुर, त्रिपुरा तथा आसाम के आदिमजाति क्षेत्रों में हवाई पट्टियां और डाक तथा तार घर बनवाने का है ; तथा

(ख) उक्त क्षेत्रों में इस समय कितनी हवाई पट्टियां और कितने डाक तथा तार घर हैं तथा कितने अगले पांच वर्षों में बनाये जायेंगे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इन क्षेत्रों में डाक तथा तार घर खोलने और हवाई पट्टियां बनाने के कई सुझाव विचाराधीन हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या ५०**।]

नारियल की खेती

२२३. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य में नारियल की खेती कितने क्षेत्र में होती है;

(ख) प्रत्येक राज्य को नारियल की खेती से औसतन कितनी वार्षिक आय होती है; तथा

(ग) प्रत्येक राज्य में सरकार को नारियल उत्पादक उपकर के रूप में प्रतिवर्ष कितनी राशि देते हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग) तक। अपेक्षित सूचना के तीन विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या ५१**।]

रेलवे कारखाना, अजमेर

२२४. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर में रेलवेज़ कैरेज एन्ड वैगनशाप कब स्थापित की गई थी ;

(ख) १९३०--१९४० के दशक में मालगाड़ी और सवारी गाड़ी के कितने डब्बे बनाये गये ;

(ग) १९४०--१९५० के दशक में उसी प्रकार के कितने डब्बे बनाये गये; तथा

(घ) अजमेर यार्ड में मरम्मत के लिये मालगाड़ी तथा सवारी गाड़ी के कितने डब्बे पड़े हुए हैं तथा कब से ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सूचना संग्रह की जा रही है तथा संग्रह हो जाने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी।

बीज उत्पन्न करने के फार्म

२२५. **श्री हेम राज :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में, राज्यवार, बीज उत्पन्न करने के कितने फार्म हैं तथा वे कहां कहां स्थित हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जो सूचना आसानी से उपलब्ध नहीं है उसे संग्रह किया जा रहा है तथा संग्रह हो जाने पर सदन के सम्मुख रख दी जायेगी ।

नारियल अनुसन्धान केन्द्र

२२६. **श्री बी० ऐस० मूर्ति :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारत में नारियल अनुसंधान केन्द्र कितने हैं;

(ख) वर्ष १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में प्रत्येक केन्द्र को कितना वार्षिक अनुदान दिया गया; तथा

(ग) क्या वर्ष १९५२-५३ में इन केन्द्रों ने कोई प्रगति की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख) । अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५२ ।]**

(ग) वर्ष १९५२-५३ में यह अनुसंधान केन्द्र उस प्रोग्राम के अनुसार कार्य कर रहे हैं जो पहले ही निश्चित कर दिया गया था । कसरागाड तथा कायनगुलाम स्थिति केन्द्रीय अनुसन्धान केन्द्र क्रमशः आधारभूत अनुसंधान तथा कीड़ों और बीमारियों के सम्बन्ध में खोज कर रहे हैं । प्रादेशिक केन्द्र अपने प्रदेशों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खाद तथा उपज के सम्बन्ध में प्रयोग कर रहे हैं ।

अन्तरिक्ष-शास्त्रीय प्रसारण सेवा सान्ता क्रूज

२२७. **श्री एस० एन० दास :** (क) **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सान्ता क्रूज को क्षेत्र अन्तरिक्ष शास्त्रीय प्रसारण सेवा के लिये चुन लिया गया है तथा उसने काम करना भी आरम्भ कर दिया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो इस केन्द्र के निश्चित कृत्य क्या हैं ?

(ग) इस पर आवर्त्तक तथा अनावर्ति व्यय कितना होगा ?

(घ) इसका खर्च किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां ।

(ख) प्रत्येक तीन घंटे बाद बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, जोधपुर, इलाहाबाद तथा कराची के हवाई अड्डों पर हवाई जहाज़ उतारने की परिस्थितियों के सम्बन्ध में सूचना देना और तैहरान-बम्बई वायुमार्ग के सम्बन्ध में मौसम सम्बन्धी ख़बरें बतलाना ।

(ग) (१) आवर्त्तक (देखभाल तथा संचालन) ..... ३,६४५ रुपये प्रति वर्ष ।

(२) अनावर्ति (पूंजी) ८,७३० रुपये ।

(घ) असैनिक उड्डयन विभाग के लिये बजट में जो व्यवस्था की गई है उससे यह खर्चा पूरा किया जाता है ।

सोमवार,
२४ नवंबर, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

सोमवार २४ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११-४५ म० पू०

पश्चिमी बंगाल और मैसूर में खाद्यान्नों के समाहार तथा वितरण सम्बन्धी वक्तव्य

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : पश्चिमी बंगाल और मैसूर में खाद्यान्नों के समाहार तथा वितरण की वर्तमान व्यवस्थाओं पर इन दो सरकारों और केन्द्र द्वारा विचार किया जा रहा है । इस सम्बन्ध म विनिश्चय कर लिया गया है और फेर बदल ये होंगी :

पश्चिमी बंगाल में समाहार की वर्तमान व्यवस्था के स्थान में एक ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिस में मुख्य रूप से ये-ये बात शामिल होंगी : (१) दस एकड़ या इससे अधिक भूमि पर खेत करने वालों पर लेवी लगाना, तथा (२) कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र के बाहर चावल की मिल वालों पर उक्त मिलों द्वारा की गई खरीद के १/३ भाग तक लेवी लगाना। आज कल खाद्यान्नों के एक ज़िले से दूसरे ज़िले को भेजे जाने पर जो पाबन्दियां हैं वे हटा ली जायेंगी। और खाद्यान्न राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह बेरोक टोक जा सकेंगे; हां, वह इस क्षेत्रों में न जा सकेगा जहां संविहित राशनिंग है ।

जहां तक खाद्यान्न के वितरण का प्रश्न है, संविहित राशनिंग केवल कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र और दार्जिलिंग, कालिमपौंग और बुरसौंग तक ही सीमित रहेगा । अन्य स्थानों में आवश्यकता के अनुसार उचित मूल्य पर अनाज बेचने वाली दुकानें खोल दी जायेंगी । कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र में खाद्यान्न देने की जिम्मेदारी केन्द्र ने ले ली है। नियमित राशन की दुकानों से दिये जाने वाले चावल के अतिरिक्त विशेष दुकानों से कुछ अधिक कीमत पर चावल देने की वर्तमान व्यवस्था चालू रही आयेगी । यह भी निश्चय किया गया है कि १ जनवरी, १९५३ से राशन की नियमित दुकानों से दिये जाने वाले चावल की वर्तमान मात्रा ४½ औंस से बढ़ा कर ६ औंस कर दी जायेगी। राशन के ४½ औंस से बढ़ा कर ६ औंस किये जाने के फलस्वरूप जितने अतिरिक्त चावल की आवश्यकता होगी उस को देने का उत्तरदायित्व पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है । यह बढ़ी हुई मात्रा उस समय तक कायम रखी जायेगी जब तक कि पश्चिमी बंगाल सरकार यह अतिरिक्त मात्रा देती रहेगी ।

लोगों को चावल छिपा कर रखने से रोकने के लिये कार्यवाही की जायेगी और

[श्री किदवई]

चावल के चोरी छिपे कलकत्ता क्षेत्र को भेजे जाने को रोकने के लिए भी कार्यवाही और अधिक उग्रता के साथ की जायेगी । क्योंकि कलकत्ता के लोगों को खाद्यान्न देने का उत्तर-दायित्व केन्द्र ने अपने ऊपर ले लिया है, अतः शेष राज्य चावल के विषय में आधिक्य वाला क्षत्र हो जायेगा । पश्चिमी बंगाल सरकार ने कलकत्ते में चावल के राशन की मात्रा ४½ औंस से ६ औंस किये जाने के लिये अपेक्षित चावल देने के अतिरिक्त केन्द्र को १½ लाख टन चावल और देना स्वीकार कर लिया है

मैसूर में चावल के समाहार की वर्तमान व्यवस्था चालू रहेगी हां, चावल पर लेवी प्रत्येक उत्पादक द्वारा पहले वर्षों में दी गई मात्राओं के औस्त पर आधारित होगी । ज्वार-बाजरे का समाहार नहीं किया जायेगा ।

जहां तक वितरण का प्रश्न है, मैसूर में संविहित राशनिंग केवल बंगलौर, कोलार स्वर्ण क्षेत्र, देवनागिरि तक ही सीमित रहेगा ।

चावल की लेवी इकट्ठी करने के बाद मैसूर सरकार का विचार खाद्यान्न के एक स्थान से दूसरे स्थान भेजे जाने पर लगे प्रतिबन्धों को नर्म करने तथा धीरे-धीरे, उचित मूल्य पर अनाज बेचने वाली दुकानों को बन्द करने का है । हां, जब कभी भी अनाज की कमी महसूस होगी उचित मूल्य पर अनाज बेचने वाली ये दुकानें चलाई जाती रहेंगी ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में.....

अध्यक्ष महोदय : यह तो मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर प्रश्न पूछने का एक ढंग है । आप माननीय मन्त्री से जानकारी सदन के बाहर प्राप्त कर सकते हैं, सदन में नहीं ।

वायदे के सौदे (नियमन) सम्बन्धी विधेयक--

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : इन वायदे के सौदों के सम्बन्ध में हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि मज़दूरों तथा उत्पादकों को हानि न पहुंचे । जहां तक सरकार द्वारा वायदे के सौदों का नियमन किये जाने का सम्बन्ध है, मैं कहूंगा यह एक प्रगतिशील कदम है । मैं साम्यवादी पक्ष के प्रतिनिधियों की इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह विधेयक न पारित किया जाये । इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि यह एक प्रगतिशील विधान है । अब देखना केवल यह है कि यह कहां तक प्रगतिशील है । खाद्य सम्बन्धी वाद विवाद के दौरान में माननीय वित्त मन्त्री ने यह बतलाया था कि कृषि-वस्तुओं की कीमतें निश्चित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । मेरा ख्याल है कि अब समय आ गया है जबकि निम्नतम तथा उच्चतम मूल्य निर्धारित कर दिये जाने चाहियें । वायदे के सौदों द्वारा निश्चित किये गये मूल्यों से उत्पादकों का संरक्षण नहीं होता ।

मेरे ख्याल में कीमतें निश्चित करने और उत्पादकों का संरक्षण करने का एक अधिक सभ्य तथा प्रगतिशील ढंग यह है कि उत्पादन परिव्यय फैला लिया जाये । कीमतें उत्पादन-परिव्यय के आधार पर निश्चित की जायें । मज़दूरों तथा उत्पादकों के हितों की रक्षा केवल उसी दशा में हो सकेगी ।

जहां तक श्री सी० सी० शाह द्वारा अपने विमति टिप्पण में कही गई बातों का प्रश्न है, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि सट्टा या वायदे का सौदा नियन्त्रित नहीं किया गया तो इससे देश की आर्थिक हालत पर बहुत बुरा

प्रभाव पड़ेगा । अब सट्टा केवल बड़े-बड़े नगरों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि छोटे-छोटे गांवों में भी फैल गया है । सट्टा उत्पादकात्मक कार्यों में सम्मिलित नहीं है। सुयोजित अर्थ व्यवस्था के अन्त र्गत तो उत्पादकात्मक कार्यों की आवश्यकता है । उत्पादन कार्यों में जितनी अधिक पूंजी विनियोजित होगी, देश की अर्थ व्यवस्था को उतना ही अधिक लाभ होगा । परन्तु हो यह रहा है कि बहुत ही पूंजी सट्टे में रुकी पड़ी है । अतएव यदि इस को न रोका गया तो यह देश के लिये एक दुर्भाग्य की बात होगी ।

जहां तक खंड १८ का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि सरकार ने ठीक कदम उठाया है । उन्होंने केवल वही अधिकार लिये हैं जिन के उपभोग के लिये वे इस समय अपने आप को सशक्त समझते हैं । मेरा भी यही ख्याल है कि सरकार को तुरन्त ही सब अधिकार नहीं ले लेने चाहियें । उन्हें इस समय वे अधिकार नहीं लेने चाहियें जिन की आवश्यकता नहीं है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन हुए]

जहां तक मन्त्रणा समिति तथा आयोग का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि सरकार ने दो अलग अलग निकायों की व्यवस्था कर के अच्छा ही किया है । एक तो सरकार को परामर्श देगा और दूसरा बाज़ार पर नियन्त्रण रखेगा । यदि आयोग जैसा कोई निकाय ही बाज़ार का नियन्त्रण करे तो हो सकता है कि वह कुछ विशेष व्यापारों का पक्षपात करने लगे । अतएव सरकार को परामर्श देने के लिए एक परामर्श समिति आवश्यक है ।

शुरू में सरकार को किसी अमुक क्षेत्र में और किसी अमुक वस्तु के सम्बन्ध में ही नियन्त्रण करना चाहिये । मेरा यह भी ख्याल है कि यह सट्टा हर चीज़ में नहीं होने देना चाहिये । जहां तक हो सके इसे कुछ वस्तुओं तक ही सीमित रखा जाये । सौभाग्य से अभी चावल तथा गेहूं जैसी खाद्य फ़सलें उससे बची हुई हैं । यदि इन पर भी सट्टा होने लगा तो देश के लिये बहुत बुरा होगा ।

यह कहा गया है कि इस प्रकार के वायदे के सौदों से उत्पादकों का संरक्षण होता है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता । होता यह है कि इस के फलस्वरूप व्यापाराधिक्य हो जाता है और चीज़ों की कीमतें गिरने लगती हैं । चीज़ों की कीमतें गिरने से उत्पादकों को हानि होती है । उत्पादक ही नहीं वरन सारे बाज़ार पर इस का बुरा प्रभाव होता है । सदन को यह अनुभव करना चाहिये कि सुयोजित अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की कार्य-वाही को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिये । सुयोजित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत कीमतें उत्पादन-परिव्यय के आधार पर निश्चित की जानी चाहियें । सुयोजित अर्थव्यवस्था में कोई भी सरकार सब वस्तुओं की निम्नतम कीमत निश्चित करने के सही मार्ग को अपनाये बिना नहीं रह सकती ।

आज बाज़ार में मंदी है । बेकारी का बोल बाला है । इस सब का कारण क्या है ? यही कि सरकार ने इस संकट के बारे में पहले से नहीं सोचा और सरकार ने इस संकट को टालने के लिये पहले से कोई नीति नहीं निर्धारित की । जब तक कोई सुयोजित व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक बाज़ार सटोरियों के हाथों में बना रहेगा । यदि निम्नतम तथा उच्चतम मूल्य निश्चित कर दिये जायें और फ़िर वायदे के सौदे होने दिये जायें तो मूल्य उन दोनों निश्चित कीमतों के बीच ही घटता-बढ़ता रहेगा ।

श्री बंसल (झज्जर–रिवाड़ी) : क्या इससे चाय उद्योग का संकट भी टल जायगा ?

श्री के० पी० त्रिपाठी : चाय उद्योग के सम्बन्ध में एक संगत प्रश्न पूछा गया है ।

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

चाय उद्योग में कठिनाई यह है कि चाय एक व्यापारिक फ़स्ल है । भारत में कुल जितनी चाय पैदा होती है उस का केवल २२ प्रतिशत भाग देश में काम आता है; शेष सब चाय बाहर भेजी जाती है । मेरा ख्याल है कि यदि देश में बेचे जाने वाली चाय की निम्नतम कीमत निश्चित कर दी जाये तो इस उद्योग का संकट भी टाला जा सकता है । इस से देश में चाय की अच्छी कीमत मिल सकेगी । मेरे कहने का अभिप्राय केवल यह है कि सरकार को भारत में उत्पन्न सब वस्तुओं की निम्नतम कीमतें निश्चित करने की नीति अपनानी चाहिये और यह प्रयत्न करना चाहिये कि बाहर भेजे गये माल की उचित कीम मिले । सरकार को न केवल वायदा बाजार पर ही नियन्त्रण रखना चाहिये, वरन यह भी देखना चाहिये कि बाजार में हमारी वस्तुओं का मूल्य गोलमाल कर के गिरवाया ना जाये । गत कुछ सप्ताहों में चाय उद्योग में संकट आने के कारण हमें कोई १८ करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है । अतएव मैं माननीय मन्त्री तथा योजना आयोग से प्रार्थना करूंग कि वह देश की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार ढालें कि कृषकों तथा उत्पादकों को अपनी उपज का निम्नतम कीमत प्राप्त हो सके ।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली) : वायदे के सौदों का फ़ायदा भी है और नुकसान भी । यदि वायदे के सौदे ठीक ढंग से किये जायें तो उन से समाज का तथा उत्पादकों का हित हो सकता है । परन्तु यदि यह व्यापाराधिक्य आदि के रूप में किया जाये तो यह एक प्रकार का जुआ या सट्टा हो जाता है और इस से देश को बहुत नुकसान पहुंचता है । वायदे के सौदे इस देश के लिये कोई नये नहीं हैं । गत कितनी ही दशाब्दियों से ये होते आये हैं । अतएव यह कहना ठीक नहीं है कि हमें इन का अनुभव ही नहीं है । हमें इनका काफ़ी तजुर्बा है । मैं पूरे ज़ोर के साथ यह कहूंगा कि वैसे तो वायदे के सौदों को न्यायोचित ढंग से बेरोक टोक होने दिया जाये, परन्तु उन पर कुछ पाबन्दियां ज़रूर रखी जायें, अन्यथा सामान्य जनता के अहित होने का डर है । वायदा बाजार पर नियन्त्रण रखना भी कोई आसान काम नहीं है । हम देख रहे हैं कि बम्बई अधिनियम के बावजूद भी, वायदा बाज़ार पर नियन्त्रण रखने में कैसी-कैसी कठिनाइयां आ रही हैं ।

अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदा वाले सौदों के इस अधिनियम के क्षेत्र से बाहर रखने के पक्ष में माननीय मंत्री ने मुख्य कारण यह बतलाया था कि ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण करना बहुत कठिन हो जायेगा । जिन्हें इस अधिनियम के प्रभाव से मुक्त रखा जाय । परन्तु मेरा कहना यह है कि इसके लिए एक विशेष जांच करने की क्या आवश्यकता थी । माननीय मन्त्री ने ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण करने में आने वाली कठिनाइयों को कुछ बढ़ा कर बतलाया है । सरकार इन सौदों को इस अधिनियम के क्षेत्र में ला सकती थी और कुछ क्षेत्रों को, जो मांग करते, इसके प्रभाव से मुक्त कर सकती थी । लड़ाई के पहले सट्टेबाज़ी अधिकतर बम्बई जैसे बड़े नगरों तक ही सीमित थी । परन्तु युद्ध के उपरान्त सट्टेबाज़ी देश के कोने-कोने में फ़ैल गई । अतः जब हम समस्त भारत के लिये कोई विधान बना रहे हैं तो हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिये कि उस में कोई ऐसी कमी न रह जाये जिस का अनुचित फ़ायदा उठाया जा सके ।

हमें पहले यह बतलाया गया था कि यह नियन्त्रण केवल बम्बई में ही रखा जा रहा है. परन्तु १९५० में संसद् में पूछे गये

कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हुए तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री श्री नियोगी ने यह कहा कि सरकार का ध्यान बंगाल, मद्रास तथा बहुत से अन्य स्थानों में विद्यमान सट्टेबाज़ी की ओर दिलाया गया है । श्री नियोगी ने कहा था कि बहुत सी पाबन्दियों के बावजूद भी इन विशिष्ट अभिदान वाले सौदों से सट्टेबाज़ी का बाज़ार गर्म है । इस अवस्था पर भी मैं माननीय मन्त्री से अपील करूंगा कि वह हमें कम से कम यह आश्वासन तो दे दें कि जब कभी कोई विशिष्ट क्षेत्र किसी संघ के लिये अभिस्वीकृत किया जायेगा तो खंड १८ के उपखंड (३) का उपयोग किया जायेगा और साधारणतः सरकार की यह नीति रहेगी कि ये सब विशिष्ट अभिदान वाले सौदे इस विधेयक के क्षेत्र में रखे जायें ।

इस अधिनियम की क्रियान्विति के लिये जो प्राधिकार स्थापित किया जायगा उससे मैं अनुरोध करूंगा कि वह इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विविध संघों के दावों पर पक्षपात-रहित ढंग से विचार करे और जहां आवश्यक हो एक से अधिक संघों को माने ।

मैं समझता हूं कि यदि प्रस्तावित आयोग केवल मन्त्रणादाता निकाय के रूप में ही काम न करता तो अधिक अच्छा होता । यदि यह परामर्श दाता निकाय मात्र हुआ तो उसे किसी आपात की सूचना पहले सरकार को देनी होगी और फ़िर सरकार को कार्यवाही करने में समय लगेगा । इसी बीच खराबी हो जायेगी । वायदा बाज़ार के सम्बन्ध में तो ज़रूरत इस बात की है कि तेज़ी के साथ कदम उठाया जाये । अतः विधेयक में परामर्श-दाता आयोग की जो व्यवस्था है उस से अभिप्राय की पूर्ति नहीं होगी ।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम) : इस विधेयक के सम्बन्ध में मुख्य आलोचना-अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों के विषय में हुई है । जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, सदन में पुरःस्थापित विधेयक में प्रवर समिति द्वारा काफ़ी फ़ेरबदल की गई है । इस पर चर्चा करते समय हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि वायदे के सौदों पर नियंत्रण करने का अर्थ वस्तु विक्रय अधि-नियमके अधिकारों तथा दायित्वों का उल्लंघन करना होगा । हां, सामान्य जनता की भलाई के लिये इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है । मैं श्री चटर्जी के इस कथन का पूर्ण समर्थन करता हूं कि वायदा व्यापार को बिलकुल बन्द करना एक अबुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होगा । वायदा व्यापार हमारे वाणिज्यिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है । यदि हमने इसे अंगीकार न किया तो हम और देशों के मुकाबले पिछड़ जायेंगे ।

मैं नहीं कह सकता कि मेरे माननीय मित्र श्री वी० पी० नायर को यह पता है कि नहीं कि त्रावनकोर-कोचीन में वायदों के सौदों पर लगे प्रतिबन्धों को उठाने की मांग छोटे-छोटे मिल-मालिकों द्वारा ही की गई थी जिन्होंने मशीनों और साज़ सामान पर केवल पांच-पांच छै-छै हजार रुपये लगा रखे हैं । यह बात छिपी नहीं है कि कोपरा बहुत मात्रा में केवल गर्मी के मौसम में मिलता है । अब मैं पूछता हूं कि क्या वायदे के सौदे किये बिना उस अवधि में कोपरा का स्टाक रख सकते हैं या उसका सौदा कर सकते हैं और उसका कोई मूल्य सुनिश्चित कर सकते हैं ?

मेरे अपने राज्य में अनुभवी लोगों की यही राय है कि वायदे के सौदों पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिये । त्रावनकोर और कोचीन राज्यों के एकीकरण के पहले कोचीन तथा त्रावणकोर दोनों राज्यों में वायदों के सौदों पर प्रतिबंध लगाया गया था । परन्तु थोड़े ही समय बाद वह प्रतिबंध हटा लिया गया । एकीकरण

[श्री ए० एम० टामस]

के बाद भी इस पर कुछ समय प्रतिबंध रहा, परन्तु उससे भी यही अनुभव हुआ कि वायदे के सौदों पर प्रतिबंध जारी रहना जनता के हित के लिये इष्टकर न होगा और इसलिए प्रतिबंध फिर उठा लिया गया ।

सारभूत प्रदाय (अस्थायी अधिकार) अधिनियम के अन्तर्गत वायदे के सौदों पर पहले तो भाग क राज्यों में प्रतिबंध लगाया गया और बाद में वह प्रतिवंध भाग ख राज्यों पर भी लागू कर दिया गया । मेरे विरोध करने पर माननीय मंत्री ने सदन में कहा था कि सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि त्रावनकोर-कोचीन को इस प्रतिबंध से मुक्त किया जाये या नहीं । माननीय मंत्री ने कहा था कि यदि प्रतिबंध का उठाया जाना जनता के हित में होगा तो ज़रूर उठा लिया जायेगा । मैं हर्ष के साथ यह कहता हूं कि प्रतिबंध के उठाये जाने का त्रावनकोर-कोचीन में सामान्य रूप से स्वागत किया गया था ।

श्री पुन्नस (अल्लाप्पी): क्या माननीय सदस्य जानते हैं कि छोटे-छोटे व्यापारियों ने तो मंत्री महोदय से जब वे वहां तशरीफ़ ले गये थे तब और बाद में भी—यह अभ्यावेदन किया था कि त्रावनकोर-कोचीन रह न जाये ?

श्री ए० एम० टामस: छोटे व्यापारियों और उत्पादकों का अभ्यावेदन वायदे के सौदों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिये नहीं था ; यह तो केवल विधेयक के इस स्वरूप के सम्बन्ध में—जैसा कि वह प्रवर समिति से आया था एक अभ्यावेदन था कि अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदे इस विधेयक के क्षेत्र में न लाये जायें ।

अब मैं प्रवर समिति द्वारा किये गये रूपभेद का उल्लेख करूंगा । श्रीमान्, आपने कई अवसरों पर सदन का ध्यान इस विषय पर दिलाया है और यह प्रश्न प्रस्तुत किया है कि : "सरकार के पास अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों को इस विधेयक में शामिल करने के पक्ष में क्या कारण है ।" मेरा निवेदन यह है कि केन्द्रीय सरकार को उस विषय में जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसके आधार पर ऐसा निष्कर्ष न्यायोचित है । कपास, तिलहन, मूंगफली, अलसी, तिल, सरसों आदि के वायदों के सौदों सम्बन्धी आदेशों में ऐसे अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सौदों को छूट दिये जाने की व्यवस्था है । अतएव यदि केन्द्रीय सरकार के अनुभव को और मेरे अपने राज्य के अनुभव को देखा जाये तो उनसे प्रवर समिति द्वारा किये गये इस रूपभेद का न्यायौचित्य प्रकट होता है ।

मेरे माननीय मित्र श्री चाको ने कहा कि संघों द्वारा किये जाने वाले सौदों के अतिरिक्त अन्य वायदे के सौदों के किये जाने की अनुमति न दी जाये । यद्यपि यह एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है, तथापि मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले सौदों पर भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिये । श्री चाको ने अपने संशोधन द्वारा यह मांग की है कि वायदे के सौदे केवल संघों के मार्फ़त किये जायें । मैं इसका विरोध करता हूं । पूर्ण प्रतिबंध नहीं होना चाहिये । सदन में कहा गया था कि इन संघों के मान लिये जाने से उनका एकाधिकार हो जायेगा । परन्तु मेरी राय यह है कि विधेयक में इस बात की काफ़ी व्यवस्था है कि व्यापारियों का कोई भाग, जिसका व्यापार में भाग लेना व्यापारियों के सामान्य हित में वांछनीय है, उसमें हिस्सा लेने से वंचित न रह जाए।

एक सुझाव मुझे यह देना है कि यदि इस विधेयक के साथ कुछ आदर्श उपनियम लगा दिये जाते तो अधिक अच्छा होता। जैसा कि हम देखते हैं, भारतीय समवाय अधिनियम सारणी--क में भी कुछ उपनियम दिये हुए हैं। उस दशा में, उपनियमों को गज़ट में प्रकाशित कराने और केन्द्रीय सरकार को बार-बार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। एक बात यह भी है कि इन उपनियमों को लागू कराने के लिये भी कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई है। यदि कोई सौदा किसी उपनियम का उल्लंघन करता होगा तो वह खंड १५ (२) के अनुसार रद्द समझा जायेगा। वह केवल रद्द हो जायेगा, अवैध नहीं। रद्द होने का अर्थ यह हुआ कि उक्त सौदा किसी न्यायालय द्वारा मान्य नहीं घोषित कराया जा सकेगा इसके अलावा किसी अन्य दंड की व्यवस्था नहीं है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : माननीय सदस्य एक वकील होने के नाते यह मानेंगे कि सदन संघों द्वारा बनाये गये उपनियमों को ऐसा अधिकार नहीं दे सकता, चाहे वे उपनियम सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए गये हों।

श्री ए० एम० टामस : यदि उपनियमों का उल्लंघन किया गया तो उल्लंघनकारी को किस प्राधिकार से दंड दिया जायेगा? यदि हमें वायदा बाज़ार पर समुचित ढंग से नियन्त्रण रखना है तो हमें इस बात की भी पूर्ण व्यवस्था करनी होगी कि इन उपनियमों का पूर्ण रूप से पालन ....

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वे 'क्लब नियमों' के समान होंगे।

श्री ए० एम० टामस : चाहे कुछ भी हो। मेरी राय यह है कि वायदा बाजार के समुचित नियमन के लिये यह ज़रूरी है कि खंड १५ के उपखंड (२) में किये गये उपबंध के पृष्ठ में कोई प्राधिकार हो।

इन शब्दों के साथ मैं विधयक का, जिस रूप में कि यह प्रवर समिति से आया है, समर्थन करता हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुडगांव) : मैं फ़ार्वर्ड कंट्रेक्ट्स की इंट्रिकेसीज़ से, जैसी कि वे बड़े बड़े शहरों में होती हैं, पूरा वाक़िफ़ नहीं हूं। लेकिन जो चीज़ मैं जानता हूं और जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि यह फार्वर्ड कंट्रेक्ट्रस का मसला सिर्फ बड़े शहरों के वास्ते ही नहीं है। आज हम छोटे छोटे क़स्बों, छोटे छोटे शहरों में भी यह नई बिद्दत देखते हैं। सभी लोग इस कंट्रेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं और फ़ौरन एक दम से लखपति और करोड़पति बनना चाहते हैं। यह जो आदत जुआ खेलने की रोज ब रोज बढ़ती जा रही है यह चीज़ ऐसी थी जिस के बारे में हर एक यह उम्मीद करता था कि गवर्नमेंन्ट किसी न किसी तरीके से मौक़ा निकाल कर इस को बन्द करने का क़ानून लायेगी। हम इस क़ानून के पढ़ने से यह ज़रुर समझते हैं कि गवर्नमेंट ने, जो फार्वर्ड कंट्रेक्ट्स करते हैं, उन की रोक थाम की कोशिश की है। लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूं क्योंकि यह कानून काफ़ी दूर तक नहीं गया है इस बिद्दत को रोकने के वास्ते। आज सभी जगह पर इस तरह के कंट्रेक्ट्स होते हैं। भटिंडा में और ज़िला हिसार में छोटे कस्बों हांसी, सिरसा या हिसार में आज जा कर देखिये तो आप पायेंगे कि कई कई चैम्बर्स खुले हुए हैं और उन का काम सिवा सट्टेबाज़ी के और कुछ नही है। इस बिद्दत को रोकना गवर्नमेंट का फर्ज़ था जिस में इस मुल्क से जुआबाजी उठ जाये। यह एक नैशनल सिन बन गया है। एक छोटे से शहर

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

भिवानी के अन्दर सट्टेबाज़ी होती है किसी और बुनियाद पर नहीं बल्कि इस पर कि अगर मेंह बरसेगा तो यह परनाला चलेगा या नहीं। अगर परनाला चलने जैसा पानी गिरेगा तो एक आदमी फलां शख्स को इतना रुपया देगा और अगर परनाला चलने जैसा पानी नहीं गिरेगा तो वह शख्स फ़लां आदमी को इतना रुपया देगा। एलेक्शन के पीछे सट्टा होता है कि फलां शख्स जीतेगा तो इतना रुपया दूंगा और अगर नहीं जीतेगा तो इतना रुपया तुम मुझे देना। तो आज यह आदत नैशनल सिन की तरह पर है। जो आदत द्रोपदी के जुवे में हार जाने के समय पर या दमयन्ती के हार जाने के समय पर थी वह आज भी चली आती है। दिवाली के मौके पर लोग सट्टा खेलते हैं। हमारी गवर्नमेन्ट को चाहिये था कि इस आदत को बन्द करने के वास्ते कोई क़ानून लाती, इसे दुरुस्त करने के लिये कोई क़ानून लाना गवर्नमेन्ट की मोरल ड्यूटी थी। कम से कम छोटे शहरों में और गांवों में इस बिद्दत को ज़रूर दबाना चाहिये जिस में उन को गैम्बलिंग की आदत छूटे। इस के अलावा मैं इस विद्दत का एक असर और देखता हूं। छोटे छोटे दूकानदार अपनी हैसियत से ज्यादा सट्टेबाज़ी करते हैं। उन की हैसियतें हज़ार दो हज़ार की होती हैं और वह सट्टेबाजी करते हैं लाखों और करोड़ों की। नतीजा यह होता है कि वह सब के सब तबाह हो जाते हैं। आप किसी छोटे शहर में जाइये, आप बहुत से ऐसे आदमी पायेंगे जो इस विद्दत की वजह से तबाह हो गये। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस बीमारी का कुछ न कुछ इलाज ज़रूर होना चाहिये। सरकार ने यह किया है कि चन्द शहरो में रिकग्नाइज़्ड ऐसोसिएशन्स कायम करने की तजवीज़ रक्खी है। उन को भी पूरे अख्त्यार नहीं हैं। जो इजाज़त उन को दी गई है उस के मुताबिक वह सिर्फ कुछ हद्द तक ही काम कर सकेंगी।

सारे कंट्रेक्ट्स के बारे में मेरा यह ख्याल है कि अगर कोई भी कंट्रेक्ट वेजरिंग कंट्रेक्ट मालूम होता है—ख्वाह वह खालिस ओपशन का सवाल न हो बल्कि उस में वेजरिंग भी हो—तो उस को रोका जाय क्योंकि वह तो और भी खराब है। अगर सरकार इस को नहीं रोकती है तो वह एक तरह से लोगों को जूआ खेलने की इजाज़त देती है। मैं जानता हूं कि नानट्रांस्फ़रएबल स्पेसिफ़िक डिलिवरी कंट्रेक्ट के अन्दर जूए का प्रचार होगा और रेडि डिलिवरी कंट्रेक्ट में भी जुए की गुंजाइश है। इस आदत से देश में बहुत अत्याचार हो रहा है, इस को रोका जाय। हर एक आदमी को मेहनत कर के रोटी कमानी चाहिये, यह नहीं कि एक मिनट में जुए से लखपति और करोड़पति हो जाय। इस के वास्ते इस एक्ट के अन्दर कोई चीज नहीं। बल्कि इस के लिये जो चीज मैं देखता हूं वह यह है कि मि० शाह ने एक नोट लिखा है। मेरे ख्याल में हर एक मेम्बर इस की ताईद करेगा और गवर्नमेन्ट की भी मंशा यही है। गवर्नमेन्ट भी नहीं चाहती कि सट्टेबाजी हो। लेकिन अगर गवर्नमेन्ट सट्टेबाज़ी को नहीं रोकती तो एक तरह गवर्नमेन्ट सट्टेबाज़ी के साथ कनाइव करती है। जब शारदा ऐक्ट यहां हाउस में आया था तो हम जानते थे कि उस पर अमल नहीं होगा लेकिन उस का मारल असर बहुत बड़ा हुआ। हजारों केसेज में से किसी एक पर मुकदमा चलाया गया होगा मगर उस का देश पर बहुत अच्छा मारल असर पड़ा। अगर गवर्नमेन्ट उन बहुत सी चीजों के लिये ही यह कर देती कि जिन में स्टेबिलाइजेशन आफ़ प्राइसेज के लिये सट्टेबाजी की जरूरत नहीं

उन चीजों में सट्टेबाज़ी न की जाय और वेजरिंग कांट्रेक्ट को वाइड करार दे देती तो यह विद्दत मुल्क से बहुत कुछ दूर हो जाती। अगर गवर्नमेन्ट यह एलान कर देती कि जिस कांट्रेक्ट में एक्चुअल डिलिवरी न हो फिर चाहे वह ट्रांसफरेबिल हो या नान-ट्रांसफरेबिल हो वह वाइड करार दे दिया जायगा तो यह विद्दत किसी क़दर दूर हो जाती। मेरी शिकायत यह है कि आप ने जानते हुए भी इस विद्दत को दूर करने की कोशिश नहीं की। आप इस हद तक तो गये हैं कि यह चीज़ बुरी है लेकिन इस को रोकने की कोशिश नहीं की। आप ने कुछ इलाकों में इस को रेग्युलेट करने की कोशिश की है।

मैं ने शाह साहब का नोट आफ़ डिस्सेंट भी देखा है पर यह भी बहुत दूर तक नहीं जाता। जहां तक फारवर्ड कांट्रेक्ट का सवाल है मैं उस के तो खिलाफ नहीं हूं। अगर कोई शख्स हाउस में आ कर कहे कि फारवर्ड कांट्रेक्ट को बन्द कर दिया जाये तो यह कहना ठीक नहीं होगा। क्यों कि अगर ऐसा कर दिया जाये तो सारी इंडस्ट्री ही खत्म हो जायगी। इडस्ट्री वाले कई महीने पहले से फारवर्ड कांट्रेक्ट कर लेते हैं जैसे कि रुई में और दूसरी चीज़ों में होता है। इस के कोई खिलाफ़ नहीं हो सकता क्यों कि इस से तो स्टेबिलाइज़ेशन आफ़ प्राइसेज़ होता है। लेकिन जहां पर डिलिवरी का सवाल नहीं है और जहां पर बहुत ज्यादा ओवरट्रेडिंग होता है उस से मैं समझता हूं कि नुकसान होता है। इसी वासते हमारे मिनिस्टर साहब ने फ़रमाया है कि यह पहला इंस्टालमेंट है लेकिन मैं समझता था कि गवर्नमेन्ट पहले ही इंस्टालमेंन्ट में इस की कुछ रोकथाम करेगी। पर यह पहला इंस्टालमेंट तो एक होमियोपैथिक इस्टालमेंट सा है। वह इस विद्दत को नहीं रोकता। आप ने इस में यह भी नहीं कहा कि जिस फारवर्ड कांट्रेक्ट में डिलिवरी नहीं होगी वह वाइड होगा। आप्शन और वेजरिंग कांट्रेक्ट में फर्क़ है। लेकिन जहां डिलिवरी न हो उस को वाइड माना जाना चाहिये। यह तो हुई उसुल के मुताबिक़ बात।

दफ़ा १८ की मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। आनरेबुल मिनिस्टर साहब ने कहा कि जहां के लोग चाहेंगे वहां वह इजाज़त दे देंगे। तो इस से कोई फर्क नही पड़ता। जैसे अगर बम्बई वाले चाहें तो मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वह इजाज़त दे देंगे और १८ (३) का इस्तमाल करेंगे।

मैं तो एक दूसरी बात की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। दफ़ा २२ का जो पहला कलाज़ रखा गया है मैं उस के बारे में अदब से तवज्जह दिलाना चाहता हूं। मैं कुछ अर्से से यह देखता आ रहा हूं कि जहां कम्पनीज़ का सवाल आता है वहां आम तौर पर हाउस का यह रवैया रहा है कि उस कम्पनी से जो भी ताल्लुक रखता हो उस पर जुर्म आयद कर दिया जाय। चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, या उस का उस से ताल्लुक हो या न हो, सब पर जुर्म लगा दिया जाता है। यह इन्साफ नहीं है। एक कम्पनी के डाइरेक्टर को एक ऐसे काम के लिये ज़िम्मेदार ठहराया जाता है जिस का उसे इल्म तक नहीं है। जिन कम्पनियों में मैनेजिंग एजेंट होते है उन में डाइरेक्टरों को क्या पता रहता है। लेकिन आप ने डाइरेक्टर को, सेक्रेटरी को, मैनेजर को यानी हर शख्स को, जिस का कोई भी वास्ता उस बिज़नेस से न हो उस को भी लाइबल कर दिया है। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि क्रिमिनल ला के मुताबिक उसी शख्सको मुजरिमक़रार

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

दिया जा सकता है जिस का उस बिज़नेस से ताल्लुक हो । ऐसा नही हो सकता कि एक डाइरेक्टर उस काम के लिये ज़िम्मेदार क़रार दे दिया जाय जिस का कि उसे इल्म तक नहीं है । आप को मालूम है कि उस ने जुर्म नहीं किया है, लेकिन चूंकि वह एक कम्पनी का इ चार्ज है और बड़ा आदमी है और एक केपिटलिस्ट है इस लिये उस को फांसी दे दी जाय । मैं अदब से अर्ज करूंगा कि यह दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त यह है कि चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो अगर उसकी नीयत उस जुर्म में है तो उस पर मुकदमा कायम किया जाये । मैं चाहता हूं कि इस में यह लिखा जाय कि जिस पर जुर्म आयद हो उसी को मुजरिम करार दिया जाये । लेकिन अगर किसी की नालिज में यह काम नहीं है तो उस को मुजरिम करार नहीं देना चाहिये और जिस की नालिज में यह काम हुआ हो उस को यह साबित करने का मौका देना चाहिये कि उस ने उस बुराई को बचाने की पूरी कोशिश की । अगर वह यह साबित कर सके तो उस पर भी जुर्म आयद नहीं होना चाहिये ।

इसी सेक्शन २२ के क्लाज़ २ में यह दिया है कि जो भी इनफेक्शन के वास्ते जिम्मेदार हो उस को मुजरिम करार दिया जाये । अगर किसी कम्पनी में किसी खास आदमी के सुपुर्द फारवर्ड ट्रेडिंग का काम है और वह अपने फ़र्ज में कोताही करता है उस को मुजरिम करार दिया जाय और उस को सज़ा दी जाय । लेकिन जितने भी आदमी उस कम्पनी में काम करते हैं उन सब को मुजरिम नहीं करार दिया जा सकता ।

मैं हर एक बिल में यही चीज देखता हूं । अभी हमारे सामने फूड स्टफ्स अडल-ट्रेशन बिल मोजूद है । उस में भी यही देखता हूं । उस में भी क्रिमिनल ला के जो उसूल हैं उनका ध्यान नहीं रखा गया है ।

श्री भवन जी (कच्छ पश्चिम) : इस विधेयक के सम्बन्ध में अब तक जो वाद-विवाद हुआ है उसे मैं ने बड़े ध्यान के साथ सुना है । वाद-विवाद का विषय अधिकांश रूप से यह रहा है कि अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदे अध्याय ३ तथा ४ के अन्तर्गत लाये जाने चाहियें या नहीं । मेरी समझ में वाद-विषय छोटे व्यापारियों तथा बड़े व्यापारियों के बीच है । वास्तव में प्रश्न यह है कि क्या हम इन अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सौदों को सटोरियों के हाथों में सौंप देना चाहते हैं या यह चाहते हैं किये उसी प्रकार होते रहें जैसे पिछले सैकड़ों वर्षों से होते रहे हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से श्री चटर्जी ने, अपने संशोधनों के पक्ष में बोलते हुए यह कहा है कि इन अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सौदों का बहुत दुरुपयोग किया जाता रहा है अतएव खंड १८ अध्याय ३ तथा ४ के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये । सदन को याद होगा कि युद्ध काल में, जब कि सब वायदे के सौदों पर प्रतिबन्ध था, इन अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों के किये जाने की इज़ाज़त थी ।

इस विधेयक का लम्बा इतिहास है । जब पहला विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तो सरकार बड़ी सावधान थी । उसने एक प्रारूप तैयार करके अनेक वाणिज्यिक संघों तथा समस्त राज्य सरकारों को परिचित किया था और उनकी सम्मतियां ज्ञात करके एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी, इस विशेषज्ञ समिति में बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिन्हें इस विषय का व्यवहारिक तथा प्रशासनात्मक ज्ञान था । समिति ने विभिन्न

सौदों के फायदे, नुकसान आदि विषयों पर पूर्ण रूप से विचार किया था । अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों की चर्चा करते हुए विशेषज्ञ समिति ने यह कहा था कि यदि ऐसे सौदों को उन प्रतिबंधों से मुक्त न किया गया, जो अन्य प्रकार के वायदे के सौदों पर लगाये जायें, तो व्यापार को बहुत असुविधा होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अधिक समय लेंगे ?

श्री भवन जी : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर आप मध्यान्ह भोजन के बाद बोलें ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिए ढाई बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् सदन की बैठक ढाई बजे पुनः समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री भवनजी : मुझे प्रसन्नता है कि प्रवर समिति ने , जहां तक खंड १८ का प्रश्न है, विशेषज्ञ समिति की सिपारिश मान ली है । कुछ माननीय सदस्यों ने प्रभारी मत्री की इस लिये आलोचना की क्योंकि उन्होंने अपनी पहली राय बदल दी । परन्तु मैं उन व्यक्तियों में से एक हूं जो अपनी पहली राय को गलत समझने पर दूसरी राय कायम करने वाले लोगों की सराहना करते हैं, आलोचना नहीं ।

इस खंड की आलोचना करने वाले माननीय सदस्यों में से एक नें—यदि मैं ग़लती नहीं कर रहा हूं तो शायद श्री चटर्जी ने ही—यह तर्क प्रस्तुत किया कि इन सौदों का प्रायः दुरुपयोग किया जाता है और उन्हें वायदे के सौदों का रूप दे दिया जाता है । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में उन्होंने एक संघ विशेष का भी उल्लेख किया । यह कहा गया कि इस संघ द्वारा किये गये सौदों का दुरुपयोग किया गया और बाद में उन्हें भुगतान करके बराबर कर दिया गया । परन्तु मैं जानता हूं कि ऐसा कदम कुछ विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत उठाया गया था और वह भी बम्बई सरकार की स्वीकृति से । अतः इस घटना का उदाहरण के रूप में उल्लेख करना उक्त संघ के साथ न्याय करना नहीं है । विशेषज्ञ समिति भी इस स्थिति से पूर्ण रूप से, अवगत थी, परन्तु फिर भी उसका कहना है कि कुछ खराबियों की वजह से सम्पूर्ण व्यापार व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता ।

खंड १८ के विरोधियों ने अपने तर्क के तीन आधार उल्लिखित किये हैं । पहला यह कि इस का दुरुपयोग किया जायेगा । दूसरा यह कि यदि मूल खंड रख दिया जाये तो छोटे-छोटे व्यापारियों को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है । तीसरा यह कि १९४७ का बम्बई अधिनियम इतने सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है कि इस संशोधित खंड की कोई ज़रूरत प्रतीत नहीं होती ।

जहां तक इसके दुरुपयोग किये जाने का डर है, मान लीजिये कि सदन मूल खंड १८ को ही रखने का फैसला कर लेता है तो स्थिति क्या होगी ? जहां कहीं अभिस्वीकृत संघ हैं वहां उन संघों के सदस्यों की मार्फ़त कारबार हो सकता है । बम्बई अधिनियम के लागू होने से पहले किसी नये व्यापारी के लिये व्यापार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी । उसे तब तक इन्तज़ार करना पड़ा था जब तक कि

[श्री भवनजी]

कोई सदस्य अपनी सदस्यता बेचने के लिये तैयार न हो जाये। एक समय तो सदस्यता शुल्क बढ़ कर ९५,००० रुपये तक पहुंच गया था। हां, बम्बई सरकार ने फिर यह प्रतिबंध हटा लिया और कोई भी वास्तविक व्यापारी सदस्य हो सकता था। लेकिन फिर भी स्थिति क्या है? ईस्ट इंडिया काटन ऐसोसियेशन की सदस्यता के लिये २०,००० रुपये जमा करने पड़ते हैं और २,५०० रुपये प्रवेश-शुल्क के रूप में देने होते हैं। इसके अलावा वार्षिक शुल्क तो है ही। तो कोई छोटा व्यापारी इतनी रक़म कैसे फंसा सकता है? इस डर से कि कहीं कुछ बड़े व्यापारी या संघ इस खंड का दुरुपयोग न करने लगें, बेचारे छोटे-छोटे व्यापारियों को कारबार करने से क्यों वंचित किया जाये? फिर भी, यदि यह पता चलेगा कि इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो खंड १८ (३) लागू कर दिया जायेगा। माननीय मंत्री वाद-विवाद के दौरान में कितनी ही बार यह आश्वासन दे चुके हैं कि ज्यों ही कोई राज्य सरकार अधिसूचना निर्गमित किये जाने की प्रार्थना करेगी, त्यों ही अधिसूचना निर्गमित कर दी जायेगी। हां, इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि यदि कोई राज्य सरकार आवेदन करे, तो भी वह अधिसूचना निर्गमित करने से पूर्व स्थिति की अच्छी तरह जांच करें तथा सम्बन्धित लोगों को अपना दृष्टिकोण प्रकट करने का पूरा मौका दें ताकि उन्हें ठीक विनिश्चय करने में सहायता मिल सके।

दूसरा तर्क यह दिया गया कि यदि मूल खंड १८ रखा जाये, तो भी छोटे व्यापारी को कोई कठिनाई नहीं होगी और न ही सामान्य व्यापार को धक्का पहुंचेगा। परन्तु मेरे ख्याल में यह एक गलत तर्क है। उदाहरण के लिये, बम्बई राज्य में चार क्षेत्र होंगे और एक क्षेत्र में एक से अधिक संघ नहीं होंगे। प्रत्येक क्षेत्र बहुत बड़ा होगा। क्या आप छोटे व्यापारी से यह आशा कर सकते हैं कि वह केवल संघ की मार्फ़त क्षेत्र के दूरस्थान भागों में व्यापार करें?

तीसरा तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि १९४७ का बम्बई अधिनियम इतने सन्तोषजनक ढंग से चला है कि सरकार को अभिस्वीकृत संघों के सुचारु रूप से काम करने के बारे में कोई सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है। इन पांच वर्षों में बम्बई सरकार बम्बई अधिनिम को केवल दो और चीज़ोंपर लागू कर पाई है: सोना-चांदी और तिलहन। ज्यों ही बुलयेन एक्सचेंज अभि-स्वीकृत किया गया, कीमत में भारी उतार-चढ़ाव आया। अक्सर संकटकाल की घोषणाएं की गईं बम्बई उच्चन्यायालय में प्रायः मुकदमे बाजी चली। आपको याद होगा कि मुद्गल जांच भी इसी संघ में हुई कुछ घटनाओं के परिणामस्वरूप की गई थी। अब बम्बई आयलसीड्स एक्सचेंज को लीजिये। वहां क्या हुआ? मार्च १९५२ में वहां कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव आया और अन्त में संघ को मूल्य निश्चित करने के लिये विवश होना पड़ा तथा पिछले सब सौदों को बराबर करना पड़ा। उस संघ द्वारा किये गये सौदों की मान्यता के सम्बन्ध में कुछ मुकदमे उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। यदि इसी को 'सुचारु रूप से काम करना' कहते हैं तो ईश्वर बचाये।

यह कहा जाता है कि जहां अभिस्वीकृत संघ विद्यमान हो वहां इन अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदे पूर्ण रूप से उस संघ को ही सौंप दिये जायें क्योंकि ये संघ बहुत सन्तोषजनक रीति से काम कर रहे हैं। तो मैं यह बतलाने की कोशिश

कर रहा हूं कि ये संघ किस हद तक संतोषजनक रीति से काम कर रहे हैं।

बम्बई अधिनियम को लागू हुए पांच वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, परन्तु बम्बई सरकार अभी तक इस अधिनियम के अन्तर्गत केवल दो ही और चीज़ें ला सकी हैं। बहुत सी दूसरी चीज़ों में अभी सट्टा ज़ोरों पर है। बम्बई सरकार सट्टे को नहीं रोक सकी है और न ही अधिक संघों को उस अधिनियमों के अन्तर्गत ला सकी है। जो दो वस्तुएं अधियिम के नियन्त्रण में लाई गई हैं उनके सम्बन्ध में भी कार्यसंचालन सन्तोषजनक नहीं है। ऐसी दशा में केन्द्रीय सरकार से यह कहना कि उसे यह बात मान लेनी चाहिये कि जहां अभिस्वीकृत संघ विद्यमान हो, वहां अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदे किसी अन्य निकाय को न सौंपे जायें, एक ऐसा तर्क है जो मैं समझता हूं किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगा।

इस देश में नियन्त्रणों की बहुत आलोचना की जाती है। क्या कारण है कि यहां नियन्त्रण इतने अलोकप्रिय हैं? इसका कारण यही है कि उनको ठीक तरह से क्रियान्वित नहीं किया जाता। प्रस्तुत विधेयक अत्यधिक आवश्यक है। इसीलिए हम उसे अधिनियमित कर रहे हैं। परन्तु हमें इतनी तेज़ी के साथ अग्रसर नहीं होना चाहिये कि नियन्त्रणों का उपभोक्ताओं के हित में लागू किया जाना कठिन हो जाये। अतएव मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि विधेयक के पारित हो जाने के बाद भी उन्हें धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिये।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: सदन के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा कुछ ऐसे ढंग से हुई है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का वर्गीकरण करने के सब प्रयत्न विफल हो जाते हैं। कुछ सदस्यों ने विधेयक की निंदा इसलिये की है क्योंकि, मैं समझता हूं, उन्हें उसके क्षेत्र और उसकी उपयोगिता के विषय में भ्रन्ति है। कुछ अन्य सदस्यों ने इसका समर्थन तो किया है किन्तु झिझक के साथ। उन्हें छोटे छोटे व्यापारियों तथा उत्पादकों के सम्बन्ध में कुछ सन्देह है। विरोधी पक्ष के बड़े बड़े लोगों, श्री तुलसीचन्द किलाचन्द और श्री चटर्जी ने खंड १८ पर अधिक ध्यान दिया था। सदन ने श्री तुलसीचन्द किलाचन्द के विचार बड़े दिलचस्पी के साथ सुने होंगे। यह तो ठीक है कि उन्हें वायदा बाज़ार का काफ़ी अनुभव है और मुझे यह भी पता चला ह कि बम्बई से विशेषज्ञ परामर्शकों के आने से उनके ज्ञान में और भी वृद्धि हो गई थी ताकि वह खंड १८ का अधिक ज़ोर से विरोध कर सकें। इसके विपरीत श्री चटर्जी ने खंड १८ का विरोध निःस्वार्थ भाव से किया था। कोई भी व्यक्ति उनके विधि सम्बन्धी पांडित्य तथा उन की समझ बूझ की सराहना किये बिना नहीं रह सकता। मैं श्री गांधी, श्री हेडा, श्री आल्तेकर, श्री बंसल, श्री राघवाचारी, श्री टामस तथा श्री भवनजी खीमजी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने विधेयक का समालोचनापूर्ण समर्थन किया। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र श्री वी० पी० नायर मुझ से उत्तर की आशा नहीं कर रहे हैं।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल): मैं उत्तर की आशा कर रहा हूं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे उत्तर देने की अनुमति तो मिल गई है, परन्तु मैं उसका उपयोग नहीं करूंगा। खेद तो मुझे इस बात का है कि उन्होंने जो इतना परिश्रम किया वह बेकार गया। विरोधी पक्ष में तो हम सभी रह चुके हैं और कदाचित हमने अधिक लोगों को आड़े हाथों लिया था। परन्तु हमने कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

नहीं किया। इस प्रकार की निन्दा तो तब की जाती है जब तर्कों की कमी हो। मैं माननीय सदस्य के प्रति वैसी ही भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता जैसी कि उन्होंने की थी। अफ़सोस तो मुझे इस बात का है कि उन्हें पहले कही गई बातों का प्रयोग करना पड़ा—जो कि मेरे प्रतिष्ठित पूर्वाधिकारी द्वारा एक पूर्व अवसर पर प्रयोग की गई थी। अभी उन्हें राजनीति में काफ़ी आगे बढ़ना है और मुझे आशा है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वे पहले कही गई बातों पर कम निर्भर होते जायेंगे।

माननीय सदस्य ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के कार्यसंचालन के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए यह कहा कि उस मंत्रालय में जनता की शिकायतें तो रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती हैं। मैं अपने माननीय मित्र को विश्वास दिला सकता हूं कि मेरे मंत्रालय में उन्हें रद्दी की टोकरी में नहीं बल्कि प्रायः फाइलों में स्थान दिया जाता है। हां माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार के मंत्रालयों को भेजी जाने वाली ऐसी शिकायतों के उत्तर माननीय सदस्य के पक्ष की शिकायतें गढ़ने की क्षमता के प्रतीय अनुपात में होते हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री रघुरामय्या ने कुछ बातें मंत्रणा समितियों के बारे में कही थीं। मैं समझता हूं कि जिस समय मैंने इस प्रस्ताव को विचारार्थ प्रस्तुत किया था उस समय यह स्पष्ट कर दिया था कि मंत्रणा समिति के कर्त्तव्य क्या हैं। वायदा बाज़ार सम्बन्धी आयोग मंत्रालय का ही एक अंग होगा। अतएव यह प्रश्न तो उठता ही नहीं कि आयोग जो परामर्श देगा वह सरकार को माना होगा या नहीं। वायदा बाज़ार सम्बन्धी आयोग की सदस्यता सीमित है। अधिक से अधिक इस में तीन सदस्य रखे जा सक हैं। अब मैं समझता हूं कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके क्षेत्र और स्वरूप के बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल तो इसका सम्बन्ध निहित स्वार्थों तथा सामान्य जनता के साथ परामर्शक के रूप में होगा। अभी इस समिति की रचना सम्बन्धी बातें तय की जानी हैं जो सरकार के नियम बनाने के अधिकारों पर छोड़ दी गई हैं। मैं नहीं समझता कि कोई माननीय सदस्य यह कहेगा कि व्यापार में संलग्न तथा वायदा बाज़ारों में कार्य करने वाले या किन्हीं विशेष वस्तुओं के सम्बन्ध में हमसे परामर्श चाहने वाले व्यक्तियों की मंत्रणा समिति बनाना—जिसमें १५ या १० सदस्य हों—ठीक नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग इस मंत्रणा समिति को वायदा बाज़ार सम्बन्धी आयोग के साथ क्यों मिला देते हैं और फिर कहते हैं कि इन दो में से एक फ़ालतू है। मुझे आशा है कि सब माननीय सदस्य इस मंत्रणा समिति का प्रयोजन समझते हैं और वे इस पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे।

पहले मैं श्री एन० सी० चटर्जी द्वारा की गई आलोचना के विषय में बोलूंगा। मेरा ख्याल है कि यदि मैं इस समय स्थिति स्पष्ट कर दूं तो अधिक अच्छा होगा; हां, मैं तर्कों को दुहराने का दोषी अवश्य होऊंगा। १९५० के विधेयक में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के पैरा ५ में की गई सिपारिशों का अनुसरण किया गया था। १९५० के विधेयक में यह विशिष्ट रूप से उल्लेख है अध्याय ३ तथा ४ अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों पर लागू नहीं होंगे। यह ऐसे सौदों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति की पहली सिपारिश थी।

विशेषज्ञ समिति की सिपारिश यह थी कि यद्यपि विधेयक समस्त वायदे के सौदों पर लागू हो, तथापि सरकार को

यह अधिकार होना चाहिये कि जहां वह यह समझे कि स्थानान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों के शामिल किये जाने से सम्बन्धित व्यापार की कठिनाइयां बढ़ जायेंगी वहां वह उन्हें इस विधेयक के प्रभाव से मुक्त रख सकें। १९५० के विधेयक में, खंड २६ के उपबन्ध के द्वारा, इसकी अपेक्षा थी। वर्तमान विधेयक में खंड २७ है। वर्तमान प्रवर समिति ने इस खंड की जांच करते हुए यह अनुभव किया था कि यदि ऐसे सौदों को मुक्त करने की व्यवस्था विधेयक में स्पष्ट कर दी जाये तो उन स्वत्वों को, जिन्होंने इसका आग्रह किया था, अधिक विश्वास हो जायेगा। खंड १८ (२) में उपबन्ध इसी के परिणामस्वरूप है।

विशेषज्ञ समिति की तीसरी सिपारिश यह थी कि सरकार अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों पर, जहां इस बात का पक्का प्रमाण मिलता हो कि उनके धारा से बाहर रखे जाने से ऐसी बातें पैदा हो गई हैं जिनसे विधान का प्रयोजन ही विफल हो सकता है, ऐसे नियन्त्रण लगाये जैसे कि वह आवश्यक समझे। यह उपबन्ध मूल विधेयक के खंड १८ के उपखंड (२) के द्वारा किया गया था। सदन को ज्ञात है कि १९५१ की प्रवर समिति ने क्या परिवर्तन किया था। अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सौदों को दी गई छूट हटा ली गई और उसके स्थान पर सरकार के ऊपर यह आभार लगा दिया गया कि ज्यों ही खंड १५ के अन्तर्गत अधिसूचना निर्गमित कर दी जाये, त्यों ही वह एक अधिसूचना जारी करे जिसमें उस क्षेत्र का उल्लेख हो वहां एक अभिस्वीकृत संघ भी अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सौदों का नियन्त्रण और नियम न करे। यदि सरकार ऐसा करे तो अध्याय ३ तथा ४ अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों पर केवल ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों पर तथा केवल ऐसी वस्तुओं पर लागू होंगे जो अधिसूचना में उल्लिखित हों। स्वभावतः मूल विधेयक का उपखंड (२) इस परन्तुक के शामिल किये जाने के बाद अप्रभावी होगा। एक और उपखंड था – पहली प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित खंड १८ का उपखंड (२) — जिसमें यह उपबन्धित था कि यदि सरकार यह समझे कि किसी ऐसे क्षेत्र में जिस पर यह अध्याय और अध्याय ३ लागू नहीं होते हैं, अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सौदों का नियंमन तथा नियन्त्रण करना आवश्यक है, तो वह एक अधिसूचना निर्गमित कर सकती है। खंड १८ के उपखंड (२) में, जैसा कि वह विधेयक के प्रवर समिति को भेजे जाने के समय था, कुछ ऐसी चीज़ थी जो आवश्यक नहीं थी। उसमें यह व्यवस्था थी कि यदि सरकार यह समझती है कि किसी ऐसे क्षेत्र में, जिस पर अध्याय ३ तथा ४ लागू नहीं होते, अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सौदों का नियमन तथा नियन्त्रण आवश्यक है, तो वह एक अधिसूचना निर्गमित कर सकती है और उसके द्वारा यह घोषित कर सकती है कि इन आध्यायों के सब या कोई उपबन्धों ऐसे क्षेत्रों पर जिनका उसमें उल्लेख हो, लागू होंगे। यह बात विधेयक के प्रयोजन के परे थी। प्रवर समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के प्रस्ताव पर बोलना आरम्भ करते समय मैंने यह कहा था कि इस विषय में कुछ गलतफहमियां हैं और मैं उपबन्धों को, विशेष रूप से खंड १८(२) के उपबन्ध को, केवल इसीलिये नहीं बदलना चाह रहा था क्योंकि यह इससे पहले वाले सदन द्वारा विधिवत बनाई गई प्रवर समिति द्वारा मंजर कर लिया गया था। निस्सन्देह,आपत्ति यह की जा रही है कि यह उपबन्ध यों का त्यों रखा जाता और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किये जाते। परन्तु किसी भी माननीय सदस्य ने खास प्रसंग की ओर ध्यान नहीं दिलाया। खंड १८ (२) के पृष्ट में क्या विशेषता थी ? न तो श्री चटर्जी ने और

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

न ही श्री तुलसीदास ने इसकी ओर निर्देश किया। श्री चटर्जी ने जो कुछ कहा उसके सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। जहां तक मामले के गुणावगुणों का सवाल है, इन दो भाषणों में से श्री चटर्जी के भाषण में अधिक ठोस बातें कही गई हैं; श्री तुलसीदास तो इधर उधर की बातें उद्धृत कर रहे थे।

मैं श्री चटर्जी का आभारी हूं कि उन्होंने विधेयक के सामान्य सिद्धान्त का समर्थन किया। मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार स्थिति को स्पष्ट किया उससे सब के सन्देह दूर हो गये होंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है; और यही कारण है कि वायदे के सौदों का नियन्त्रण करने के लिये एक ऐसे विधेयक की परमावश्यकता है। उन्होंने खंड १८ का विरोध करते हुए जो जो बातें कहीं मैं उन्हें क्रमानुसार लेता हूं। एक बात तो उन्होंने यह पूछी कि जब बम्बई अधिनियम भिन्न प्रकार का है तो फिर यह विधेयक ऐसा क्यों है। निःसन्देह, १९५१ की प्रवर समिति ने बम्बई अधिनियम का ढांचा बदल दिया था। अब उन्हें इसका कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि दूसरी प्रवर समिति उसे फिर बदल दे। उन्होंने यह भी कहा कि बम्बई अधिनियम के लागू होने के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत है। जहां तक खंड १८ (३) का प्रश्न है, जिसमें सरकार को वही अधिकार दिये गये हैं जो खंड १८(२) में, जैसा कि वह प्रारम्भ में था, दिये गये थे, उन्होंने उसे यों ही टाल दिया। उन्होंने यह भी सन्देह प्रकट किया था कि कहीं स्वार्थी लोगों से तो इस परिवर्तन का कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं यह कहूंगा कि मैं यह नहीं जानता था कि स्वार्थी लोग दोनों तरफ़ सरगरमी दिखला रहे हैं। स्वार्थी लोग कभी अकेले नहीं होते। वे विभिन्न दिशाओं में कार्य करते हैं। दोनों ही तरफ़ ऐसे लोग थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी तरफ़ वाले स्वार्थी लोगों ने ज्यादा सरगरमी दिखलाई। मैं अभी तक यह नहीं समझ सका कि केन्द्रीय सरकार के इस आभार कि वह ऐसे क्षेत्र की परिभाषा करें जिसमें एक खंड १५ के अन्तर्गत अभिस्वीकृत संघ अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों का नियमन तथा नियन्त्रण कर सकता है, तथा सरकार को कुछ ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में जहां अध्याय ३ तथा ४ पहले ही लागू हो सकते हैं, अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सौदों को अन्य प्रकार के वायदे के सौदों की श्रेणी में रखने की अनुमति देने वाले उपबन्ध के बीच क्या अन्तर है। मैं विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि खंड १८(१), जैसा कि वह शुरु में था, और खंड १८(३), जैसा कि वह अब है, के उपबन्धों में अन्तर केवल नाममात्र का है।

मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी ने ऐसे उदाहरण दिये जिनसे यह प्रकट होता था कि संघों ने अपने सदस्यों को इस बात के लिये विवश किया कि वे अपने हस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों का भुगतान निश्चित तिथि के पहले ही कर दें। इससे तो यही प्रकट होता है कि शक्तिशाली स्वार्थी लोग अपना कार्य करते रहेंगे, चाहे आप उन्हें संघ के बाहर रखें या अन्दर। उन्होंने जो उदाहरण दिये उनसे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वह इस बात का समर्थन कर रहे थे कि अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदे संघ के क्षेत्र में शामिल नहीं किये जाने चाहियें क्योंकि संघ अनुचित दबाव डाल सकता है। मैं नहीं कह सकता कि वह क्या समझ कर यह कह रहे थे। मैं श्री तुलसीचन्द किलाचन्द द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों में इतना सार

नहीं देखता जितना कि श्री चटर्जी द्वारा रखे गये तर्कों में। हां, मैं उनके अच्छी तरह से तैयार किये गये भाषण की सराहना ज़रूर करता हूं। उसके कारण मुझे भी अपना भाषण तैयार करना पड़ा। कठिनाई तो यह है कि यदि मैं कुछ बात कह दूं तो वह फ़िर मेरे ही विरुद्ध उद्धृत कर दी जायेगी। अतः मैंने सोचा कि मुझे अपने भावों को दबा कर रखना चाहिये—विशेषतः एक ऐसे खंड पर चर्चा करते समय जिस पर काफी वादप्रतिवाद हुआ है।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। श्री तुलसीदास ने १९५१ की प्रवर समिति के समक्ष भिन्न भिन्न निकायों द्वारा रखे गये साक्ष्यों का ज़िक्र किया और उक्त साक्ष्यों के महत्व पर ज़ोर डाला। मैं मानता हूं, और मैं समझता हूं कि सदन भी मानेगा, कि वे साक्ष्य अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। मैं १९५१ की प्रवर समिति के समक्ष रखे गये साक्ष्यों के महत्व के प्रश्न पर बहस में नहीं पड़ना चाहता। वस्तुतः प्रवर समिति में भारतीय व्यापार मंडल के प्रतिनिधि स्वयं श्री तुलसीदास किलाचन्द ही थे। क्या अब आप यह कह सकते हैं कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं था? अवश्य ही यह महत्वपूर्ण था। श्री रामदास किलाचन्द ने "बौम्बे आयल सीड्स एक्सचेंज" का प्रतिनिधित्व किया था। क्या मैं कह सकता हूं कि उन का साक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं है? श्री देवजी रतनजी "ग्रेन एण्ड आयलसीड्स एसोसियेशन" के प्रतिनिधि थे और उन्होंने विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। अहमदाबाद के दो संघों ने भी अपने साक्ष्य दिये थे। सोने चांदी के व्यापार के प्रतिनिधि भी थे। उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैं ने इस विधान में ऐसा उपबन्ध नहीं रखा जिसमें सरकार को कुछ वस्तुओं के वायदे के सौदों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया हो क्योंकि मैं जानता हूं कि सोना-चांदी के वायदा बाज़ार की कोई आवश्यकता नहीं है। सोना-चांदी कहीं उगाया तो जाता नहीं; इसकी मात्रा तो सीमित है। इसके सट्टे की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि कोई मुझ से यह कहता कि इस विधान में मैं ने कुछ वस्तुओं को वायदा बाज़ार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये अधिकार नहीं लिये है तो मैं अपने आपको दोषी मान लेता और दंड भोगने को भी तैयार हो होता, परन्तु दुर्भाग्य से माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कम सजग रहे हैं।

इन उपबन्धों के विषय में कुछ अधिक कह कर मैं सदन को उकताना नहीं चाहता। दोनों ओर के लोगों द्वारा बहुत कुछ कहा जा चुका है। श्री त्रिपाठी ने सुयोजित अर्थव्यवस्था कायम करने तथा वायदे के सौदों को समाप्त करने के बारे में कुछ कहा था। यह सच है कि सुयोजित अर्थव्यवस्था में—एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जो शुरू से आखिर तक सुयोजित हो—वायदे के सौदों की आवश्यकता नहीं है। परन्तु हम जिस सुयोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना करने जा रहे हैं उसमें निजी उपक्रमों का भी स्थान हैं। स्वयं उत्पादक यह देखता है कि वायदे के सौदों का भी कुछ लाभ है। हाल ही में जब मैं बम्बई में था तो कपास उत्पादकों ने यह इच्छा प्रकट की थी कि वायदा बाज़ार रहना चाहिये क्योंकि इससे मूल्य में स्थायित्व आता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि इन व्यापारिक फ़सलों के उगाने वाले कुछ समझते नहीं हैं। ग्रामीण लोग कोई मूर्ख नहीं हैं। किसानों के प्रतिनिधियों ने यह सिद्ध कर दिया कि वायदा बाज़ार से उन्हें किस प्रकार सहायता

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

मिलेगी । अतः यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से सुयोजित नहीं है--जैसी कि मेरे माननीय मित्र श्री वी० पी० नायर चाहते हैं--या जब तक हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित है (उसकी प्रतिशतता चाहे कुछ भी है), तब तक हम यह नहीं कह सकते कि वायदा बाज़ार आवश्यक नहीं है । जब व्यापार में संलग्न लोग ही इसे चाहते हैं तो फ़िर मैं कैसे इंकार कर सकता हूं ?

जिन माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है मैं उनका बहुत आभारी हूं । यदि मैं उनकी सब बातों का उत्तर नहीं दे सका हूं तो मैं कार्यवाही के छप जाने पर उसे फिर पढ़ूंगा । जैसा कि मैं ने पहले कहा, यह एक प्रारम्भिक विधान है और बाद में जैसे जैसे हमें अधिक अनुभव प्राप्त होता जायेगा वैसे वैसे हम इसमें आवश्यकतानुसार फ़ेर बदल करते जायेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने विधान के कुछ पहलुओं की चर्चा की और उन्होंने एक संशोधन भी रखा । दुर्भाग्य से मेरा हिन्दी तथा उर्दू का ज्ञान कम है, अतः मैं उनके विचारों की प्रवृत्ति मात्र समझ पाया हूं । उस सम्बन्ध म हम कुछ करेंगे अवश्य, परन्तु कुछ समय में--अभी नहीं । मैं मानता हूं कि हमें नियन्त्रण रखना है और नियन्त्रण अधिक प्रभावी होना चाहिय । यदि वह श्री सी० सी० शाह के विमति-टिप्पण से सहमत थे तो मैं भी उससे असहमत नहीं था ! यदि हम दांव के सौदों और वायदे के सौदों के बीच भेद स्थापित कर सकें, तो कदाचित हम उस प्रकार का उपबन्ध रख सकते हैं । परन्तु अभी नहीं । अभी तो हम यही विधान लागू करें बाद में इन लोगों पर अधिक कड़ा नियन्त्रण रख सकते हैं । परन्तु इस समय तो मैं समझता हूं इतना ही ठीक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि वायदे के सौदों, वस्तुओं में विकल्प के प्रतिषध तथा उनसे सम्बद्ध अन्य विषयों से सम्बन्ध रखने वाले कुछ मामलों के नियमन की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, जैसा कि वह प्रवर समिति को भेजा गया, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २--(परिभाषाएं)

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैंने एक संशोधन रखा है जिसकी सूचना मैं ने आज ही सुबह दी है । माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है उसे देखते हुए यह मालूम होता है कि वह उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं । अतः मैं आपके संशोधन प्रस्तुत करने की मांग तो नहीं करूंगा; हां, आपकी अनुमति से मैं कुछ बात कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सदन की रूढ़ियों से भली भांति परिचित हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, श्रीमान ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं मानता हूं कि मुझे संशोधन की सूचना काफी पहले मिल गयी है, परन्तु दुर्भाग्य से मैं संशोधन को उस उत्साह से स्वीकार नहीं कर सकूंगा जिससे कि मैं माननीय सदस्य के संशोधन प्रस्तुत करने के अधिकार को मानता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं सदन नियम तथा रूढ़ियां जानता हूं और मैं संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति भी नहीं मांग रहा हूं क्योंकि माननीय मंत्री कह चुके हैं ।

कि वह इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं तो केवल खंड पर बोलना चाहता हूं।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसमें केवल बड़े बड़े नगरों में ही वायदे के सौदों का केवल कुछ व्यक्तियों को ही ऐसे सौदे करने का अधिकार दे कर, नियन्त्रण करने की अपेक्षा है। परन्तु जहां तक बाकी के क्षेत्रों का सवाल है, सरकार ने वायदे के सौदों में सट्टे को रोकने के लिये कुछ नहीं किया है। जुए की भावना तो देश के कोने कोने में विद्यमान है। मैं चाहता हूं कि सरकार उसे समाप्त करने के लिये कोई तरकीब निकाले। मैं मानता हूं कि इन बातों को रोकना बहुत कठिन है, परन्तु फ़िर भी यदि इस जैसे विधान में कोई ऐसा उल्लेख कर दिया जाता कि अमुक सौदे दांव के सौदे समझे जायेंगे या अमुक सौदे अवैध होंगे, तो उससे वांछित परिणाम निकल सकता था। मेरा निवेदन यह है कि जिस सौदे में वास्तव में माल देने का इरादा नहीं होता, सरकार को उसे नहीं मानना चाहिये। यदि इस विधान में कोई ऐसा उपबन्ध कर दिया जाता जिसका कानून का उल्लंघन करने वालों पर कम से कम नैतिक प्रभाव तो पड़ता तो वर्तमान स्थिति में सुधार हो सकता था।

मैं नहीं कह सकता कि वर्तमान विधेयक के कानून बन जाने के बाद भी इन दांव के सौदों के बारे में भारतीय संविदा अधिनियम की धारा ३० का क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां तक मैं समझता हूं, धारा ३० का प्रभाव इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद भी यही रहेगा। हो सकता है कि न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल लें कि धारा ३० पूर्णरुप से प्रभावी रही आयेगी और इसलिये ऐसे सौदे, ऐसे वायदे के सौदे अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदे तथा तैयार अभिदान वाले सौदे भी, जिन में जुए की भावना हो, अवैध समझ लिये जायें यदि यह अर्थ निकाला गया तो लोग यह समझ लेंगे कि ऐसे सौदे करना ठीक नहीं है। परन्तु यदि ऐसा अर्थ यह नहीं निकाला गया और यदि इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद यह युक्ति प्रस्तुत की गई कि क्योंकि अब एक विशिष्ट विधान बन गया है अतः सामान्य विधान प्रभावी नहीं रहेगा, तो मैं समझता हूं कि इस कानून का प्रभाव बुराई को रोकने की बजाय बुराई बढ़ाना होगा। मैं माननीय मंत्री से यही बात कहना चाहता था।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह बात तो प्रस्तुत विधेयक के क्षेत्र के परे है। यह बात नहीं है कि इस में नैतिक सिद्धान्तों का पूर्णतः अभाव है, परन्तु इसके साथ ही यह पूर्ण रूप से नैतिक विधान भी नहीं है। इसमें जुए आदि की नैतिकता प्रत्यक्ष रूप से नहीं, आनुषंगिक रुप से निहित है। इस विधेयक का क्षेत्र उतना विस्तीर्ण नहीं है जितना कि माननीय सदस्य समझते हैं। ये बातें तो दूसरे विधानों द्वारा की जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ विधेयक का अंग बना लिया गया। खंड ३ से १० तक विधेयक के अंग बना लिये गये।

खंड १२—(अभिस्वीकृत संघ आदि का अधिकार)

श्री एन० पी० नथवानी (सोरठ): खंड ११ के उपखंड (३) में यह उपबन्धित है

[श्री एन० पी० नथवानी]

कि संघ ऐसे उपनियम निर्दिष्ट कर सकता है, जिसका उल्लंघन करने पर सौदा रद्द हो जायेगा। यह बात संघ के ऊपर छोड़ दी गई है कि वह निर्दिष्ट करे या न करे। मैं समझता हूं कि अभिप्राय यह है कि संघ को कुछ ऐसे उपनियम अवश्य निर्दिष्ट करने चाहियें जो अत्यधिक महत्व वाले हों और जो बार बार नियमित करने की दृष्टि से बहुत ज़रूरी समझे जायें। अधिक अच्छा होता कि अत्यधिक महत्वपूर्ण उपनियमों को निर्दिष्ट करने का कार्य संघों की इच्छा पर ही नहीं छोड़ा जाता, वरन यह उपबन्ध होता कि संघ को ऐसे उपनियम निर्दिष्ट करने होंगे जो अधिक महत्वपूर्ण हों।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह बात खंड १८ के अन्तर्गत नहीं आ जाती है जिसमें केन्द्रीय सरकार को उपनियम बनाने या संशोधित करने का अधिकार दिया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ऐसा है।

श्री एन० पी० नथवानी : मेरा कहना यह था कि यदि संघों के लिये कुछ उपनियम निर्दिष्ट करना अनिवार्य कर दिया जाता तो सरकार या आयोग को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।

उपाध्यक्ष महोदय : कठिनाई तो यह है कि उपनियम सैकड़ों की संख्या में रहते हैं और उनका महत्व अलग अलग होता है—कुछ कम महत्व वाले होते हैं तो कुछ अधिक महत्वपूर्ण।

श्री एन० पी० नथवानी : निर्दिष्ट करना तो संघों का काम है। संघ सौ उपनियम बना सकता है। वह उन में से केवल कुछ ऐसे महत्व वाले समझ सकता है, जिनका उल्लंघन करने पर सौदा रद्द हो जाये। यदि इनके अतिरिक्त अन्य उपनियमों का उल्लंघन किया जाय तो सौदा रद्द नहीं होगा ; हां, कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि की जा सकती है। ये दो प्रकार के उपनियम हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बात यह है, माननीय सदस्य ने यह संशोधन कल भेजा था। फिर मैं ने इसे अपने कानूनी सलाहकार के पास भेजा था। उन्होंने यह सलाह दी है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि "कर सकता है" के स्थान पर "करेगा" कर भी दिया जाये तो भी हो सकता है संघ एक दो उपनियमों को ही निर्दिष्ट कर दे और बाकी के महत्वपूर्ण उपनियमों को यों ही छोड़ दे, चाहे वे कितने ही ज़रूरी क्यों न हों।

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है वह किसी कम महत्वपूर्ण उपनियम को ही निर्दिष्ट कर दे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां। अतएव इस कार्य को अनिवार्य घोषित करके भी कोई सारवान लाभ नहीं होने वाला है। वह संघ केवल एक उपनियम को ही निर्दिष्ट करके अपना आभार पूरा कर सकता है। वस्तुतः हमें यह सुझाव दिया गया था कि हम इसमें एक परन्तुक जोड़ दें, जिस में यह कहा गया हो कि सरकार 'प्रारूप उपनियम बना कर भेजेगी। परन्तु मैं नहीं समझता कि किसी ऐसे उपबन्ध की भी आवश्यकता है। खंड १२ द्वारा सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि सरकार चाहे तो इन उपनियमों को स्वीकार न करे। मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र ने जो बात कही है वह सीमित क्षेत्र में तो ठीक है परन्तु व्यवहार रूप में "करेगा" या "कर सकता है

से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि केन्द्रीय सरकार सजग न रहे तो "करेगा" शब्दों के बावजूद भी संघ बहुत से महत्वपूर्ण उपनियमों की अवहेलना कर सकते हैं। सारी बात वायदा बाज़ार सम्बन्धी आयोग तथा खंड १२ पर निर्भर है, न कि संघ पर यह आभार रखने पर। अतः मैं समझता हूं कि प्रस्तुत प्रसंग में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि मैं उनके सशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है।

श्री एन० पी० नथवानी : मैं ने संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ११ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ११ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १२ से १७ तक विधेयक के अंग बना लिये गये।

खंड १२—(विशेष उपबन्ध आदि)

श्री एन० सी० चटर्जी : (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

खंड १८ के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट किया जाये :

"18. Chapters III and IV to apply to non-transferable specific delivery contracts only in certain cases.

(1) Where a notification under section 15 has been issued in respect of any goods or class of goods, the Central Government shall, by a like notification, define the area in which a recognised association, may regulate and control non-transferable specific delivery contracts in respect of such goods or class of goods and the provisions of this Chapter and of Chapter III shall apply to non-transferable specific delivery contracts only in such areas and only in respect of such goods or class of goods.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), if the Central Government is of opinion that in the interest of the trade or in the public interest it is expedient to regulate and control non-transferable specific delivery contracts in any area to which the provisions of this Chapter and of Chapter III do not apply, it may, by notification in the Official Gazette, declare that all or any of the provisions of the said Chapters shall apply to non-transferable specific delivery contracts, in such area and in respect of such goods or class of goods as may be specified in the notification, and may also specify the manner in which and the extent to which all or any of the said provisions shall so apply."

("१८. अध्याय ३ तथा अध्याय ४ का केवल कुछ क्षेत्रों में अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों पर लाग होना —

[श्री एन० सी० चटर्जी]

(१) जहां किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग के सम्बन्ध में धारा १५ के अन्तर्गत एक अधिसूचना निर्गमित कर दी गई है, केन्द्रीय सरकार, एक तद्रूप अधिसूचना द्वारा, ऐसा क्षेत्र निर्दिष्ट करेगी जिसमें एक अभिस्वीकृत संघ ऐसी वस्तु या वस्तुओं के सम्बन्ध में अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों का नियमन तथा नियन्त्रण कर सकता ह और इस अध्याय के तथा अध्याय ३ के उपबन्ध अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों पर केवल ऐसे क्षेत्रों में तथा केवल ऐसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि व्यापार के हित के लिये या लोक हित के लिये यह इष्टकर है कि अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों का किसी ऐसे क्षेत्र में, जिस पर कि इस अध्याय तथा अध्याय ३ के उपबन्ध लागू नहीं होते, नियमन तथा नियन्त्रण किया जाये, तो वह, सरकारी गज़ट में एक अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकती है कि उक्त अध्याय के सब या कोई उपबन्ध अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों पर, ऐसे क्षेत्र में तथा ऐसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग के सम्बन्ध में जो अधिसूचना में निर्दिष्ट हों, लागू होंगे, और वह यह भी निर्दिष्ट कर सकती हैं कि उक्त सभी या कोई उपबन्ध किस ढंग से तथा किस सीमा तक इस प्रकार लागू होंगे । ")

मैं अब भी विधेयक के मूल खंड १८ के रखे जाने का प्रतिपादन कर रहा हूं और इसका अर्थ यह हुआ कि १९५० के विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति की सिपारिश स्वीकार कर ली जाये । मैं अब भी यह कहूंगा कि पुरानी प्रवर समिति का विनिश्चय ठीक तथाउचित था और अब कोई ऐसी बात नहीं हो गई है जिससे उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत होती हो । मैं चाहता हूं कि मूल खंड ही, जैसा कि वह माननीय मंत्री द्वारा पुरः-स्थापित किया गया था, कायम रहे । मैं जानता हूं कि मेरे संशोधन का क्या बनेगा? क्योंकि माननीय मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि मेरा संशोधन उन्हें स्वीकार नहीं है । परन्तु फिर भी इस आशा में कि पिछली प्रवर समिति का विनिश्चय स्वीकार कर लिया जायेगा मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री पुशूस : निःसन्देह यह एक अजीब सी बात लग सकती है कि हम, जो विधेयक के सिद्धान्त का ही विरोध करते हैं, अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों के विधेयक के क्षेत्र के बाहर रखे जाने का समर्थन करें । परन्तु चीज़ यह है कि पूंजीवाद हमेशा सट्टे पर आधारित रहा है । हमें यह याद रखना चाहिये कि हमारी सरकार यह दावा करती है कि वह एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती है, पूंजीवादी राज्य की नहीं । मैं समझता हूं कि वह पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था नहीं बल्कि सुयोजित अर्थव्यवस्था की समर्थक है । सुयोजित अथव्यवस्था कायम करने के लिये यह अत्यावश्यक है कि सट्टे को जड़ से खत्म किया जाये । यदि ऐसा न किया गया तो आपकी योजनायें ही अर्थहीन हो जायेंगी ।

यह कहना कि वायदे के सौदों से कृषकों तथा सामान्य कृषिकरों को सहायता मिलती है, ग़लत है ।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

यदि सरकार वास्तव में सुयोजित अर्थव्यवस्था चाहती है तो उसे किसानों को दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन ऋण देने चाहियें। सरकार को कृषकों की सहकारी तथा विपणि समितियां बनानी चाहियें तथा उनके द्वारा मिलों को कच्चा माल दिलवाना चाहिये तथा मिलों द्वारा तैयार माल के विक्रय की व्यवस्था करनी चाहिये।

हमारा यह ख्याल है कि इस विधान के उपबन्ध इतने मज़बूत तथा प्रभावी नहीं हैं कि वे जुए को रोक सकें। हां, हम अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सौदों को इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं लाना चाहते क्योंकि इस विधेयक के परिणामस्वरूप एकाधिकारों को एक प्रकार से वैध रूप मिल जायेगा। हम नहीं चाहते कि ये बड़े बड़े एकाधिकारी सारे व्यापार पर भी छा जायें। अतएव हम यह भी नहीं चाहते कि ऐसे विशिष्ट सौदे इसमें शामिल किये जायें। हां, हम यह नहीं कह रहे हैं कि इनके शामिल न किये जाने से बाजारों पर एकाधिकार बिल्कुल खत्म हो जायेगा। यदि हम अपने आर्थिक कार्यक्रम को किसी योजना के अनुसार विकसित करना चाहते हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि जुआ सट्टा आदि पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाय।

श्री हेडा (निज़ामाबाद): खंड १८ के कुछ पहलुओं पर अपनी राय व्यक्त करने से पहले मैं एक शब्द अपने पूर्ववक्ता द्वारा कही गई बात के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। एक ओर तो वह यह कहते हैं कि सरकार पूरा पूरा नियन्त्रण तथा नियमन नहीं कर रही है, जब कि दूसरी ओर उनका कहना यह है कि सरकार को तथाकथित अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों पर नियन्त्रण नहीं रखना चाहिये।

मैं केवल खंड १८(१) की चर्चा करूंगा। उपखंड (१) के परन्तुक से हमारा प्रयोजन अच्छी तरह से सिद्ध हो जाता है। मैं माननीय श्री वेंकटारमन द्वारा इस सम्बन्ध में रखे गये संशोधन का समर्थन करता हूं क्योंकि उससे स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। मुझे भय इस बात का है कि यदि शब्दावलि को और स्पष्ट न किया गया तो इस विधेयक के बावजूद भी सट्टा जारी रहता आयेगा। अतः मेरा सरकार से यह निवेदन है कि यदि वह यह चाहती है कि जहां अभिस्वीकृत संघ हो—चाहे वह कोई क्षेत्र हो—वहां अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों के लिये दूसरे संघ को भी कारबार करने की आज्ञा दे दी जाये तो इस बात का पृथक तथा स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये। और यदि इरादा यह न हो तो मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह यदि सम्भव हो तो खंड १८ के उप-खंड (१) के परन्तुक में से अन्तिम तीन पंक्तियां निकाल दें। यदि श्री वेंकटारमन का संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि, उपखंड (२) तथा (३) के साथ परन्तुक का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा और एक बड़ी सीमा तक मूल खंड १८ का प्रयोजन भी सिद्ध हो जायेगा।

श्री रघुवीर सहाय (ज़िला एटा—उत्तर पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व): मैं माननीय श्री एन० सी० चटर्जी द्वारा रखे गये खंड १८ के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। गत अगस्त में जो विधेयक पुरःस्थापित हुआ था उसमें यह उपबन्धित था कि अध्याय ३ तथा अध्याय ४ कुछ क्षेत्रों में अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों पर लागू होंगे। अब प्रवर समिति ने इसमें परिवर्तन कर दिया है और कहा है कि अध्याय ३ या अध्याय ४ की कोई भी बात किन्हीं वस्तुओं के विक्रय या क्रय के निमित्त अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों पर लागू नहीं होगी।

[श्री रघुवीर सहाय]

इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे सौदे बिना अब प्रश्न यह उठता है : यह परिवर्तन क्यों किया जा रहा है ? यह सच है कि १९५० के विधेयक में यह उपबन्ध नहीं था कि अध्याय ३ तथा ४ अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सौदों पर लागू नहीं होने चाहिये । परन्तु विधेयक पर विचार करने के प्रयोजनार्थ बनाई गई प्रवर समिति ने यह उपबन्ध किया कि ये दोनों अध्याय ऐसे सौदों पर भी लागू हों । यह विधेयक जो पिछले सत्र में पुरःस्थापित हुआ था, उस प्रवर समिति की सिफारिशों पर आधारित था । परन्तु वर्तमान प्रवर समिति ने इसमें यह फेरबदल कर दी कि अध्याय ३ तथा अध्याय ४ ऐसे सौदों पर लागू न हो । यह प्रवर समिति तो विशेषज्ञ समिति की राय पर चली क्यों कि इस जैसे विषय में विशेषज्ञों की राय पर चलना ही अधिक अच्छा था ।

परन्तु स परिवर्तन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है । सरकार ने इस बात का पूरा अधिकार ले लिया है कि वह किसी गलती को ठीक कर सके या किसी विषम स्थिति का मुकाबला कर सके खंड १८ के उपखंड (३) में यह व्यवस्था विद्यमान है । यदि उपखंड (३) नहीं होता तब तो कुछ चिन्ता की बात थी, परन्तु अब ऐसा कोई भय नहीं है । दूसरे, यह विधेयक वायदा बाजार के विषय में सर्वांगपूर्ण तथा व्यापक नहीं है, यह तो एक सक्षम विधान मात्र है । अभी तो हमें इसके परिणामों पर निगाह रखनी चाहिये, और फिर इस बात पर विचार करना चाहिये कि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है या नहीं । अतएव मेरा निवेदन यह है कि यह खंड यों का त्यों रहने दिया जाये और इस में कोई संशोधन न किया जाये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि मेरे फिर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन दो दिन हमने खंड १८ पर चर्चा करने के अतिरिक्त कुछ और नहीं किया । मैं माननीय श्री चटर्जी के संशोधन का विरोध कोई ज़िद्द में नहीं कर रहा हूं । सदन में जो अनेक युक्तियां प्रस्तुत की गईं उनसे यही प्रकट होता है कि खंड १८ यों का त्यों रहना चाहिये । हां, उन के मस्तिष्क में जो बात है वह खंड १८ (३) से पूरी हो जाती है । यह एक भ्रम मात्र है कि यदि खंड १८ में माननीय सदस्य के संशोधन के अनुसार फेरबदल कर दी जाये तो छोटे लोगों के हितों की रक्षा हो सकेगी । बल्कि मुझे तो यह शक़ है कि कहीं बात बिल्कुल इसके विपरीत न हो जाये । जो छोटे व्यापारी विशिष्ट अभिदान वाले सौदे करते हैं वो तो अपने कारबार के लिये करते हैं, सट्टा करने की सम्भावना तो बड़े बड़े व्यापारियों से है । जहां कहीं भी, सम्भव होगा उन क्षेत्रों में जिनमें कि इस प्रकार के सौदों के दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना नहीं है , हम उन्हें अबाध रूप से होने दे सकते हैं । मैं तो समझता हूं कि छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा तो इसी प्रकार हो सकेगी और इसी दशा में वे सामान्य कारबार में संलग्न हो सकेंगे । अतएव मुझे खेद है कि मैं श्री चटर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार न कर सकूंगा ।

मेरे माननीय मित्र श्री हेडा ने जो बातें कहीं उनमें से एक तो ठीक है । मैं ने सोचा था कि जब श्री वेंकटारमन अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे तो मैं उसका ज़िक्र करूंगा । परिभाषिक रूप से तो यह कहना बिल्कुल ठीक है कि अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों के लेनदेन के सम्बन्ध में सारे भारत में कोई संगठन संगठित नहीं किया जायेगा ; परन्तु जब

खंड १५ ऐसे क्षेत्रों को निर्दिष्ट करेगा जिनमें बड़े बड़े व्यापारी पकड़ में आयेंगे---अर्थात् वे लोग जो वायदे के सौदे तथा हस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदे करते हैं---तो इसमें कुछ अनियमितता सी लगेगी । जब वे लोग खंड १५ के अधीन स्पष्ट घोषणा या अधिसूचना द्वारा ही पकड़ में लिये जायेंगे तो हम ऐसे सब लोगों को पकड़ में क्यों लें जो अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदे करते हैं या जिनका ऐसे सौदे करने के लिये कोई संघ वगैरह है ? अतएव मैं समझता हूं कि श्री हेडा द्वारा उठाई गई यह बात बिल्कुल ठीक है कि जिस क्षेत्र में यह परन्तुक लागू हो और जिस क्षेत्र में खंड १५ के अधीन अधिसूचना प्रवृत्त हो वे एक ही हों । मैं समझता हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जा सकता है ।

जहां तक अन्तिम तीन शब्दों का प्रश्न है, कठिनाई यह है कि वकीलों की भाषा अपनी निराली ही होती है और कभी कभी तो हमें उसका अर्थ स्वीकार करने में कुछ कठिनाई भी होती है । परन्तु मैं अपने माननीय मित्र को विश्वास दिलाता हूं कि ये शब्द परन्तुक की पकड़ से छुटकारा नहीं दिलवाता और इन में कोई अन्य अभिप्राय नहीं छिपा है । ये अहस्तन्तारणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों का संघ के रूप में लेनदेन करने वाले सब लोगों पर लागू होंगे जैसा कि इसमें कहा गया है, यदि अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों का लेनदेन यों ही बिना किसी संघ आदि के हो, तो उस दशा में हमारा उन लोगों को दंड देने का कोई इरादा नहीं है । परन्तु यदि कारबार करने का कोई स्थान मौजूद है, चाहे उसमें मेज-कुर्सी, क्लर्क आदि हों या न हों, तो वह व्यवहार रूप में एक जुए की दुकान ही है । जो कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे स्थान में, जहां खंड १५ लागू हो, इस प्रकार के सौदों के लिये ऐसी जुए की दुकान चलाता है, वह कानून की पकड़ में आयेगा । अभिप्राय बस यह है ।

अतएव मैं माननीय सदस्य तथा श्री वेंकटारमन का बहुत कृतज्ञ हूं कि उन्होंने यह संशोधन प्रस्तुत किया कि परन्तुक के लागू होने तथा खंड १५ के अधीन निर्गमित अधिसूचना के लागू होने के क्षेत्र एक ही हों । यह एक अत्यन्त लाभदायक संशोधन है । अन्यथा, इस परन्तुक की शब्दावलि के प्रति कोई सन्देह करने की जरूरत नहीं है ।

संशोधन प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ ।

श्री वेंकटारमन (तंजोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> पृष्ठ २०, पंक्ति ४६ में "in India" ("भारत में") के स्थान पर "in any area to which the provisions of section 15 have been made applicable." ("किसी ऐसे क्षेत्र में जिस पर धारा १५ के उपबन्ध प्रवर्तनीय कर दिये गये हैं") प्रादिष्ट किया जाये ।

चूंकि माननीय मंत्री इस संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं, अतः मैं इस पर कोई भाषण नहीं देना चाहता ।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : क्या इस संशोधन का यह अभिप्राय है कि जो लोग निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अभिस्वीकृत संघ से बाहर हैं उन्हें यदि वे अभिस्वीकृत संघ की मार्फत सौदे नहीं करते, अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदे नहीं करने दिया जायेगा और निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर के ऐसे लोगों पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा ? भाषा कुछ भ्रामक सी है ।

सभापति महोदय : मैं भी यह जानना चाहता हूं कि क्या संशोधन का अभिप्राय यह है कि जो क्षेत्र खंड १५ के अन्तर्गत निर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर होगा वहां इस प्रकार के संघों का संगठन करने दिया जायेगा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, इसमें केवल इतना कहा गया है कि अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों के लेनदेन के लिये किसी संघ का संगठन सारे भारत में नियम विरुद्ध न हो कर केवल उन क्षेत्रों में नियम विरुद्ध होगा जो खंड १५ के अधीन अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर दिये गये हों । इससे तो परन्तुक का क्षेत्र परिमित होता है । भारत के स्थान पर बम्बई, अहमदाबाद, उज्जैन, हापुड़, लखनऊ, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, कोचीन आदि स्थान हो जायेंगे । खंड १५ कदाचित् इस क्षेत्र पर प्रवृत्त होगा । परन्तुक भी इन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा यह बात बिल्कुल स्पष्ट है ।

जहां तक कि परन्तुक के, जैसा कि वह इस समय है, अभिप्राय का सम्बन्ध है, वह यह है कि कोई ऐसी संघ, जो खंड १५ के अन्तर्गत निर्गमित अधिसूचना या अधिसूचनाओं द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों के बाहर वायदे के सौदे तथा हस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदे करता है, इस विधान विशेष के क्षेत्र के बाहर होगा । उपनियमों, उल्लंघन करने पर दिये जाने वाले दंड आदि से सम्बन्ध रखने वाला उपबन्ध उस पर लागू नहीं होगा । यदि परन्तुक को यों ही छोड़ दिया जाये और श्री वेंकटारमन का संशोधन स्वीकार न किया जाये तो यह ठीक है कि संघ कहीं भी बनाये जा सकेंगे और वे इस प्रकार का सट्टा भी कर सकेंगे, परन्तु अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों के सम्बन्ध में वे ऐसा नहीं कर सकेंगे । श्री वेंकटारमन का कहना यह है कि हमने "in India" ("भारत में") लिख कर विधेयक के क्षेत्र के सम्बन्ध में मुख्य चीज छोड़ दी है । उन्होंने उसे ठीक करने की मांग की है ।

श्री बर्मन का कहना है कि इस सम्बन्ध में कुछ संभ्रान्ति है । परन्तु मुझे तो इसमें को संभ्रान्ति मालूम नहीं देती । आप हस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों का लेनदेन करने वाले संघों का नियंत्रण केवल तभी करेंगे जब खंड १५ के अन्तर्गत अधिसूचना निर्गमित करेंगे । अतः कोई ऐसा संघ नहीं हो सकता जो हस्तान्तरणीय विशिष्ट सौदों या अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सौदों का लेनदेन करने के लिये अभिस्वीकृत न हो । मुझे अन्य प्रकार के वायदे के सौदों को खंड १८ के उपखंड (३) के अधीन अधिसूचना में रखना है ताकि उसमें सब अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदे आ जायें । यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो इसका अर्थ यह होगा कि मैं किसी को संघ बनाने से रोकता हूं क्यों कि अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदे खंड १५ के क्षेत्र के बाहर हैं । खंड १८ (१) के अधीन घोषणा द्वारा किसी भी व्यक्ति को उन सौदों का लेनदेन करने के लिये अनुमति है; किन्तु, यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो इसका अर्थ होगा कि मैं उसे ऐसे सौदे करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । जैसा कि मैं ने पहले कहा वह संघ जुये की दुकान की तरह होगा । मैं ऐसी चीज़ें नहीं चाहता । श्री बर्मन ने पूछा कि क्या सामान्य रूप से एक अभिस्वीकृत संघ—चाहे हम उसे खंड १८ (३) के अधीन अधिसूचना द्वारा अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदे करने का अधिकार दें या न दें—अहस्तान्तरणीय विशिष्ट

अभिदान वाले सौदे कर सकता है। तो उसका उत्तर यह है कि एक अभिस्वीकृत संघ तो कर सकता है, परन्तु जो लोग अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदे करते हैं उनके लिये यह जरूरी नहीं है कि वे सौदे एक संघ के मार्फत ही करें। यह आभार तो नहीं है परन्तु इसकी अनुमति है। श्री वेंकटारमन का संशोधन वास्तव में परन्तुक के क्षेत्र को परिमित कर रहा है और उस के क्षेत्र के विस्तार को खंड १८ के क्षेत्र के विस्तार के समान बना रहा है। जहां तक एक अभिस्वीकृत संघ द्वारा, खंड १८ (३) के अधीन अधिसूचना के बिना, अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदे किये जाने का सम्बन्ध है, स्थिति यह है कि उसे ऐसा करने की अनुमति है। यदि सदन स्वीकार करे तो मैं श्री वेंकटारमन के संशोधन को स्वीकार करना चाहूंगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ २०, पंक्ति ४६ में, "in India" ("भारत में") के स्थान पर "in any area to which the provisions of section 15 have been made applicable" ("किसी ऐसे क्षेत्र में जिस पर धारा १५ के उपबन्ध प्रवर्तनीय कर दिये गये हैं") आदिष्ट किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड १८, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १९. विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड २० (दंड आदि)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड २० विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २०, विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड २१ से २८ तक विधेयक के अंगबना लिये गये।

खंड १ विधेयक का अंग बना लिया गया।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को संशोधित रूप, में पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): मैं इस विधेयक का समर्थन तो करता हूं, परन्तु पूर्ण समर्थन नहीं। यदि माननीय मंत्री कोई ऐसा विधेयक प्रस्तुत करते जिसके द्वारा भारत से सट्टा पूर्णतः समाप्त किया जा सकता तो सदन के प्रत्येक पक्ष के लोग उसका अधिक स्वागत करते।

पिछले अनुभवों के प्रकाश में मुझे सन्देह है कि वाणिज्य मंत्रालय इस समिति विधेयक की क्रियान्विति में सफल हो सकेगा। मैं इस विधेयक को सीमित कहता हूं क्योंकि इसमें केवल सट्टों के नियमों की व्यवस्था है। ऐसा नहीं होना चाहिये। सरकार को न केवल सट्टे का नियमन या नियन्त्रण ही करना चाहिये, बल्कि उसे बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिये। जिस

[श्री एम०एस गुरुपादस्वामी]

पक्ष से मैं सम्बन्ध रखता हूं--अर्थात् प्रजा सोशलिस्ट पार्टी--उसका लक्ष्य एक पूर्णत: सुयोजित अर्थयवस्था कायम करना है। सुयोजित अर्थव्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को अपने आर्थिक लाभ के लिये जन साधारण का शोषण नहीं करने दिया जाता। मैं समझता हूं कि वाणिज्य मंत्री मेरी इस राय से सहमत होंगे कि यदि भारत से सट्टा बिल्कुल समाप्त नही किया गया तो देश का भविष्य बड़ा अंधकारमय है। यदि आप ने वायदा बाजार को यों ही बढ़ने दिया तो देश बर्बाद हो जायेगा। देश से सट्टा पूर्ण रूप से निकाले जाने का प्रतिपाद करते हुये मैं प्रस्तुत विधेयक का सशर्त समर्थन करता हूं। नि:सन्देह यह ठीक रास्ते में एक कदम है।

खंड १८ और उसके परन्तुक पर काफी बहस हो चुकी है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो विधेयक के वर्तमान उपबन्ध का समर्थन करता हूं। छोटे व्यापारियों को बड़े व्यापारियों के मुकाबले बचाया जाना ही चाहिये। अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदे सापेक्षतया ठीक होते हैं। इन सौदों के दुरुपयोग किये जाने की बहुत कम गुंजायश है। यदि ये हस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदे भी इस विधेयक के क्षेत्र में ले आये गये तो छोटे व्यापारियों को अनेक कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी। हमारी सरकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की समर्थक है। चाहे सरकार कहे यह कि यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, परन्तु फिर भी वास्तव में यह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्थिति का मुकाबला करने के लिए मुख्य आवश्यकता इस बात की होती है कि छोटे-छोटे आदमियों को बड़े-बड़े आदमियों के शोषण से बचाया जाय। अत: मुझे इस बात का कोई कारण नजर नहीं आता कि ये सौदे भी इस विधेयक के दायरे में ले आये जायें। यदि इन सौदों का दुरुपयोग किया भी गया तो उस दशा में विधेयक का अन्य उपबन्ध लागू किया जा सकता है और इस प्रकार स्थिति का सामना किया जा सकता है।

अत: यह विधेयक सीमित रूप में अच्छा है और इसीलिये मेरा समर्थन भी सीमित है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में सरकार कोई अधिक प्रभावी विधान प्रस्तुत करेगी।

श्री बर्मन : मैं माननीय मंत्री से पुन: निवेदन करूंगा कि मेरी राय में खंड १८, संशोधन के पश्चात् भी, असंगत सा है क्योंकि उपखंड (१) के द्वारा तो हमने अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदों को शामिल नहीं किया है, परन्तु परन्तुक से, संशोधन के बाद भी, यह मालूम होता है कि जो व्यक्ति एक संगठन के बाहर रहते हुये भी अहस्तान्तरणीय विशिष्ट अभिदान वाले सौदे करना चाहते हैं उन्हें उस के सदस्य बनना पड़ेगा। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस विषय को कुछ और अधिक स्पष्ट करने की कृपा करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि:

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय पावर एलकोहल (संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय पावर एलकोहल अधिनियम, १९४८, को संशो-

धित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सदन के समक्ष प्रस्तुत विधेयक के दो भाग हैं । खंड २ में अधिनियम को भाग ख राज्यों में भी लागू करने की अपेक्षा है । अब तक यह केवल भाग क तथा भाग ग राज्यों में ही प्रवर्तनीय था। खंड ३ में नियंत्रण की आवश्यकता के सम्बन्ध में संघ द्वारा घोषणा की जाने की व्यवस्था है । खंड ४ द्वारा कुछ अधिनियमों को मान्यता दी गई है तथा उसमें किन्हीं ऐसे दोषों के सम्बन्ध में छूट दी जाने की भी व्यवस्था है जो सरकार द्वारा की गई किसी कार्यवाही में हो गयी हो क्योंकि यह घोषणा, ८ मई, १९५२ को, पावर एलकोहल के औद्योगिक (विकास तथा नियमन) एधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योग होने के कारण, लागू हुई है ।

स्थिति यह है । भारत सरकार अधिनियम में १९४८ में संशोधन होने से पहले उसकी सप्तम अनुसूची की सूची २ म प्रविष्टि ३४ इस भांति थी :

> "३४. जहां डोमिनियन विधि द्वारा डोमिनियन नियन्त्रण के अधीन विकास लोक हित के लिये इष्ट-कर घोषित किया गया है, वहां उद्योगों का विकास ।"

भारतीय पावर एलकोहल अधिनियम, १९४८ इस प्रविष्टि के सम्बन्ध में पारित किया गया था और उस अधिनियम की धारा २ में निम्नलिखित घोषणा है, अर्थात् :

> "कि एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि यह बात लोक-हित के लिये इष्टकर है कि केन्द्रीय सरकार पावर एलकोहल उद्योग का विकास अपने नियंत्रण में ले ले ।"

हमारे संविधान के अधीन संगत प्रविष्टि संघ सूची में प्रविष्टि ५२ है जिसकी भाषा भारत सरकार अधिनियम में तत्संवादी प्रविष्टि की भाषा से भिन्न है । प्रविष्टि ५२ में कहा गया है :

> "वे उद्योग जिन के लिये संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि लोक हित के लिये उन पर संघ का नियंत्रण इष्टकर है ।"

निस्सन्देह यह सत्य है कि संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् अनुच्छेद ३७२(१) द्वारा सब वर्तमान विधियां प्रवृत्त रखी गई हैं, परन्तु यह बात कुछ सन्देहजनक सी है कि क्या पावर एलकोहल अधिनियम की धारा २ में दी गई पुरानी घोषणा संविधान के प्रारम्भ के बाद प्रवृत्त है । जैसा कि मैं ने कहा, प्रविष्टि ५२ में यह अपेक्षित है कि घोषणा संसद् ने विधि द्वारा की हो । ख्याल किया जाता है कि इस प्रविष्ट का वर्तमान रूप कुछ सोच समझ कर ही इस उद्देश्य से रखा गया था कि प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध में यह अपेक्षित हो कि संसद् अपने स्वविवेक का पालन करे । जहां कोई वर्तमान घोषणा जारी रखी जाती है, वहां उस प्रयोजनार्थ विशेष उपबन्ध किया जाना होगा ; उदाहरणार्थ पत्तनों के सम्बन्ध में प्रविष्टि यह है :

> "२७. वे पत्तन जिन को संसद् निर्मित विधि या वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन महा-पत्तन घोषित किया गया है, जिस के अन्तर्गत उन का परिसीमन तथा उन में पत्तन प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां भी हैं ।"

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

यह दुर्भाग्य की बात है कि जब हमने सूचियों की पड़ताल की तो हम बिना जाने बूझे ऐसी भाषा का प्रयोग कर गये जिससे इन दो मदों के बीच भेद आ गया आज वकील लोग कहेंगे कि पत्तनों के सम्बन्ध में तो विशिष्ट अभिप्राय दिखता है क्योंकि उसमें एक वर्तमान विधि का उल्लेख है, परन्तु उद्योगों के सम्बन्ध में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। मैं मानता हूं कि इस उपबन्ध विशेष की पड़ताल करने वालों में से एक होने के नाते इस त्रुटि का उत्तरदायित्व मुझ पर भी है, परन्तु अब यह सब कहने से तो बात नहीं बनती।

जैसा कि मैं ने पहले कहा, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ में अब शक्ति तथा औधोगिक एलकोहल शामिल हैं। अधिनियम के दिनांक ८ मई, १९५२ को लागू हो जाने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि पावर एलकोहल संघ सूची में है। परन्तु संविधान के प्रारम्भ से लेकर ८ मई, १९५२ तक की गई कार्यवाहियों का बचाव करना है। इस विधेयक के खंड ४ में यही व्यवस्था है। घोषणा का रूप सूची संख्या १ की प्रविष्टि के अनुसार बदल दिया गया है। यह हमारे लिये कोई नई चीज़ नहीं है। पहले भी ऐसा किया जा चुका है। संविधान के लागू होने के पहले पैट्रोलियम अधिनियम के अन्तर्गत जिन ज्वालाग्रही द्रव्यों का विनियमन किया जा रहाथा उनके सम्बन्ध में भी ऐसी ही कठिनाई प्रस्तुत हुई थी। संसद् ने ज्वालाग्रही द्रव्य अधिनियम (१९५२ का अधिनियम २०) नामक एक विधि अधिनियमित की जिसके द्वारा कुछ ज्वालाग्रही द्रव्यों को संघ सूची, सूची संख्या २, की प्रविष्टि ५३ के अर्थ के अन्तर्गत भयानक रूप से ज्वालाग्रही घोषित किया गया।

यद्यपि वास्तव में यह अधिनियम चार वर्ष से भी अधिक पुराना है, फिर भी इस वर्ष तक यह किसी क्षेत्र में लागू नहीं किया गया। १ मार्च, १९५२ को यह पंजाब की १९ तहसीलों में लागू किया गया। अभी हाल ही में, १५ नवम्बर, को यह पंजाब की चार और तहसीलों में लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश का एक अपना अधिनियम था, परन्तु १ अक्तूबर, १९५२ को यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में भी लागू हो गया। १ मार्च, १९५२ को ही यह अधिनियम विंध्य प्रदेश के चार स्थानों में लागू किया गया था, तथा ७ अप्रैल को विंध्य प्रदेश के दो और १७ मई को एक और स्थानों में लागू किया गया। अतः सदन देखेगा कि अधिनियम ही १ मार्च, १९५२ को लागू किया गया है और हम तो केवल इतना कर रहे हैं कि १ मार्च, और ८ मई, १९५२ के बीच के अधिनियमों को मान्यता दे रहे हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा एक बात यह कही जा सकती है कि यदि १९४८ का अधिनियम उस समय मान्य नहीं था तो यह उद्योग विशेष राज्य सूची के अन्तर्गत आता है और इसलिये इस मामले में कार्यवाही करने का काम राज्यों का है परन्तु दुर्भाग्य से राज्य इस प्रकार के अधिनियम को मान्यता नहीं प्रदान कर सकते और इसीलिये केन्द्र को ही ऐसा करना पड़ा। कुछ माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि यह कुछ असाधारण सी चीज़ है और संवैधानिक विधि तथा प्रथा के विरुद्ध है। हम उन सब युक्तियों को सुनेंगे, मैं इस समय मूल प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं डालना चाहता। जहां तक इस मामले में केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायित्व का प्रश्न है, यह १ मार्च को ही आया है। मेरा ख्याल है कि विगत अवसरों पर मैं ने माननीय सदस्यों द्वारा इस सदन में पूछे गये प्रश्नों के

उत्तर देते हुये पावर एलकोहल के उत्पादन के बारे में पूर्ण विवरण दिया है। यदि कोई माननीय सदस्य पुनः विवरण ज्ञात करना चाहें तो, मैं फिर देने को तैयार हूं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री एन० सी० चटर्जी : (हुगली) : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक संविधान के खंड २० का अतिक्रमण करता है जिसमें स्वयं संसद् के अधिकार पर संवैधानिक प्रतिबन्ध लगाया गया है। हमारे संविधान में कहा गया है :

> "कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष नहीं ठहराया जायेगा, जब तक कि उसने अपराधारोपित क्रिया करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो, और न वह उससे अधिक दंड का पात्र होगा जो उस अपराध के करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था।"

यद्यपि एक सर्वप्रभुत्वसम्पन्न संसद् या विधानमंडल को भविष्यलक्षी तथा भूतलक्षी दोनों प्रकार के विधान अधिनियमित करने का अधिकार है, तथापि इस अनुच्छेद द्वारा संसद् के कानून बनाने के अधिकार पर जान बूझ कर प्रतिबन्ध लगाया गया है और यह कहा गया है कि भारत में कोई वैधानिक प्राधिकार भूतलक्षी प्रभाव वाले दंड विधान नहीं बना सकता। प्रस्तुत विधेयक का खंड ४ स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद २० का अतिक्रमण करता है जिसमें साफ़ साफ़ यह कहा गया है कि भूतलक्षी प्रभाव वाले दंड विधान यदि बना भी लिये गये तो वे शून्य होंगे। अतः मेरा निवेदन है कि खंड ४ में भारी फेरबदल की ज़रूरत है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं मानता हूं कि क्योंकि यह बात श्री चटर्जी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा कही जा रही है, अतः इस पर विचार किया जाना चाहिये। परन्तु मैं समझता हूं कि यदि यह प्रश्न इस समय नहीं, वरन् अधिनियम के पारित हो जाने के पश्चात् उठाया जाता तो अधिक अच्छा होता।

श्री चटर्जी : इसके लिये यही उचित समय और स्थान है। मैं संसद् से तथा माननीय मंत्री से यह कह रहा हूं कि एक ऐसा कानून पारित न किया जाये जो स्पष्टतया संविधान के विरुद्ध है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा विनम्र निवेदन यह है कि मैं तो केवल इस सदन की प्रथाओं का, जैसी कि वे माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की गई हैं, अनुसरण कर रहा हूं। मेरे माननीय मित्र ने जिस ओर निर्देश किया वह तो केवल अनुच्छेद २० (१) के उपबन्ध के विषय में है, अर्थात्—

> "कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये सिद्ध-दोष नहीं ठहराया जायेगा, जब तक कि उस ने अपराधारोपित क्रिया करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो,....."

वह उपबन्ध केवल उन दंडादेशों के सम्बन्ध में लागू होगा, जिनको इस अधिनियम के खंड ४ के अन्तर्गत तारण दिये जाने तथा मान्यता प्रदान किये जाने की अपेक्षा है। यदि इस विधेयक के पारित हो जाने और कानून बन जाने के बाद कोई व्यक्ति यह शिकायत करे कि उस पर १९४८ के पावर एलकोहल अधिनियम के उपबन्ध का

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है और सज़ा दी गई है, तो उस दशा में माननीय सदस्य को इस बात का पूरा अधिकार होगा कि वह न्यायालय में कार्यवाही कर के उसे छुड़वा लें ।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान संविधान के अनुच्छेद १३ (२) की ओर दिला सकता हूं ?

> "(२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो इस भाग द्वारा दिये अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो और इस खंड के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी ।"

संविधान के इस भाग में राज्य की परिभाषा यह की गई है कि "राज्य" के अन्तर्गत संसद् तथा विधान मंडल हैं । अतएव इसका अर्थ यह हुआ कि भारत की संसद् ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगी जो मूल अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी उठे—

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । पांच बज चुके हैं । अब सदन की बैठक स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, २५ नवम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।

———

GIPD—HS—102—PSD—30-6-53